भूख का मानचित्रिकरण

एक अध्ययन प्रतिवेदन

पांचवी अनुसूची क्षेत्र झाबुआ
जिले के संदर्भ में

क्रियान्वयन संस्था
द हंगर प्रोजेक्ट, भोपाल

मार्गदर्शन तथा सहयोग
सम्पर्क म.प्र., ग्राम रायपुरिया
जिला झाबुआ (म.प्र.)

भूख का मानिचित्रिकरण
(एक अध्ययन प्रतिवेदन)

आर्थिक विकास की अंधी दौर में दुनिया भर के देश स्वयं को सबसे ऊपर रखने के लिए दिन प्रतिदिन प्रयत्नशील है। विकास की इस दौड़ में पूरे देश को दो भागों (विकसित देश एवं विकासशील) में बांट कर रख दिया है। विकासशील देशों की सूची में भारत शिखर पर विराजमान है। देश की आजादी के 59 वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र में विकास किया है, चाहे वह शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक, संचार एवं खाद्य सुरक्षा का ही क्षेत्र क्यों न हो। इन सभी क्षेत्रों में सर्वाधिक अहम् था देश के नागरिकों की खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस क्षेत्र में स्वयं को आत्मनिर्भर करने के लिए आजादी के बाद से ही सरकार ने हरित क्रांति बड़े बांध निर्माण परियोजना का बिगुल बजाया और घोषणा की गई कि देश के गोदामों में इतना अनाज है कि उसकी बोरियों को एक के ऊपर एक जमाकर चांद तक पहुंचा जा सकता है। देश में इतना अतिरिक्त अनाज उत्पन्न होने लगा कि अन्य देशों को भी बेचा जा रहा है।

हमारे देश में खाद्यान्न सुरक्षा के दो पहलू है जिसमें एक पहलू ऊपर वर्णित है दूसरा पहलू यह है कि आजादी के 59 वर्षों के बाद भी देश की 40 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहकर जीवन यापन कर रही है और इस आबादी में से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी को दो वक्त का भरपूर सम्पूर्ण भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। समाज में प्राचीन आदिवासी क्षेत्र में यह स्थिति और भी गम्भीर है। ऐसा नहीं है कि इस संबंध में सरकार अनभिज्ञ है। सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को विकास की दौड़ में बराबर लाकर खड़ा करने के लिए आदिवासी क्षेत्र को पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर विशेष प्रयास प्रारंभ किये है। इन क्षेत्रों में विकास की बागडोर वहां की पंचायतों के हाथ में दी तथा कई महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ की। खाद्य असुरक्षा की स्थिति को देखते हुए सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना (जननी सुरक्षा योजना) राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, एकीकृत बाल विकास योजना, मध्यान्ह भोजन जैसी महत्वपूर्ण योजना वर्षों से प्रारंभ कर दी गई। इन सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गरीब व्यक्ति को मुफ्त तथा कम कीमत पर अनाज उपलब्ध कराना था जिससे उनकी खाद्य सुरक्षा निश्चित की जा सके।

वर्ष 1993 के पश्चात गांव के विकास को गति प्रदान करने के लिए देश के संविधान ने कानूनी हक प्रदान करते हुए गांव की ग्रामसभा को सर्वोच्च माना गया। ग्रामसभा को कानूनी हक प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य था कि लोग अपनी समस्या तथा इसका निराकरण करने के लिए चौपाल पर बैठकर सर्वसम्मति से योजना बनाकर क्रियान्वित कर सके। वर्ष 2005 में केन्द्रिय सरकार ने इससे भी आगे बढ़कर ग्रामीण समुदाय को वर्ष में सौ दिन का रोजगार सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ग्यारंटी कानून 2005 बना दिया। इस कानून ने लोगों को रोजगार पाने का कानूनी हक प्रदान किया। साथ ही इस कानून के क्रियान्वयन में पंचायत की भूमिका को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया।

कागजों पर विश्वास किया जाए तो हमारे देश का हर व्यक्ति दिन प्रतिदिन विकास की दौड़ में आगे बढ़ता जा रहा है इतना सब होने पर भी क्या कारण है कि समाज का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा है कि जिन्हें दो वक्त का भरपेट भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता। शासकीय योजनाओं का लाभ इन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है विकास की चकाचौंध में आदिवासी समुदाय की परम्परागत तथा सांस्कृतिक रीति–रिवाजों को दूषित कर दिया है। महिलाओं तथा बच्चों में कुपोषण का स्तर और भी गंभीर है।

इन सब सवालों के जवाब तलाश ने के लिए द हंगर प्रोजेक्ट भोपाल ने मध्यप्रदेश के पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र के झाबुआ जिले को चयनित कर इस क्षेत्र में वर्ष 1987 से कार्य कर रही

सम्पर्क समाज समाजसेवी संस्था ग्राम रायपुरिया जिला झाबुआ के सहयोग से भूख का मानचित्रिकरण अध्ययन कार्य अक्टूबर 2006 से प्रारंभ किया। इस अध्ययन कार्य में सम्पर्क समाजसेवी संस्था के अलावा द हंगर प्रोजेक्ट नई दिल्ली के सदस्यों का मार्ग दर्शन भी सतत मिलता रहा है।

अध्ययन का उद्देश्य :–

भूख का मानचित्रिकरण अध्ययन कार्य निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रारंभ किया गया –

- ☞ खाद्यान्न असुरक्षा के बढ़ते दायरों के कारणों की पहचान करना।
- ☞ भूख के बारे में आदिवासी समुदाय के नजरिये को समझना।
- ☞ शासकीय तंत्र का भूख की स्थिति के प्रति दृष्टिकोण को जानना।
- ☞ आदिवासी क्षेत्र के गांवों में खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था को समझना।
- ☞ भूख की स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता एवं संभावना की तलाश जमीनीस्तर पर करना।
- ☞ खाद्य सुरक्षा के लिए जनकल्याणकारी योजनाओं पर निर्भरता एवं उनके क्रियान्वयन का निरीक्षण करना।
- ☞ खाद्य सुरक्षा को लेकर पंचायत की भूमिका को समझना।

अध्ययन कार्य क्षेत्र :–

भूख का मानचित्रिकरण अध्ययन के लिए पांचवीं अनुसूची क्षेत्र झाबुआ जिले के पेटलावद तहसील के छह ग्राम पंचायतों के छह गांवों का चयन किया गया। 85 प्रतिशत भील तथा भीलाला आदिवासी समुदाय वाले इस विकासखण्ड में 68 प्रतिशत भाग पठारी तथा उबड़–खाबड़ भौगोलिक क्षेत्र में बसा है 49 प्रतिशत (सेंसेक्स 2001 के अनुसार) साक्षरता वाले इस विकासखण्ड में महिला तथा पुरूषों में साक्षरता का प्रतिशत क्रमशः 34 तथा 64.8 प्रतिशत है। जिला मुख्यालय से 55 किमी. की दूरी पर स्थित पेटलावद शहर तथा ग्रामीण आदिवासियों के रहन–सहन में जमीन आसमान का अंतर स्पष्ट नजर आता है। आदिवासी समुदाय आज भी अपनी पारम्परिक परम्पराएं, रीति–रिवाजों, रहन–सहन, खानपान की आदतों को आज भी संजोए रखा है। किन्तु आज शहरी आबादी से बढ़ते जुड़ाव आधुनिकता की मार ने आदिवासी समुदाय में भी परिवर्तन की रेखाएं नजर आने लगी है।

गुजरात तथा राजस्थान राज्य की सीमा से सटे इस विकासखण्ड का आदिवासी समुदाय कृषि तथा मजदूरी पर अपनी तथा अपने परिवार की आजीविका चला रहा है। गुजरा, कोदरा, कांगणी, हामली, तुअर, उड़द, देशी मक्का, चावला, धान, तिल, मूंग, मूंगफली आदि देशी फसलों में बड़े स्तर पर परिवर्तन आया है। पिछले 15 वर्षों में कृषि क्षेत्र में आये परिवर्तन के फलस्वरूप आदिवासी समुदाय में परम्परागत देशी बीजों की पैदावार में लगातार कमी आयी है। आज वर्तमान में इस विकासखण्ड में गुजरा, कोदरा, कांगणी, हामली, तुअर, उड़द, देशी मक्का, चावला, धान, तिल, मूंग, मूंगफली जैसी फसलों की पैदावार नहीं के बराबर रह गयी है। अध्ययन के लिए विकासखण्ड में से छह पंचायतों के छह गांवों का चयन निदर्शन के रूप में चयन करने के लिए निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखकर किया गया कि जो गांव विकासखण्ड से सबसे दूर हो – पास का गांव – बीच का गांव – सड़क के पास गांव तथा सड़क से दूर का गांव हो। चयनित गांव के नाम तथा तहसील मुख्यालय से दूरी का विवरण इस प्रकार है –

क्र.	गांव का नाम	पंचायत का नाम	फलियों की संख्या	तहसील मुख्यालय से दूरी किमी. में
1.	लालारूण्डी	काजबी	2	14
2.	कचराखदान	कचराखदान	5	18
3.	छोटासलुनिया	बड़ासलुनिया	4	20
4.	भूरीघाटी	पांचपिपला	2	35
5.	गरवाड़ा	गामड़ी	2	37
6.	भीलकोटड़ा	भीलकोटड़ा	12	40

अध्ययन की पद्धतियां :–

किसी अध्ययन से प्राप्त तथ्यों को तभी सही तथा सार्थक माना जा सकता है जब अध्ययन में तथ्य संकलन के लिए उपयोग किये गये विधियों का चयन सही तरह से किया गया हो। अतः अध्ययन के उद्देश्यों को पाने के लिए ''ग्रामीण सहभागिता अध्ययन'' की विधियों का उपयोग किया गया है। ग्रामीण सहभागिता अध्ययन की कई विधियां है जिनकी सहायता से हम भूख के विभिन्न आयामों जैसे भूख की स्थिति, भूख का फैलाव, योजनाओं की पहुंच, पलायन की स्थिति, कर्ज की स्थिति, आर्थिक – सामाजिक स्थिति, संसाधन स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण सहभागिता से जानकारी एकत्रित करने के लिए निम्न विधियों का उपयोग किया गया –

- ☞ सामाजिक मानचित्र
- ☞ संसाधन मानचित्र
- ☞ सेवा सुविधा मानचित्र
- ☞ आर्थिक श्रेणीकरण
- ☞ मौसमीकरण मानचित्र
- ☞ मैट्रिक्स मानचित्र
- ☞ चपाती मानचित्र
- ☞ पाई चार्ट मानचित्र
- ☞ समय रेखा मानचित्र
- ☞ खाद्य सुरक्षा के लिए बीज मानचित्र
- ☞ पलायन के लिए चपाती मानचित्र
- ☞ समूह चर्चा
- ☞ रैंकिग विधि।

ग्रामवार अध्ययन प्रतिवेदन :–

अध्ययन के तहत ठोस तथा प्रमाणित जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रत्येक गांव में निम्न बिन्दुओं का ध्यान में रखकर जानकारियों का संग्रहण कर विश्लेषण कार्य किया गया जो इस प्रकार है।

1. भौगोलिक स्थिति

2. सामाजिक स्थिति
3. आर्थिक स्थिति
4. फसलों की स्थिति
5. संसाधनों की स्थिति
6. सेवा सुविधा की स्थिति
7. कर्ज की स्थिति
8. खाद्य सुरक्षा की स्थिति
9. पलायन की स्थिति
10. जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच की स्थिति

ग्राम गरवाड़ा :–

जनपद पंचायत मुख्यालय से 37 किमी. दूरी पर स्थित ग्राम गरवाड़ा माही नदी के किनारे बसा है। पथरीले पठारों के बीच के बसे इस गांव की सीमा धार जिले को छूती है इस गांव में कुल 74 भील आदिवासी परिवार दो फलिये आंगनवाड़ी तथा गामड़ फलिया में निवास कर रहे है मुख्य सड़क से 7 किमी. दूरी पर स्थित इस गांव तक आने–जाने के लिए यातायात विहीन पगडण्डीनुमा कच्ची सड़क एक मात्र सहारा है। दो फलिये में बसे लोगों को एक फलिये से दूसरे फलिये में जाने के लिए एक बड़ा नाला पार करना होता है या फिर 5 किमी. घुमावदार पगडंडी से पैदल चलकर आना पड़ता है। बरसात के चार महिनों में कई दिन ऐसे आते है जब दोनों फलिये का आपस में संपर्क टूट जाता है। इस गांव के गामड़ फलिये में कुल 19 परिवार निवास कर रह है। शेष परिवार आंगनवाड़ी फलिये में रह रहे है। पिछले 5 वर्षों में गांव की बसाहट में परिवर्तन देखने में आया है। गांव के पांच परिवार खेतों में कच्चा मकान बनाकर निवास कर रह है।

सेवा सुविधाओं की स्थिति :–

ग्राम गरवाड़ा में शासकीय सुविधाओं के नाम पर मात्र आंगनवाड़ी केन्द्र, ईजीएस शाला भर है। बाकी शेष स्रोतों की सुविधा पाने के लिए लोगों को अन्य गांवों पर निर्भर रहना पड़ता है। स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित गांव के लोग बीमारी की स्थिति में गांव से 13 किमी. की दूरी पर स्थित उपस्वास्थ्य केन्द्र सारंगी तक जाने के लिए बैल गाड़ी पैदल या साइकिल मुख्य साधन के रूप में है। वर्षा ऋतु में बीमारी की स्थिति में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पाना और भी कठिन हो जाता है। पोस्ट ऑफिस, बैंक तथा फोन सुविधा से वंचित इस गांव के लोगों को अपनी दैनिक आवश्यकता जैसे खाद्य सामग्री, नमक, तेल, मिर्च आदि के लिए गांव से 7 किमी. की दूरी पर स्थित ग्राम बोड़ायता तक पैदल जाना होता है। दैनिक आवश्यकता की सामग्री के अलावा खाद, बीज, दवाइयां, कीटनाशक, बैंक, फोन सुविधा, हाट–बाजार आदि कार्यों के लिए मुख्य बाजार ग्राम सारंगी पर निर्भर है या माही नदी के उस पार ग्राम राजोद पर निर्भर है जो कि गांव से 13 किमी. की दूरी पर स्थित है। पटवारी, अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, पुलिस चौकी, विद्युत कार्यालय, टेलर, नाई, लुहार, ग्रामसेवक से संपर्क स्थापित करने के लिए ग्रामीणों को ग्राम सारंगी तक पैदल चलकर जाना होता है।

सेवा सुविधा मानचित्र का विश्लेषण करें तो हम पायेंगे कि ग्रामीणों को अपनी छोटी से छोटी आवश्यकता पूर्ति के लिए ग्राम सारंगी तथा बोड़ायता पर सर्वाधिक निर्भर रहना पड़ता है। गांव में सुविधाओं का अभाव होने के कारण गांव के लोगों का अधिकांश समय सुविधाएं जुटाने में जाता है।

आर्थिक स्थिति :–

ग्राम पंचायत मुख्यालय गामड़ी से 3 किमी. की दूरी पर स्थित इस गांव के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि तथा मजदूरी करना है। कृषि कार्य तथा मजदूरी कर जीवन यापन

कर अपनी जीविका चलाने वाले इस गांव में सभी परिवार गरीबी रेखा के नीचे (शासकीय सर्वे सूची 1993 के अनुसार) रह रहे है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले इस आदिवासी परिवारों को आर्थिक श्रेणीकरण की ए.बी.सी. श्रेणी में विभक्त किया गया तो पाते है गांव में ऐसे परिवारों का प्रतिशत सर्वाधिक है जिनके पास मुरम वाली पथरीली, असिंचित जमीन सर्वाधिक हैं। इन परिवारों के पास सी ग्रेड में दो–तीन बीघा जमीन है जिस पर मक्का के अलावा दूसरी फसल नहीं ले पाते।

196.31 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस गांव में मात्र 10 हेक्टेयर सिंचित भूमि हैं जबकि 126.92 हेक्टेयर कृषि भूमि असिंचित है तथा 60.50 हेक्टेयर पड़त भूमि है। कुल कृषि भूमि का एक बड़ा हिस्से पर वर्षा की महरबानी से फसल हो पाती है लेकिन पिछले कुछ वर्षों से पड़ रहे लगातार सुखे व अतिवर्षा के कारण फसलों से जो अनाज उत्पन्न हो रहा है उससे प्रति परिवार 4–5 माह (अक्टूबर से फरवरी माह) की खाद्य सुरक्षा ही सुनिश्चित हो पा रही है।

फसलों की स्थिति :–

इस गांव में कृषि क्षेत्र में आये बदलाव को साफ तौर पर देखा जा सकता है। करीब 20 से 25 वर्ष पूर्व यहां के आदिवासी परिवार देशी बीज जैसे गुजरा, कोदरा, कांगनी, ज्वार, बाजारा, देशी कपास, देशी मक्का, उड़द, हामली, देशी चवला, देशी चावल, मुंग, मुंगफली, चना की फसलें प्राथमिकता के साथ लगाते थे। खेतों में फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए देशी खाद (गोबर की) का ही उपयोग किया जाता है। रासायनिक दवाओं का उपयोग नहीं के बराबर किया जाता था। पथरीली पठारिय कृषि भूमि पर इन फसलों की पैदावार भी अधिक होती थी। खाने के लिए उपयोग में आने वाला अनाज गुजरा, कोदरा, कांगनी, ज्वार, बाजरा, देशी मक्का, उड़द, मुंग, चवला से वर्ष भर की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती थी।

समय के साथ–साथ फसलों में भी परिवर्तन आने लगा है। यहां का आदिवासी किसान देशी बीज जैसे गुजरा, कोदरा, कांगनी, ज्वार, बाजारा, देशी कपास, देशी मक्का, उड़द, हामली, देशी चवला, देशी चावल, मुंग, मुंगफली, चना लगाने के स्थान पर नकदी फसलों की पैदावार पर अधिक जोर देने लगा। आज कम पानी में पैदावार देने वाली फसलें गुजरा, कोदरा, कांगनी, ज्वार, बाजारा, देशी कपास, देशी मक्का, उड़द, हामली, देशी चवला, देशी चावल, मुंग, मुंगफली यहां देखने को नहीं मिल रहे है। किसान बाजार से हाईब्रीड कपास तथा मक्का खरीदकर लाने लगा। साथ ही इन फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए विक्रेताओं द्वारा बताये रासायनिक खाद तथा दवाओं का उपयोग भी बड़े स्तर पर कर रहा है।

प्रारंभिक दौर में रासायनिक खाद व दवाओं के उपयोग से कपास तथा मक्का की पैदावार बहुत अधिक होने से यहां का किसान साहूकार तथा बैंको से रूपये उधार लाकर हाईब्रीड बीज रासायनिक खाद तथा दवाएं लाकर हाईब्रीड फसलों का रकबा लगातार बढ़ाते गया। प्रारंभिक दौर से तीन–चार साल बाद इन फसलों की पैदावार में लगातार कमी आने लगी जो कि आज भी जारी है इन वर्षों में गांव का प्रत्येक किसान कर्ज के बोझ में दब गया। वह प्रतिवर्ष बीज तथा खाद के लिए साहूकार से ऋण लेकर आ रहा था। परिणामस्वरूप प्रारंभिक दौर में उसने जो थोड़ा रूपया कमाया भी था वह ब्याज तथा ऋण चुकता करने में चला गया। पिछले कुछ वर्षों में पढ़ रहे सूखे व अतिवर्षा के दौर ने यहां किसानों की फसलों की स्थिति और भी खराब कर दी है। जहां पूर्व में लोगों के पास खाने के लिए वर्षभर का अनाज उपलब्ध रहता था। लेकिन इन परिवारों के पास मात्र तीन–चार माह का ही पर्याप्त अनाज उपलब्ध रहता है।

पलायन की स्थिति :–

पठारी तथा पथरीली भूमि के धनी इस गांव के लोग कृषि के अलावा मजदूरी तथा पलायन पर सर्वाधिक आय अर्जित करते हैं। स्थानीय स्तर पर पंचायत तथा शासन द्वारा पर्याप्त मजदूरी उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में गांव के 97 प्रतिशत परिवार मध्यप्रदेश के अलग–अलग जिलों के अलावा समीपवर्ती राज्य गुजरात, राजस्थान के बड़े शहरों की ओर पलायन करते हैं यह पलायन

वर्ष में दो बार होता है। पहला अक्टूबर से नवम्बर माह (दो माह के लिए) तथा दूसरा मार्च से जून माह (चार माह के लिए) तक। इस तरह यहां के लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए वर्ष भर में पांच–छह माह का पलायन करते हैं। वहीं गांव के 15 परिवार ऐसे हैं जो वर्ष भर में 7–8 माह के पलायन पर रहते हैं। क्योंकि इन परिवारों के पास एक से दो बीघा असिंचित कृषि है जिसमें मक्का के अलावा अन्य कोई फसल नहीं हो पाती।

बीस से पच्चीस वर्ष पूर्व ग्रामीण आदिवासी अनाज तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गांव छोड़कर लम्बे समय के लिए पलायन पर नहीं जाते थे। इस दौर में लोग बीस से पच्चीस दिन के पलायन पर गेहूँ की कटाई के दौरान रूपये के लिए जाया करते थे। यह पलायन गांव के कुछ ही परिवार के पुरूषों का होता था। महिला एवं बच्चे पलायन पर नहीं जाते थे।

ग्रामीणों से की गई चर्चा के अनुसार पलायन पर जाने से पूर्व यदि गांव या पंचायत में लगातार मजदूरी प्राप्त होने की स्थिति में पलायन के दिनों में कमी आती है किन्तु गांवों में कुछ ऐसे परिवार हैं जो गांव में काम प्रारंभ होने के बावजूद अधिक मजदूरी की चाह में पलायन करना उचित समझते है यह पलायन गांव के लोगों द्वारा समूह में किया जाता है।

पलायन के मुख्य कारण :–

- ☞ कृषि से वर्ष भर के खाद्य सुरक्षा निश्चित नहीं होना।
- ☞ स्थानीय स्तर पर लम्बे समय के काम उपलब्ध नहीं होना।
- ☞ प्रति परिवार कृषि जोत आकार बहुत कम दो–तीन बीघा होना।
- ☞ कृषि वर्षा पर निर्भर होना।
- ☞ कर्ज की अधिकता।
- ☞ अधिक मदूरी की चाह में।

आय–व्यय की स्थिति :–

यहां के आदिवासी परिवारों के पास आय का मुख्य साधन कृषि है। कृषि से उत्पन्न आय में अपनी आवश्यकताएं जैसे खाद्य सामग्री, बीमारी, कपड़ा, आवागमन, शिक्षा, भोजन की पूर्ति नहीं हो पा रही। ग्रामीणों को पलायन कर प्राप्त होने वाली मजदूरी से आय पर्याप्त हो रही है। वह कुल आय का 50 प्रतिशत हिस्सा है। जो कि अन्य स्रोतों की तुलना में सर्वाधिक हैं यह हिस्सा कृषि से प्राप्त आय से भी अधिक है। इसके अलावा पशुधन जैसे बकरी, मुर्गी पालन तथा स्थानीय स्तर पर मजदूरी करने से भी कुछ आय मिल जाती है। कुल आय में इन स्रोतों का प्रतिशत लगभग 10 है। सभी स्रोतों से वार्षिक आय 9 से 11 हजार रूपये हैं।

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय के व्यय की समीक्षा करें तो देखेंगे कि यहां के आदिवासी परिवार कुल आय का सर्वाधिक व्यय कर्ज जमा करने के तथा भोजन की आवश्यकता पूर्ति करने में जाता है जिसका प्रतिशत लगभग 70 हैं। इसके बाद कृषि के लिए बीज खाद्य तथा रसायनिक दवाइयां खरीदने में उपयोग किया जाता है। कृषि के बाद बीमारी पर इन लोगों की आय का व्यय सर्वाधिक होता हैं। शेष बीच आय का उपयोग किराना सामान कपड़े, शादी, आवागमन में करते हैं।

कर्ज की स्थिति :–

आय के निम्न स्रोत तथा सेवा सुविधा से वंचित गांव के प्रत्येक व्यक्ति पर औसतन 20 से 25 हजार रूपया का कर्ज हैं। यह कर्ज कई स्रोतों से प्राप्त होता हैं –

1. रिश्तेदार
2. सम्पन्न व्यक्ति
3. साहूकार

4. बचत समिति
5. सोसायटी बैंक
6. बैंक ऑफ बडौदा

ग्रामीणों द्वारा कर्ज के लिए गांव तथा आसपास के रिश्तेदारों तथा सम्पन्न व्यक्ति के पास जाना पसन्द करते हैं क्योंकि यहां कम ब्याज में तुरंत तथा आसानी से कर्ज उपलब्ध हो जाता है। यहां कर्ज उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बचत समिति में शामिल सदस्य बचत समिति के पास जाते हैं लेकिन यहां आवश्यकता के हिसाब से कर्ज नहीं मिल पाने के कारण आखिरी में साहूकार के पास जाना पड़ता है। जहां डेढ़ गुना ब्याज पर कर्ज लेते हैं साहूकार के पास कर्ज तो प्राप्त हो जाता है लेकिन ग्रामीणाों के प्रति साहूकार का व्यवहार संतोषप्रद नहीं होता उन्हें कई बार अपमानित भी होना पड़ता है। ग्राम गरवाड़ा के 18 ग्रामीणों पर 2 लाख 50 रूपये का कर्ज वर्ष 1994–95 में उद्‌वहन सिंचाई योजना के तहत दिया गया जो कि आज बढ़कर 5 लाख 35 हजार 721 (वर्ष 2004 तक) हो गया है। उद्‌वहन सिंचाई प्रारंभ करते समय शासन ने लोगों को वर्ष भर सिंचाई का सपना दिखाया लेकिन योजना के क्रियान्वयन में बड़े स्तर पर हुए भ्रष्टाचार व अनियमितता के कारण योजना पूरी तरह फैल हो गई और इन आदिवासी परिवारों के सिर लाखों रूपये का कर्ज चढ़ गया। यह बेजा कर्ज जमा नहीं करने की स्थिति में बैंक द्वारा उन्हें डिफाल्टर घोषित कर बैंक से अन्य लाभों से वंचित कर दिया गया। जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें पूर्णतः साहूकार की शरण में जाना पड़ा।

यहां के कई परिवार को बैंक ऑफ बडौदरा तथा सोसायटी बैंक से भी कर्ज प्राप्त हुआ है। यह कर्ज शासन की विभिन्न योजनाओं तथा खाद बीज के नाम पर प्राप्त हुआ है। बैंक द्वारा लिये गये इस कर्ज से ग्रामीण आज तक नहीं उभर पा रहे हैं। जिसका एक उदाहरण शासन की सामूहिक उद्‌वहन सिंचाई योजना के पीड़ित हितग्राहियों का हैं।

कर्ज लेने की आवश्यकता :–

1. खाद बीज के लिए।
2. बीमारी के लिए।
3. अनाज के लिए।
4. तीज त्यौहार एवं सामाजिक कार्यक्रमों के लिए।
5. झगड़े के निपटारे के लिए।

कर्ज लेने के कारणों का हम विश्लेषण करें तो पाते है कि यहां के ग्रामीण रासायनिक खाद बीज तथा दवा खरीदी के लिए कर्ज लेते है उसके बाद खाने के लिए अनाज, बीमारी तथा अन्य रीति–रिवाजों त्यौहारों को मनाने के लिए कर्ज लेते हैं। ग्रामीणों ने चर्चा के दौरान बताया कि शादी के लिए बड़ा कर्ज लिया जाता है।

कर्ज लेने के कारण :–

ग्रामीणों ने बताया कि कृषि हमारे आजीविका को चलाने का प्रमुख संसाधन हैं ऐसे में प्रति वर्ष पड़ रही प्राकृतिक आपदा के कारण कृषि भूमि से उत्पादन भी पर्याप्त नहीं हो रहा। उत्पादन के एवज में लागत बढ़ती जा रही है रासायनिक खाद, बीज तथा दवा के भाव दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर से साहूकार द्वार डेढ़ गुना ब्याज वसूला जा रहा हैं। ऐसी स्थिति में वर्ष में विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती है उसका अधिकांश हिस्सा ब्याज देने में ही खत्म हो जाता है। पंचायत/शासन के द्वारा भी गांव में लगातार काम प्रारंभ नहीं रहते पिछले वर्ष जो काम मिला उसमें प्रतिदिन के हिसाब से 50 से 55 रूपये की मजदूरी का भुगतान किया गया।

शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन में बड़े स्तर पर धांधली हो रही है। इन योजनाओं का लाभ भी ग्रामीणों को नहीं मिल रहा वहीं कृषि के अलावा आय के अन्य स्रोत

उपलब्ध नहीं होने से इन आदिवासी परिवारों को साहूकार व अन्य दानदाता के घर की ओर देखना पड़ता है। ग्रामीणों से चर्चा करने पर यह बात स्पष्ट से उभरकर सामने आयी इस समुदाय के रीति–रिवाज में आये परिवर्तन ने इन गरीब परिवारों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा दिया है। इस समुदाय में शादी में बड़ी राशि खर्च की जाती है।

सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्थिति :–

भील आदिवासी समुदाय की अपनी परम्परा तथा रीति–रिवाज होते है आदिवासी समुदाय ने इसे आज भी संजोकर रखा है। इसका एक उदाहरण ग्राम गरवाड़ा है यहां शादी, नुक्ता, अड़जी–पड़जी, राखी, मानममेरा, जैसे और भी कई रीति–रिवाज हैं। इन रीति–रिवाजों को अलग करने के लिए समुदाय सदैव तत्पर रहता है। 20–25 वर्ष पूर्व इन रीति–रिवाज व कर्मकाण्ड बहुत कम रूपये में पूर्ण हो जाता था। अधिकांश काम आपसी सहयोग से पूरा करना प्राथमिकता के रूप में देखा जाता था। लेकिन समय के साथ इन पर आने वाले खर्च की राशि में बढ़ोत्तरी होने लगी तथा आपसी सहयोग व मिल–जुलकर कार्य करने की ताकत में भी बदलाव आया जैसे –

शादी :–

विवाह किसी भी समाज की संतति आगे बढ़ने का एक साधन है सामाजिक मान्यता के साथ–साथ स्त्री पुरूष एक दम्पत्ति बनकर साझा जीवन चलाते है। आदिवासी समाज में पुत्री के विवाह में सम्मान स्वरूप से लेकर 21 रूपया ताकि दूल्हा के परिजनों द्वारा वधू की सम्मान राशि ली जाती थी। ग्रामीणों ने बताया कि यह परम्परा इसलिए थी कि आदिवासी समुदाय में लड़कियों को बहुत ही सम्मान की निगाह से देखा जाता था। समय परिस्थिति के साथ यह परम्परा विकृत हुई और वधू मूल्य की राशि इतनी बढ़ गयी है कि सामान्यतः शादी विवाह का मामला लड़की की खरीद परोख्त जैसा हो गया है। सवा रूपये की राशि आज बढ़कर 30–60 हजार रूपये हो गयी है। इतनी बड़ी राशि की व्यवस्था के लिए वर पक्ष के पिता को रिश्तेदार, सम्पन्न व्यक्ति या साहूकार की चौखट से कर्ज लेना पड़ता है। यह कर्ज अदा करने के लिए शादी के पश्चात् दूल्हे को बंधुआ मजदूरी या पलायन के लिए जाना पड़ता है। इस कर्ज का सबसे बड़ा घातक परिणाम यह होता है कि घर बसने के तुरंत बाद दम्पत्ति को घर छोड़ना पड़ता है।

वधू मूल्य की व्यवस्था करने के लिए परिवार का मुखिया अपनी जमीन व गहनों को गिरवी रखता है। गिरवी रखने पर भी राशि की व्यवस्था नहीं होने पर वह गहनों तथा जमीन को ओने–पोने दामों में बेच भी देता है। इस प्रकार एक शादी में परिवार को खुश होने की वजाए तबाही और पीड़ा का भाव ज्यादा मिलता है। पिछले 15–20 वर्षों में शादी में बड़े खर्च के लिए कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। शहरी समुदाय तथा बाजारी आवश्यकताओं के साथ बने सम्पर्क के कारण शादी में माइक, घोड़ी, बैंड पाटी, अंग्रेजी दारू, खान–पान में परिवर्तन तथा समुदाय में अपनी साख बनाने की होड़ के कारण आदिवासी परिवार शादी में अधिक से अधिक खर्च करने पर आमादा है। इन कारणों के अलावा इस समुदाय में बहू पत्नी विवाह के चलन के कारण वधू पक्ष द्वारा लड़की को अधिक से अधिक आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए पर पक्ष से हजारों रूपये में वधू मूल्य लिया जाता है। बहू पत्नी विवाह के कारण लड़की पक्ष में असुरक्षा की भावना का घर कर जाना भी एक प्रमुख कारण के रूप में उभरकर सामने आया है। शादी में वधू पक्ष मूल की राशि में आये बदलाव के बावजूद आज भी गांव के बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्होंने कन्यादान कर अपनी लड़की का विवाह कर दिया है।

वर्ष	कुल शादी	10–18 वर्ष पूर्व खर्च	वर्तमान में शादियों में आने वाला खर्च	कुल अतिरिक्त व्यय (रूपये में)
2005	4	10,000/–	1,20,000/–	1,10,000/–
2006	3	8,000/–	1,10,000/–	1,02,000/–

इस तालिका से स्पष्ट है कि पिछले दो वर्षों में कुल 7 शादियां हुई इन शादियों में 18–20 वर्ष पूर्व 18,000/– रूपये का व्यय होता था। लेकिन रीति–रिवाज में आये बदलाव के परिणाम स्वरूप आज इन कुल शादियों में 2,30,000/– राशि खर्च हो रही है। अर्थात् इनके ऊपर 2,12,000/– रूपये का अतिरिक्त कर्ज हैं।

नुक्ता :–

आदिवासी समुदाय की अपनी परम्परा व रीति–रिवाज में हिन्दू धर्म की छवि के परिणाम स्वरूप परिवार में किसी की मृत्यु होने पर कर्मकाण्ड एवं मृत्यु भोज कराना पड़ता है। गांव का हर व्यक्ति अपनी सामर्थ के अनुसार खर्च करता है। मृत्यु भोज में गांव के लोग रिश्तेदार के अलावा गांव के आसपास के लोग भी भाग लेते है। इस बात को मृतक के परिवार के लोग अपने सम्मान समझकर अपने सामर्थ्य से कहीं अधिक खर्च करते हैं। एक मृत्यु भोज में 400–500 लोग भाग लेते हैं। जिनके दो दिन का खाना लुगदी, पुड़ी, सब्जी तथा रहने के इंतजाम में लगभग 10 से 15 हजार रूपये तक खर्च होता है इतनी बड़ी राशि आदिवासी परिवार के पास बचत में नहीं रहती हैं अतः डेढ़ गुना या दो गुना ज्यादा दर पर साहूकार के पास से कर्ज लेते है। जिसके एवज में जमीन, गहने गिरवी रखत है या बेच देता है। इस तरह एक नुक्ता इन परिवार को 5–10 वर्ष पीछे धकेल देता है। नुक्ते के लिये गए कर्ज को चुकाने के लिए बंधुआ मजदूर या पलायन पर जाना पड़ता है।

आज से करीब 25–30 वर्ष की स्थिति का विश्लेषण करे तो यह बात साफ उभरकर सामने आती है कि इस दौर में गांव के सभी परिवार एक–दूसरे को अनाज श्रम या रूपये के रूप में मदद कर सहयोगी नुक्ता करते थे जिससे प्रति नुक्ता औसतन 1500–1800 रूपये का खर्च होता था। शेष सहयोग के रूप में प्राप्त हो जाता था।

महंगाई खान–पान में आये परिवर्तन तथा शहरी समुदाय की संगत के परिणाम स्वरूप आए इस बदलाव के बावजूद आज गांव में कई परिवार सहयोगी नुक्ता के अस्तित्व को बचाएं हुए हैं।

राखी :–

आदिवासी समाज में जहां नुक्ता और शादी में समय के साथ परिवर्तन आया वहीं राखी जैसा त्यौहार जिनमें अधिक खर्च के स्थान पर कम खर्च की ओर यह समाज ने कदम बढ़ाया है। 18–20 वर्ष पूर्व इस गांव में राखी के त्यौहार पर प्रत्येक वहन परिवार के सभी सदस्यों जैसे भाई, चाचा, दादा, नाना आदि सभी रिश्तेदारों के लिए एक नारियल तथा राखी ले जाया करती थी। जिसके कारण एक बहन पर 800 से 1000 रूपये का खर्च का बोझ आता है। राखी प्रायः जुलाई से अगस्त माह में आती हैं जब लोगों के पास अनाज व रूपये की सर्वाधिक तंगी रहती थी। क्योंकि खेती के लिए खाद, बीज तथा अनाज खरीदने में रूपये खर्च हो जाते थे। ऐसी स्थिति में राखी मनाने के लिए साहूकार के पास से डेढ़ गुना ब्याज पर रूपये उधार लेकर आते थे। इनके लिए राखी का त्यौहार कर्ज का सौगात लेकर आता था। किन्तु स्थानीय संगठन व संस्था के लगातार प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप इस प्रथा में बहुत बदलाव देखने को मिला। आज राखी के त्यौहार में सभी रिश्तेदारों को नारियल ले जाने की बजाए सगे भाई के लिए एक नारियल ले जाने लगे है। जिससे एक परिवार का राखी में खर्च होने वाले 800–1000 रूपये घटकर 150–200 रूपये तक खर्च रह गया है।

अड़जी–पड़जी :–

अड़जी–पड़जी का शाब्दिक अर्थ है किसी के काम विशेषकर खेती से संबंधित कार्यों में निःशुल्क मदद करना। आदिवासी समाज में एक दूसरे के कामों में मदद करने की परम्परा है। अड़जी–पड़जी में जिस व्यक्ति के यहां काम किया गया है वह व्यक्ति उतना काम दूसरे व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ने पर उसके यहां काम करेगा लेकिन काम के बदले धन नहीं लेगा।

प्राचीन काल में यह परम्परा प्रचलित थी इसके अन्तर्गत गांव के लोग आपस में सहयोग कर फसल की बुबाई, कटाई, निदाई, गुड़ाई, खेत की जुताई, मेढ़बंधी, घास की कटाई, कुंआ खोदना, घर बनाने आदि कार्यों में श्रम के स्तर पर सहयोग किया करते थे उस दौर में लोगों में मजदूर बुलाने या मजदूरी पर जाने की व्यावसायिक मानसिकता नहीं थी। समय के साथ बदलाव हर समाज में होता है इस गांव में भी हरित क्रांति कृषि की आधारभूत मान्यताओं को बदल दिया। पूरे समाज के लिए अन्न उद्योग की किसान की भूमिका को बदलकर उसको एक व्यावसायिक बना दिया जो पैसों के लिए खेती करता है। बाजार व्यवस्था ने कृषि के परिवर्तित बाजारी गणित को समझाया एवं परिणाम स्वरूप कृषि को भोजन की जरूरतों की पूर्ति से निकालकर फायदे के व्यापार में कूदना पड़ा। यह समुदाय आधुनिक जीवन शैली को अपनाया जिसकी वजह से इनके आपसी रिश्ते भी खत्म हुए लोगों में स्वार्थ बढ़े सहयोग की भावना खत्म हुई। मुद्रा का जोर बढ़ा अड़जी–पड़जी प्रथा टूटने लगी जिसके कारण लोग अपेक्षाकृत मजबूत आर्थिक स्थिति के लोग खेती तथा अन्य काम मजदूर बुलाकर करने लगे जबकि गरीब आदिवासी और भी पिछड़ने लगा। गांव वालों ने बताया कि पहले एक–दूसरे का सहयोग करते थे और श्रम आपस में बेचने की वस्तु नहीं थी किन्तु अब तो छोटे–छोटे कामों के लिए मजदूर बुलाना पड़ता है। मजदूरी भुगतान में मौद्रिक प्रचलन होने तथा संयुक्त परिवार के टूटने से खेतों के खर्चों में काफी इजाफा हुआ है।

विलुप्त होती इस परम्परा को संपर्क समाज सेवी संस्था ने नुक्कड़ नाटकों तथा सामाजिक बैठकों के माध्यम से लोगों के सामने रखा तथा स्वयं सहायता समूह बनाकर अड़जी–पड़जी करने की पहल प्रारंभ किया। आज गांव के 28 परिवारों ने उस विलुप्त होती परम्परा को पुनः प्रारंभ किया। ये समूह आज घास कटाई, निंदाई, गुड़ाई, घर छाना, घर बनाना तथा अन्य कई कार्य अड़जी–पड़जी के द्वारा कर रहे है। इन परिवारों के द्वारा की गई इस पहल के परिणाम स्वरूप इन कार्यों पर मजदूरी देने में आने वाले खर्च का भुगतान करने से ये लोग बचाकर अथवा मजदूरी के भुगतान हेतु रूपयों के लिए साहूकार के द्वार पर जाना पड़ता डेढ़ या दो गुना ब्याज पर ऋण लेकर मजदूरी का भुगतान करते।

इन परम्पराओं के पुनः चलन में लाने के लिए संस्था तथा ग्रामीणों द्वारा चलाये गये इस मुहिम के बावजूद गांव में आज भी 46 परिवार ऐसे है जो अड़जी–पड़जी परंपरा को आत्मसाद नहीं कर पा रहे है।

शासकीय जनकल्याणकारी योजनाओं की स्थिति :–

केन्द्र तथा राज्य सरकार ने समाज के सबसे दबे तथा पिछड़े वर्ग जैसे आदिवासी समुदाय बच्चों, वृद्ध महिला, विकलांगों, निराश्रित आदि को भूख तथा कुपोषण की मार से बचाने के लिए कई जनकल्याणकारी योजनाएं चला रखी है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गरीब वर्ग की खाद्य सुरक्षा निश्चित करना है। यह योजनाएं पिछले कई वर्षों से प्रारंभ है साथ ही कई लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है। इतना होने के बावजूद भी आज आदिवासी समाज में कई परिवारों के पास वर्ष भर की खाद्य सुरक्षा निश्चित नहीं हो पा रही है। आज भी लोगों को अपना पेट पालने के लिए पलायन पर जाना पड़ रहा है तथा 0–6 वर्ष के बच्चों में 4–5 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार है तथा गर्भवती महिलाएं एनीमीया की शिकार हैं। यह सब आंकड़े इन योजनाओं के क्रियान्वयन तथा पहुंच पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अतः विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा पहुंच की स्थिति जानने के लिए ग्रामीण सहभागी अध्ययन की विभिन्न विधियों का प्रयोग किया गया।

सार्वजनिक जनवितरण प्रणाली :–

ग्राम गरवाड़ा ग्रामीणों को अनाज के लिए शासकीय उचित मूल्य की दूकान गामड़ी तक 3 किमी. पैदल चलकर जाना होता है। यह दुकान सप्ताह में दो दिन बुधवार तथा गुरूवार के दिन खुलती है अर्थात् माह में मात्र 8 दिन दुकान खुली रहती है। शेष दिन दुकानों पर ताला लगा रहता है यह शासकीय उचित मूल्य की दुकान सहकारी बैंक बोड़ायता के अंतर्गत आती है। ग्राम बोड़ायता

का निवासी वितरक तीन शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का संचालन करता है। इस दुकान के तहत 350 बीपीएल, 35 अन्त्योदय तथा 15 एपीएल राशन कार्डधारियों का राशन वितरण किया जाता है। ग्राम गरवाड़ा में कुल 61 बीपीएल तथा 8 अन्त्योदयक कार्डधारी निवास करते हैं। ग्रामीणों ने चर्चा के दौरान बताया कि उचित मूल्य की दुकान में से प्रतिमाह अनाज खरीद कर लाते है लेकिन हमारी आवश्यकता के अनुसार अनाज प्राप्त नहीं हो पा रहा हैं। जब बीपीएल कार्डधारियों, हितग्राहियों ने बताया कि पहले 35 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 5 लीटर केरोसीन तथा प्रति व्यक्ति 500 ग्राम शक्कर प्राप्त होती थी लेकिन पिछले एक वर्ष से प्रति कार्ड 25 किलो अनाज तथा 3 लीटर केरोसीन दिया जाता हैं। इस संबंध में जब वितरक से शिकायत की गई तो उसने कहा कि ऊपर से ही कोटा कम आ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि वितरक का व्यवहार गांव के गरीबों तथा सीधे व्यक्तियों के लिए बहुत खराब है। अन्त्योदय कार्डधारियों ने बताया कि हमारे राशन कार्ड पर 35 किलो अनाज महिने में एक बार तथा 3 लीटर घासलेट प्राप्त होता हैं। ग्रामीणों ने बताया कि राशन की दुकान का वितरक सम्पन्न लोगों को उनकी मांग के अनुसार राशन तथा केरोसीन देता है लेकिन गरीब व्यक्ति को उनके हक का राशन प्राप्त करने के लिए 2–3 दिन लगातार राशन की दुकान का चक्कर काटना पड़ता है। वितरक दोपहर 11.00 बजे दुकान खोलता और शाम को 4.00 बजे बंद कर देता है। ऐसे में कई लोगों को दिन भर लाईन में खड़े रहने के बावजूद खाली हाथ घर वापस जाना पड़ता है। इस संबंध में वर्ष 2004 में ग्रामीणों ने जिला स्तर पर वितरक की शिकायतें की जिसके तहत कुछ दिन वितरण की व्यवस्था ठीक रही। पुनः अब दुकान संचालन में अनियमितता संचालन हो गई है।

सुप्रीम कोर्ट के सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली के संचालन हेतु आदेशों की समीक्षा :–

शासकीय उचित मूल्य की दुकान गरीब परिवार की खाद्य सुरक्षा में अहम् भूमिका रखती है। इस बात को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के लिए कई महत्वपूर्ण आदेश दिये। इन आदेशों तथा दुकान के संचालन की समीक्षा करे तो सार्वजनिक जन वितरण के संचालन में बहुत अनियमितता हो रही है जो इस प्रकार है –

1. सप्ताह भर दुकान खुलने की बजाए मात्र दो दिन खुलती हैं
2. प्रगति राशन कार्ड 35 किलो अनाज मिलने के स्थान पर 25 किलो राशन दिया जाता हैं।
3. राशन की दुकानों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति नहीं लगी है।
4. वितरक का व्यवहार सन्तोषजनक नहीं है।
5. किश्तों में राशन उपलब्ध नहीं हो रहा हैं।
6. दुकान खुलने का निश्चित समय नहीं है।
7. एक दिन में गेहूं, चांवल, केरोसीन तथा शक्कर एक साथ उपलब्ध नहीं होता।

ग्रामीणों के साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बताने के बाद यह बिन्दु सामने आया एक साथ राशन नहीं मिलने के कारण हमें गेहूं, चावल, मक्का, शक्कर तथा केरोसीन के लिए चार से पांच दिन तक दुकान के चक्कर कांटने पड़ते हैं जिससे हमारी 4 से 5 दिन की मजदूरी भी मारी जाती हैं साथ ही हमारी आवश्यकता से कहीं कम अनाज मिलता है।

एकीकृत बालविकास योजना :–

0–6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्रीमहिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्र शासन ने एकीकृत बाल विकास योजना प्रारंभ की। इस योजना मुख्य उद्देश्य गरीब परिवार के बच्चों तथा महिलाओं को पूरक पोषण आहार प्राप्त हो सके साथ ही बच्चों का शिक्षा के प्रति रूझान बढ़ाने के लिए अनौपचारिक शिक्षा देने का भी लक्ष्य रखा गया। बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण सुनिश्चित कराना तथा आयरन की गोलियां उपलब्ध कराने की जवाबदारी आंगनबाडी कार्यकर्ता के कार्यों में शामिल किया गया।

आंगनवाड़ी के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि गांव के दो फलिया में एक आंगनवाड़ी केन्द्र है इसलिए इस फलियो को आंगनवाड़ी फलिया कहते हैं तथा आंगनवाड़ी के तहत प्राप्त होने वाली सुविधाओं को आंगनवाड़ी फलिया के बच्चे एवं महिलाएं प्राप्त कर रही है। जबकि दूसरे फलिये के बच्चे तथा गर्भवती महिला, धात्री महिला तथा किशोरी बालिका पूरक पोषण आहार से वंचित रह जाते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पांचवीं अनुसूची क्षेत्र के हर फलिये में आंगनवाड़ी केन्द्र होना चाहिए। गरवाड़ा ग्राम के गामड़ फलिये में कुल 19 परिवार हैं जिसमें 0–6 वर्ष के 20 बच्चे हैं। ऐसे में इस फलिये में आंगनवाड़ी केन्द्र खुलने की उम्मीद मुश्किल है। इस फलिये के लोग आंगनवाड़ी फलिये में जाने में एक बड़ा नाला पड़ता है जिसका पार करके जाना पड़ता है। इसलिए इस फलिये के बच्चे एवं महिलाएं आंगनवाड़ी फलिया नहीं जा पाते और पूरक पोषण आहार से वंचित रह जाते हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियमित्ता के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि कार्यकर्ता के द्वारा पोषण आहार के रूप में दलिया तथा मुरमुरा दिया जाता है। केन्द्र प्रतिदिन अधिक से अधिक दो घण्टे खुला रहता है। ऐसे में केन्द्र दलिया वितरण का केन्द्र बनकर रह गया है शेष गतिविधियां अनौपचारिक शिक्षा टीकाकरण आयरन दवाओं का वितरण का संचालन कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं रहा है। ऐसे में अन्य गतिविधियों से बच्चे एवं महिलाएं वंचित रह जाते हैं।

अन्त्योदय अन्न योजना :–

शासन ने गांव के सबसे गरीब परिवार को 2 रूपये प्रति किलो के हिसाब से अनाज उपलब्ध कराने के लिए ग्रामसभा की सहमति से अन्त्योदय अन्न योजना के पीले राशन कार्ड जारी किये। ग्राम गरवाड़ा में इस योजना के मात्र 8 हितग्राही हैं जबकि गांव के परिवारों का आर्थिक श्रेणी करण करके एबीसी श्रेणी में विभाजित कर अतिगरीब परिवारों की सूची बनाई गई तो गांव में पांच परिवार और भी है जिन्हें हितग्राही के रूप में चयनित किया जाना चाहिए। लेकिन ग्रामसभा की निष्क्रियता के कारण ऐसे परिवारों पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा हैं। अन्त्योदय अन्न योजना के हितग्राहियों से जब राशन कार्ड के बारे में चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि 2 रूपये प्रति किलो गेहूं तथा 3 रूपये प्रति किलो चावल मिलता है तथा महिने में 35 किलो अनाज प्राप्त होता है। अनाज की गुणवत्ता के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि साल के कई माह ऐसे होते है जब अनाज बहुत खराब दिया जाता है। जब इसकी शिकायत वितरक से की जाती है तो वह कहता है तुम्हारे नाम से ही राशन ऊपर से आया है तो मैं क्या कर सकता हूं। कई बार तो तौल में गड़बड़ी की जाती है।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना :–

गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों अचानक मुखिया की मौत होने की स्थिति में सरकार 10,000 रूपये की आर्थिक सहायता तुरंत प्रदान करती है ताकि पीड़ित परिवार को एकाएक आने वाले आर्थिक संकट के दौर से बचाया जा सके। इस योजना के पहुंच के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि इस योजना के तहत पीड़ित हितग्राही के मुखिया की मौत के 15 दिन या 1 माह के अन्दर राशि प्राप्त हो जाती है। इस योजना का लाभ दिलाने में पंचायत सरपंच तथा सचिव भी अपनी ओर से अच्छे प्रयास करते है। इस योजना तक लोगों की पहुंच तो अच्छी है लेकिन इस राशि का भुगतान करते समय बैंक द्वारा बहुत धांधली की जाती है और झाबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा हितग्राहियों से सामूहिक उद्‌वहन सिंचाई योजना का ऋण वसूलने के लिए राष्ट्रीय परिवार योजना से प्राप्त 10,000/– रूपये के अनुदान में से 5,000/– रूपये के रूप में पीड़ित परिवार से ऋण वसूलने के लिए जमा करा लिये जाते है। गांव में 3–4 ऐसे परिवार है जो बैंक अधिकारियों के दबाव में आकर राशि जमा कर दी हैं। लेकिन गांव गामड़ फलिये की सीतागंगाराम ने पूरी राशि की मांग करते हुए पिछले दो वर्षों से बैंक से राशि नहीं निकाली है। इस संबंध में वह जनपद पंचायत, जिला कलेक्टर तथा बैंक अधिकारियों से चर्चा कर चुकी है लेकिन किसी नतीजे

पर नहीं पहुंच पाया। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इस योजना से प्राप्त होने वाली राशि से बैंक ऋण वसूल नहीं कर सकती है।

मध्यान्ह भोजन योजना :–

सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत् बालक–बालिकाओं को पोषण आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने वर्ष 1995 से मध्यान्ह भोजन की योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत शाला में अध्ययनरत् बच्चों को पका हुआ रूचिकर भोजन दिया जाता हैं। प्रति बच्चा 100 ग्राम अनाज प्रतिदिन के हिसाब से आवंटन किया जा रहा हैं। जिसकी गुणवत्ता में 300 कैलोरी और 18–20 ग्राम प्रोटीन के बराबर हो।

ग्राम गरवाड़ा के ईजीएस शाला में कुल 74 बच्चे दर्ज हैं। बालक 39, बालिका 35 तथा 2 शिक्षक हैं। ईजीएस शाला का संचालन पक्के भवन में हो रहा है। मध्यान्ह भोजन के लाभ के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि शाला में बच्चों को प्रतिदिन भोजन मिल रहा है। जिसके तहत बच्चों को एक मोटी रोटी तथा दाल या सब्जी दी जाती है। खाना बनाना तथा पानी लाने का कार्य गांव की ही एक महिला कर रही है। जिसके बदले उसे वेतन भी दिया जा रहा है ग्रामीणों ने बताया कि मध्यान्ह भोजन जिस दिन शाला प्रारंभ रहती है उसी दिन दिया जाता है अवकाश के दिन नहीं दिया जाता। दाल, आटा, सब्जी तथा अन्य सामग्री की व्यवस्था करने की जवाबदारी स्कूल के शिक्षक पर ही होने से माह के कई दिन ऐसे होते है जब बच्चों को पूर्णकालिन शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है शिक्षक अधिकांश समय सामग्री खरीदे तथा इस संबंध में लेखा–जोखा रखने में चले जाता है।

शाला के शिक्षक ने मध्यान्ह भोजन योजना के संबंध में बताया कि स्कूल में मध्यान्ह भोजन मिलने से बच्चों की उपस्थिति में एकाएक वृद्धि हुई है तथा बच्चों का शिक्षा के प्रति रूझान भी बड़ा है योजना के कारण शिक्षक पर एक अतिरिक्त बोझ बढ़ने से शिक्षा की गुणवत्ता में थोड़ा फर्क पड़ा है लेकिन स्कूल में दो शिक्षक होने के उपरान्त बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आया है अब शिक्षक बच्चों को पूरा समय दे पा रहे है। क्योंकि यहां पर एक नये शिक्षक की नियुक्ति हुई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून :–

ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्रिय सरकार ने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बनाया इस कानून ने प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में 100 दिन का काम उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया। प्रारंभिक दौर में देश के 200 जिले में लागू किया गया। मध्यप्रदेश के 18 जिलों में इस कानून के तहत 2 फरवरी 2006 से कार्य प्रारंभ हुआ। इन 18 जिलों में से झाबुआ जिला भी एक है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को 100 दिन का काम उपलब्ध कराकर उनकी खाद्य सुरक्षा निश्चित करने का सबसे सशक्त स्रोत है। इस कानून के माध्यम से गांव में होने वाले पलायन पर कमी लाने का प्रयास किया गया है।

इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में ग्रामीणों से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत हमारी पंचायत में तालाब निर्माण, सड़क निर्माण तथा घाट कटिंग का कार्य प्रारंभ किये गये। इन कार्यों में प्रति परिवार औसतन 17 दिन का कार्य प्राप्त हुआ हैं। इन कार्यों में नपती के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया गया है। जिससे प्रतिदिन की निर्धारित मजदूरी 61.37 पैसे जो कि बढ़कर 63/– रूपये हो गयी है। लेकिन गांव में 50–55 रूपये के प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी प्राप्त हुई है। इस संबंध में सरपंच से तथा सचिव ने बताया कि नपती से मजदूरी देने का नियम ऊपर (मध्यप्रदेश शासन) से आया है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के संबंध में ग्रामीणों से की गई चर्चा के आधार पर निम्न बिन्दु उभरकर सामने आते हैं :–

1. आठ परिवार जॉब कार्ड से वंचित हैं। शेष परिवारों के पास जॉब कार्ड हैं वंचित परिवारों को जॉब कार्ड देने के लिए पंचायत द्वारा प्रक्रिया प्रारंभ की गई हैं।
2. नौ माह में प्रति परिवार मात्र औसतन 17 दिन का कार्य मिला हैं। शेष दिन में बचे दिनों का मिलपाना संभव नहीं जान पड़ रहा है।
3. ग्रामीणों को न्यूनतम मजदूरी 61.37 से भी कम मजदूरी प्राप्त हो रही हैं।
4. मजदूरी का भुगतान 3–4 माह में हो रहा हैं। जबकि 7–15 दिन में मजदूरी का भुगतान हो जाना चाहिए।
5. कार्य स्थल पर पानी की सुविधा के अलावा अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा हैं।
6. ग्रामीणों को योजना के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं हैं।
7. ग्रामीण काम की मांग हेतु आवेदन जमा करने में पीछे हैं।
8. ग्रामीणों को किसी भी आवेदन की रसीद प्राप्त नहीं होती हैं।

यहां स्पष्ट है कि ग्रामीणों की योजना के प्रति उदासिनता तथा जानकारी के अभाव के कारण काम के लिए आवेदन वही कर रहे है। वित्तीय वर्ष में मात्र प्रतिदिन 1 दिन के काम के स्थान पर 17 दिन का काम ही प्राप्त हुआ है। शेष तीन माह में 83 दिन का कार्य मिल पायेगा कहना आसान नहीं है। प्रथम वर्ष के क्रियान्वयन स्थिति को देखकर कह सकते है कि यह कानून पलायन रोकने या खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में खरा नहीं उतरा है। इसके उचित क्रियान्वयन के लिए ग्रामीणों तथा शासन दोनों को भरसक प्रयास करने होंगे।

लालारूण्डी

लालारूण्डी :–

पेटलावद विकासखण्ड से 12 किमी. दूरी पर बसा हुआ गां लालारूण्डी पठारीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर बसा हुआ गांव है इस गांव में दो फलिये हैं स्कूल फलिया, पिपली फलिया। इस गांव पूर्णरूपेण भील आदिवासी परिवार निवास करते है कुल परिवार संख्या 71 परिवार कुल जनसंख्या 436 महिला 235, पुरूष 201।

इस गांव तक जाने के लिए पगडंडीनुमा कच्चा रोड है एवं यातायात का साधन नहीं है एवं गांव की दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जामली 2 किमी. पैदल चलकर जाना पड़ता है एवं बच्चों को कक्षा 5वीं से ऊपर की शिक्षा पाने के लिए जामली जाना पड़ता है। इस गांव के लोगों की सभी छोटी–छोटी जरूरतों की पूर्ति दूसरे गांव से होती है। जामली के अलावा लोग 5 किमी की दूरी रायपुरिया जाते है क्योंकि इनको खाद्य सामग्री अन्य सुविधा बस स्टैण्ड, दूरभाष सुविधा, विद्युत मण्डल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्व विभाग, पटवारी, हाट बाजार, मेडिकल स्टोर्स, ग्रामसेवक, लुहार, नाई एवं साहूकार इन सबके लिए रायपुरिया जाना पड़ता है। इस गांव के लोगों को पोस्ट ऑफिस की सुविधा के लिए जामली जाना पड़ता है। गांव के लोगों को पशुधन गाय, बैल, भैंस, बकरी इत्यादि की चिकित्सा के लिए पशु चिकित्सालय जामली जाना पड़ता हैं। इस गांव में एक आंगनवाड़ी केन्द्र एवं एक प्राथमिक स्कूल है।

पंचायत से जुड़े कामों के लिए दो किलो मीटर की दूरी तय करके पंचायत काजवी तक पैदल जाना पड़ता है। इस गांव में किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। गांव के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा के लिए 5 किमी. पैदल चलकर रायपुरिया जाना पड़ता हैं। इस गांव में महिला पंच पंचायत की सक्रिय भागीदारी एवं पंचायत के कामों को करवाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति :–

इस गांव में सभी भील आदिवासी परिवार निवास करते हैं एवं इनके घरों में देशी कवेलू की जगह अंग्रेजी कवेलू ने ले लिया है। क्योंकि समाज में आये परिवर्तन ने इनके रहन सहन, खान–पान, भेष–भूषा तक में परिवर्तन ला दिया है एवं गांव के चार परिवार गांव से निकलकर अपने–अपने खेतों में घर बना लिया। इस गांव के लोग अपने पूर्वजों के द्वारा बनाई गई रीति–रिवाजों प्रथाओं परम्पराओं को आज भी जिंदा रखे हुए हैं एवं इन प्रथाओं परंपराओं रीति–रिवाजों को हर्षोल्लास से मनाते हैं।

पहले की अपेक्षा इनके त्यौहारों तथा सामाजिक कार्यक्रमों में आज ज्यादा पैदा खर्च होने लगा है क्योंकि समाज के सभी पहलू समाज के परिवर्तन के दौर से अछूते नहीं हैं। इनकी प्रथा एवं परम्परा, रीति–रिवाज कैसे रह पाते। इनके रीति–रिवाजों में होने वाला खर्च इतना ज्यादा हो गया है कि उसका असर इनकी खाद्य सुरक्षा की स्थिति में विपरीत असर डालने लगा है और इनको कर्जदार एवं पलायन में जाने के लिए मजबूर करता है। इनके पास खाने के लिए अनाज नहीं होता लेकिन भील आदिवासी परिवार अपने सामाजिक कार्यक्रम तथा त्यौहारों में साहूकार से कर्ज लेकर अपने ही तरीके से मनाते हैं। इनके सामाजिक कार्यक्रमों में शादी, नुक्ता, मान, ममेरा त्यौहारों में राखी, होली, अक्षय तीज, दीपावली इत्यादि हैं एवं गांव के समझदार और गांव को एकता की भावना से जोड़कर रखने वाले परिवार अड़जी–पड़जी प्रथा को आज भी चला रहे हैं।

शादी :–

पहले भी भील आदिवासी परिवार में शादी में दापा नहीं लगता था लड़के वाले लड़की वालों को शादी के सगुन के रूप में 51 या 101 रूपये दे दिया करते थे। पहले कि शादी में लड़की लड़के से 2–3 साल बड़ी होती थीं। क्योंकि इसके प्रति लोगों की सोच थी कि बड़ी लड़की आयेगी

तो घर का एवं खेती का काम देखेगी। लेकिन आज लड़के और लड़की की उम्र में ज्यादा अन्तर नहीं रहता। पहले बान दस दिन चलता था एवं ढोल नगाड़े बजाये जाते थे। लेकिन आज बान 7 दिन का और ढोल नगाड़ों की जगह माइक ने ले ली है।

समाज में आये परिवर्तन के कारणशादी में भी परिवर्तन आ गया है। लड़की के पिता अपनी लड़की की सुरक्षा के लिए शादी में सगुन के स्थान पर दापा लेने लगे हैं। दापा में लिये जाने वाला रूपया लड़के वालों से 50–60 हजार लिया जाता हैं। इसके अलावा 10 हजार अन्य कार्यों में खर्च हो जाता हैं। लेकिन दापा देने के लिए लड़के वालों के पास पर्याप्त पैसे नहीं रहते जिसके लिए साहूकार से कर्ज लेता है एवं बदले में आभूषण व जमीन गिरवी रखता हैं तब कहीं वह दापा के लिए पैसे एकत्रित कर लेता हैं। पहले की अपेक्षा शादी में खर्च ज्यादा होता है जिस कारण से लड़के पक्ष को एक मुस्त साहूकार के यहां से कर्ज लेना पड़ता हैं।

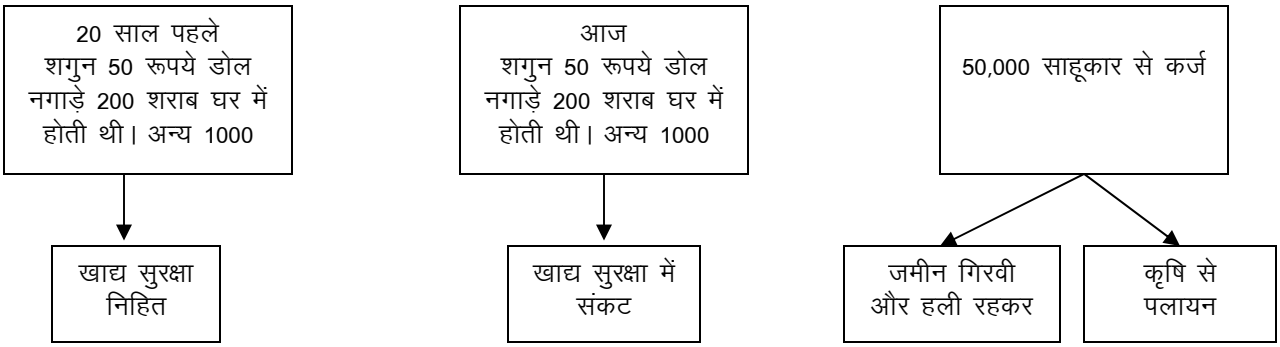

आज शादी के तुरंत बाद नवविवाहित जोड़े को दापा के लिये गये कर्ज चुकाने के लिए पलायन में जाना पड़ता है। इसलिए नवविवाहित जोड़े को घर में सुख शांति नहीं पलायन में काम करना पड़ता है।

नुक्ता :–

जब किसी परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती थी तो मृत्यु भोज कराया जाता है जिसमें पूरे गांव के लोग एवं रिश्तेदारों को भोजन कराया जाता है। इसमें महंगे–महंगे पकवान बनाया हैं। रावल एवं ओढ़ना में अलग से खर्च होता है जिसमें उस परिवार के कम से कम 15–20 हजार रूपये खर्च हो जाते हैं जिससे उसकी खाद्य सुरक्षा पूरी तरह से चरमरा जाती है। क्योंकि भील आदिवासियों के पास खाने के दो वक्त की रोटी नहीं होती ऐसे में नुक्ते के लिए 15–20 हजार खर्च करने के लिए साहूकार के यहां से अपनी जमीन एवं आभूषणों को गिरवी रखकर डेढ़ गुना ब्याज पर कर्ज लाता है एवं जरूरत पड़ने पर अपने पशुधन गाय, बैल, बकरी, भैंस तक को बेच देता हैं।

लेकिन आज से 20 साल पहले सहयोगी नुक्ता का प्रचलन था सहयोगी नुक्ते में अगर किसी परिवार के किसी सदस्य की मौत हो जाती थी तो उस गांव के सभी लोग उस परिवार की सहायता करने के लिए अपने–अपने घर से थोड़ा–थोड़ा अनाज एवं अपनी यथा शक्ति के अनुसार पैसा देते थे जिसके कारण उस परिवार में पूरा बोझ नहीं पड़ता था सबसके सहयोग से नुक्ता हो जाता था एवं इस नुक्ते में महंगे–महंगे पकवानों की जगह गांव के पकवान बनाये जाते हैं। आज भी इस गांव में 24 परिवार सहयोगी नुक्ता में आपस में सहयोग करते है।

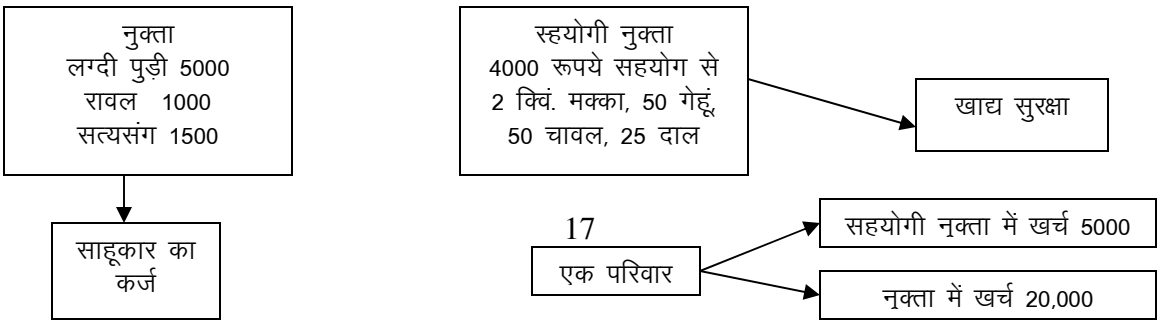

राखी :–

20 साल पहले इन भील आदिवासियों में अधिक नारियल वाली राखी का प्रचलन था जिसमें एक परिवार 100 रूपये खर्च करने पड़ते थे। आज इस अधिक नारियल वाली प्रथा के कारण 700 रूपये प्रति परिवार खर्च होता है।

लेकिन आज स्थानीय संगठन एवं संस्था के अथाह प्रयासों से इस अधिक नारियल वाली प्रथा में परिवर्तन करके एक नारियल वाली प्रथा का प्रचलन कर दिया गया है। क्योंकि इस प्रथा से प्रति परिवार 75 रूपये खर्च होते हैं। इसके पीछे कारण यह था कि इन भील आदिवासियों के पास खाने के लिए नहीं होता था। ऐसी खर्चीली प्रथाओं को मानने के लिए साहूकार से कर्ज लेते थे जिससे उनके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता चला जा रहा था। एक नारियल वाली प्रथा के विरोध में गांव के सम्पन्न व्यक्ति सेठ, साहूकारों ने अपने फायदे के लिए बहुत विरोध किया लेकिन गांव वालों को जब तक यह बात समझ में आ गई थी इसलिए इस गांव के 61 परिवार एक नारियल वाली राखी मनाते है। जबकि 10 परिवार अधिक नारियल वाली राखी मनाते हैं एक नारियल वाली राखी मनाने से उनकी कर्ज की स्थिति में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है एवं अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए अनाज उपलब्ध करने के लिए साहूकार से कर्ज लेते है।

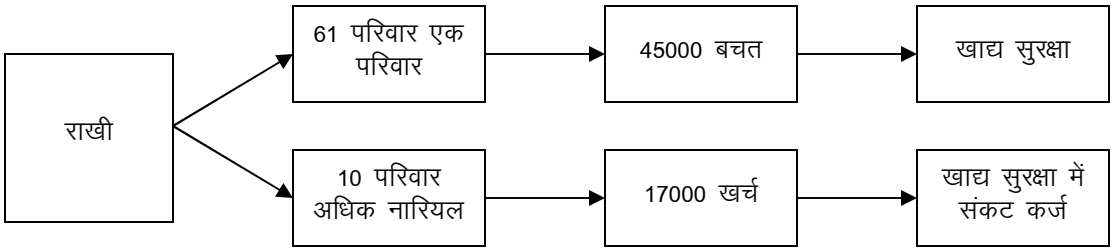

अड़जी–पड़जी :–

इन भील आदिवासी परिवार के पूर्वजों ने अड़जी–पड़जी प्रथा का प्रचलन किया था क्योंकि इस प्रथा के माध्यम से गांव में एकता एवं सहयोग की भावना बनी रहे। गांव के लोग एक–दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहे एवं विकास के बारे में गांव वाले मिलकर सोचे एवं गांव के लोगों की कृषि कार्य, बुवाई, निंदाई, गुड़ाई, कटाई, घास कटाई, दवा का छिड़काव, भवन का निर्माण इत्यादि काम अड़जी–पड़जी से करें अर्थात् कहने का सीधा अर्थ है लोग एक–दूसरे के खेतों एवं घर में काम करे काम के बदले पैसा नहीं प्राप्त नहीं होता था। जिससे काम भी समय में पूरा हो जाता था एवं पैसे की बचत भी होती थी क्योंकि किसानों के पास इतने पैसे नहीं होते थे वह मजदूरी में पैसे खर्च कर सके उसके लिए साहूकार के पास से कर्ज लाना पड़ता था। लेकिन अड़जी–पड़जी के माध्यम से लोगों के आपस में काम भी पूरे हो जाते थे एवं लोगों को पैसे नहीं देने पड़ते क्योंकि लोग एक–दूसरे की जरूरत पर काम में श्रम दान करते थे।

अड़जी–पड़जी इस गांव में 26 परिवार एवं दो स्वसहायता समूह आपस में चलाते हैं। अड़जी–पड़जी करके ये समूह और परिवार 16 हजार रूपये की बचत करते हैं क्योंकि वे अपने एवं दूसरों के कृषि कार्य में सहायता करते है लोगों को सहायता के बदले पैसे नहीं देने पड़ते जिसके लिए गांव के किसानों को साहूकार के पास से कर्ज नहीं लेना पड़ता है। कृषि कार्य के लिए कम से कम 30 दिन मजदूर की जरूरत होती है और एक मजदूर 40–50 रूपये एक दिन की मजदूरी लेता है तो किसानों के ऊपर कृषि कार्य में आर्थिक खर्च और बढ़ जाता है लेकिन अड़जी–पड़जी आर्थिक खर्च कृषि कार्य के लिए कम खर्च करती है एवं गांव में सहयोग की भावना विकसित करती है।

संसाधन एवं आर्थिक स्थिति :–

लालारूण्डी में 128 हेक्टेयर कुल भूमि हैं जिसमें से 26 हेक्टेयर जमीन सिंचित खेती के लिये उपयोग में आती है 65 हेक्टेयर असिंचित खेती की जमीन है 2 हेक्टेयर सरकारी जमीन है जिसमें खेती की जाती है 128 हेक्टेयर मे से 94 हेक्टेयर जमीन में खेती की जाती है 3 हेक्टेयर आबादी जमीन है 2 हेक्टेयर चारागाह भूमि 4 हेक्टेयर नाले की जमीन है 9 हेक्टेयर में सड़क की जमीन है इस गांव में 33 हेक्टेयर सरकारी जमीन जिसमें किसी भी प्रकार की खेती नहीं की जा सकती है जबकि गांव वाले की आय का मुख्य साधन कृषि है और उनका सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि से करती है प्रत्येक परिवार के पास औसतन 3 बीघा जमीन है जिसमें वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति और खाद्यान्न सुरक्षा निश्चित करते है।

इस गांव का प्रत्येक परिवार अपनी आर्थिक सामाजिक स्थिति को कृषि से जोड़कर देखता है क्योंकि कृषि के विकास से ही इनका विकास हो सकता है लेकिन इनके पास इतनी जमीन भी नहीं कि वह खेती से अपना विकास कर सके खेती करने के सिंचित जमीन होनी चाहिए। इस गांव में कुल सिंचाई के लिए 16 कुंए हैं लेकिन वह सूखे हुए कुएं है एक सरकारी कुआ है जिससे सिंचाई की जाती है एक नाला है जिसके पानी से बहुत कम सिंचाई होती है क्यों उसमें वर्षा के दिनों में पानी रहता है बाकी के दिनों में वह सूखा रहता है। पानी पीने के लिए गांव में दो हैण्डपम्प है जो लोगों के पीने के पानी के मुख्य आधार है जब इन हैण्डपम्पों से पानी नहीं निकलता है तो लोगों को दूर–दूर पानी के लिये जाना पड़ता है।

इस गांव में अधिकतर लाल मिट्टी है काली मिट्टी 26 हेक्टेयर बाकी लाल मिट्टी और पथरीली मुरूम वाली मिट्टी है जिसमें खेती नहीं की जा सकती है रूण्डो की जमीन पथरीली है जिसमें पहाड़ी के ऊपर और अनुपयोगी पलायन की स्थिति इस गांव के लोगों के पास कृषि के लिए जमीन की कमी और उसमें सिंचाई के साधनों की कमी ने इस गांव के लोगों को पलायन में जाने को मजबूर कर दिया है इस गांव के लोग साल के बारह महीनों में से 4 महीने पलायन में जाते हैं इस कारण इस गांव के लोगों का आय का मुख्य साधन अब पलायन हो गया इस गांव के 50 परिवार पलायन में जाते है उससे यह अपनी आय निश्चित करते है। उसके बाद इन लोगों की आय खेती में कपास एवं मक्के के द्वारा होती है लोग अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए मक्का को रखते है एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति कपास एवं टमाटर जैसे नगदी फसल से करते है।

इस गांव के लोग समुदाय में आपस में एक दूसरे के खेतों में काम करके आय प्राप्त करते है उसके बाद इन लोगों की आपके लिए सरकारी योजनाओं के माध्यम से होती है जो बहुत कम आय होती है जिसके द्वारा यह कुछ नहीं कर सकते है इनके आय के साधनों में पशु आय भी होती है जिसके घरों में पशु होते है उनके परिवार को इन पशुओं के माध्यम से होने वाली आय इनको प्रभावित करती है हालांकि यह आय बहुत कम होती है लेकिन कही न कही यह आय इनके लिए महत्वपूर्ण है।

इसलिए इस गांव की आजीविका का मुख्य साधन पलायन एवं खेती है इन्हीं के माध्यम से इस गांव के लोग अपनी खाद्य सुरक्षा निश्चित करते है। पलायन को कम करने के लिए हमें कृषि के संसाधनों एवं पानी के साधनों में विकास करना होगा और सरकारी योजना के माध्यम से आय को बढ़ाना होगा क्यों इस गांव से 30 लोग अभी भी पलायन में है पलायन में इनके आय के साथ–साथ शोषण भी होता है।

कर्ज की स्थिति :–

इस गांव में आय का साधन कृषि है लेकिन आज नगदी फसलों के आने के कारण खेती में लागत बढ़ गई है एवं उपज कम होती गई है। लोगों के पास सीनीय मजदूरी की कमी है एवं लोगों को पलायन में जाना पड़ता है। खेती के लिए बाजार से लाने वाले हाइबीड बीज, खाद, हवाई, कीटनाशक बहुत महंगे है एवं इन सब का इस्तेमाल से भी उपज कम है लोगों की लागत ज्यादा एवं लाभ कम होने के कारण लोगों के ऊपर कर्ज बढ़ गया है एवं खेतों में पानी की सिंचाई

के लिए लोगों ने उधार डीजल पम्प, मोहर पम्प लिये और विद्युत कनेक्शन लिया लेकिन गांव में पानी की कमी के कारण सिंचाई के साधनों का इस्तेमाल नहीं हो सकता है एवं गांव के लोग सिंचाई के लिए 4 माह पम्पों का इस्तेमाल करते है लेकिन इन्हें चार माह भी बिजली पर्याप्त नहीं मिलती लेकिन बिजली का बिल 12 महीनों का आता है लोगों के पास कृषि से इतनी आय नहीं होती कि बिजली का बिल जमाकर सके।

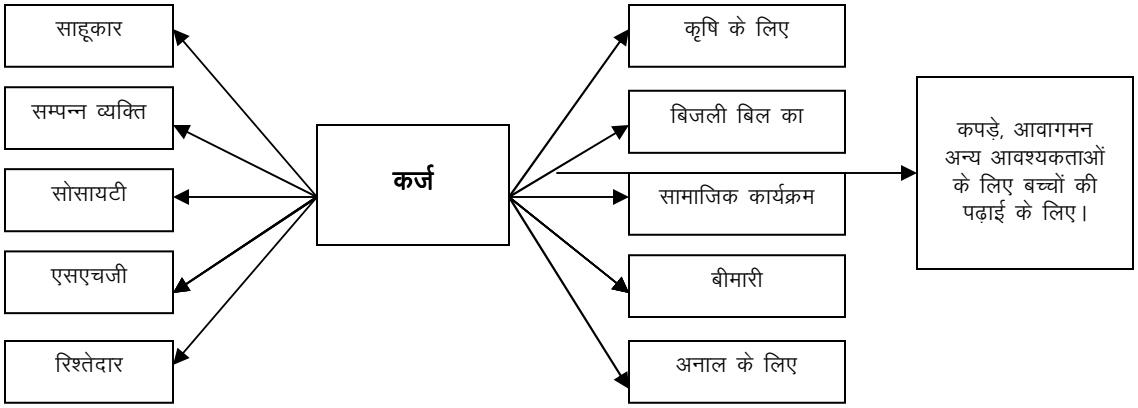

गांव के लोग अपने त्यौहारों राखी, होली इत्यादि के लिए साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है एवं सामाजिक कार्यक्रमों शादी नुक्ता मान ममेरा के लिए एक मुश्त बड़ी रकम साहूकार के यहां से जमीन गिरवी रखकर, हलीरहकर, आभूषणों को गिरवी रखकर लिया जाता है।

लोगों के पास पर्याप्त खाने के लिए नही होता है वह एसएचजी, सम्पन्न व्यक्ति, साहूकारों के यहां से सबसे ज्यादा कर्ज लाते है। 20 परिवार खाने के लिए कर्ज लेते हैं।

फसलों की स्थिति एवं खाद्य सुरक्षा की स्थिति :–

इस गांव में आज से 25 साल पहले देशी बीज का प्रचलन था एवं इन देशी बीजों, कोदरा, कागड़ी, तुअर, उड़द, मूंग, मूंगफली, देशी मक्का, ज्वार, धान, चना, सामली की खेती की जाती थी जिससे खाद्य सुरक्षा होती थी लेकिन आज नगदी फसलों के कारण देशी बीज का प्रचलन विलुप्त हो गई है एवं इनकी जगह हाइब्रीड बीजों ने ले लिया है हाइब्रीड बीजों में मक्का, कपास, टमाटर एवं मिर्च ने ले लिया है इसी कारण इस हाइब्रीड मक्का की खेती करने के कारण इनके पास 5 महीने का ही पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध रहता है बाकी के महीनों के लिए राशन दुकान एवं बाजार पर निर्भर रहना पड़ता है एवं लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे राशन दुकान एवं बाजार से अनाज खरीद कर अपनी भोजन की पूर्ति कर सके क्योंकि मक्के के अलावा इनके खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की कोई अन्य फसल नहीं होती है जबकि देशी बीज के माध्यम दो खाद्य सुरक्षा प्रदान होती है

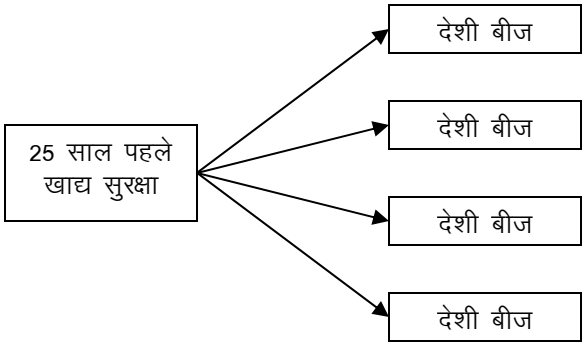

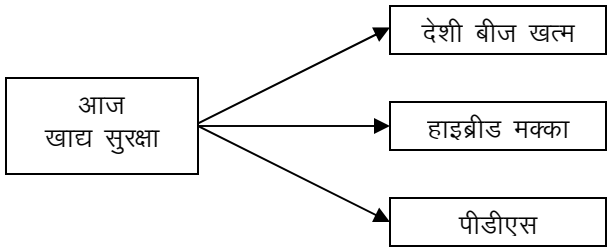

जनकल्याणकारी योजना की पहुंच :–

आंगनवाड़ी केन्द्र :–

लालारूण्डी में दो फलियो मे ंसे एक फलिये में आंगनवाड़ी है एवं इस आंगनवाड़ी केन्द्र में बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं, किशोरी बालिका इत्यादि का नाम तो दर्ज है लेकिन आंगनवाड़ हफ्ते में एक दिन ही खुलती है आंगनवाड़ी की पूरी देख–रेख आंगनवाड़ी सहायिका करती है क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तो आती नहीं है इसलिए बच्चे पूरक पोषणाहार, टीकाकरण, आयरन की गोली इत्यादि सेवाओं से वंचित रहते है।

जब गांव वालों से इस संबंध में चर्चा की तो उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी दूसरे फलिये में इसलिये बच्चों को नहीं भेजते है एवं आंगनवाड़ी काभी खुलती ही नहीं एवं जब हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का विरोध करते है तो वह सीधे कहती है जो करना हो कर लो क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ गांव के सम्पन्न वर्ग के लोग हमेशा उसका साथ देते है एवं उसकी पहुंच आईसीडीएस अधिकारी तक भी है एवं वह भी उसका साथ देती है।

हमने उसको हटाने के प्रयास भी किया लेकिन सफल नहीं रहे और आंगनवाड़ी की अनियमिता बराबर बनी हुई है एवं आंगनवाड़ी में बच्चों को हफ्ते में एक–दो दिन दलिया या मुरमुरा मिल जाता है वह आंगनवाड़ी में दर्ज सभी बच्चों को नहीं।

मिडेमिल :–

मध्यान्ह भोजन की शुरूआत शासन के स्कूल में आने वाले बच्चों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की थी। जिससे बच्चों की स्कूल में उपस्थिति में वृद्धि हुई है एवं बच्चों की शिक्षा के प्रति रूचि बढ़ी है इस गांव के दो फलियो के बीच में प्राथमिक स्कूल है जिसमें दर्ज 74 बच्चों को मध्यान्ह भोजन मिल रहा है एवं हफ्ते में एक दिन बच्चों को मध्यान्ह भोजन नहीं मिला है क्योंकि शासन की तरह से जो राशि प्राप्त होती है उसमें से हफ्ते के पूरे दिन बच्चों को भोजन नहीं प्राप्त हो सकता है एक दिन भोजन न देने का फैसला सभी गांव वालों ने मिलकर लिया है जिससे वह शिक्षकों को भी सहयोग दे एवं इस स्कूल में दर्ज बच्चे के अलावा भी अगर बच्चे जाते है तो उन्हें भोजन दिया जाता है एवं भोजन में दो रोटी, दाल, सब्जी, चावल एवं बिस्कुट का एक पैकेट दिया जाता है एवं भोजन की गुणवत्ता अच्छी रहती है एवं भोजन बनाने के लिए एक गांव की महिला की नियुक्ति की गई है एवं वह बच्चों को खाने एवं पीने के पानी की व्यवस्था करती है एवं शिक्षकों एवं अभिभावकों, पालक शिक्षक संघ के सहयोग से मध्यान्ह भोजन सभी बच्चों को मिलता है एवं स्कूल भी प्रतिदिन खुलता है एवं बच्चों की शिक्षा में भी गुणवत्ता प्राप्त होती है।

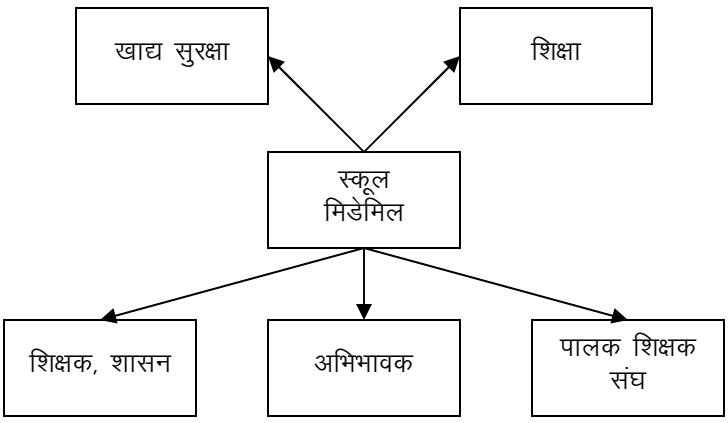

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून :–

इस योजना के तहत गांव के लोगों की खाद्य सुरक्षा प्रदान करने एवं पलायन को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी लेकिन इस गांव में 69 लोगों के पास जॉब कार्ड हैं लेकिन इनके गांव में इस योजना के तहत कोई काम नहीं हुआ है गांव वालों को अपनी पंचायत काजवी में काम खुलने पर 25 से 28 दिन का काम प्राप्त हुआ जिसमें गांव के सभी जॉब कार्ड धारकों ने भाग लिया इस गांव के जॉब कार्ड से वंचित लोगों ने जॉब कार्ड के लिए पंचायत में आवेदन जमा कर दिया है एवं जॉब कार्ड बनाने की प्रक्रिया पंचायत ने शुरू कर दी है।

इस योजना के तहत सालभर में 100 दिन का काम मिलना चाहिए जबकि 35 दिन का काम ही गांव वालों को प्राप्त हो गया इसलिए गांव के लोग 65 का काम 3 महीने में प्राप्त हो पायेगा यह किसी भी कीमत में संभव नहीं है तो लोगों को पर्याप्त काम न मिलने एवं काम की समय पर मजदूरी न मिलने के कारण पलायन में जाना पड़ता है एवं मजदूरी की रकम के लिए 4–5 महीने तक इन्तजार करना पड़ेगा। शासन द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी 61.37 पैसे भी प्राप्त नहीं होते एवं लोगों को 50–55 रूपये ही दिये जाते है। ऐसी स्थिति में योजना न तो गांव वालों को खाद्य सुरक्षा प्रदान कर पा रही है और नहीं पलायन पर रोक लगा पा रही है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना :–

इस गांव में 5 लोगों को पेंशन मिल रहा है एवं 5 लोग जो इसके पात्र है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा एवं जिसके कारण उनके परिवार खाद्य सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली :–

शासन के द्वारा गांव के गरीब एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को खाद्य सुरक्षा मुहैया करने के लिए बाजार से कम कीमत में अनाज उपलब्ध करने के लिए शुरू की गई थी।

जब गांव वालों से चर्चा की गई तो यह बात निकलकर आती है जिनके पास पीला कार्ड हैं उन्हें 2 रूपये किलो गेहूं 3 रूपये किलो चावल महीने में 35 किलो अनाज प्राप्त होता है एवं राशन की दुकान का वितरक हफ्ते में दो दिन दुकान खोलता है शुक्रवार शनिवार एवं दुकान के खुलने के दिन भी निश्चित समय में दुकान नहीं खुलती है एवं लोगों को घण्टों इन्तजार करना पड़ता है एवं राशन की गुणवत्ता अच्दी नहीं रहती है हमसे ज्यादा पैसे भी ले लिये जाते है। हमसे व्यवहार की जगह गाली दी जाती है। नीले कार्ड वालों ने बताया कि हमें महीने में 18–20 किलो ही अनाज प्राप्त होता है क्योंकि सरकार ने नीला कार्ड वालों के लिए 25 किलो अनाज कर दिया है एवं हमें 5 रूपये गेहूं 6 रूपये चावल एवं 5 रूपये मक्का मिलता है एवं राशन के वितरक हमें घण्टों लाइन में खड़ा रहने पर भी राशन नहीं मिलता है एवं हमारी उस दिन की मजदूरी का नुकसान होता है हमें राशन लेने के लिए 5 किलो पैदल चलकर आना पड़ता है एवं नीला और पीला कार्ड धारकों का 3 लीटर केरोसीन का तेल मिलता है राशन की दुकानों में बहुत अनियमितता है।

अन्त्योदय अन्न योजना :–

इस योजना के तहत ग्रामसभा के माध्यम से गांव के सबसे गरीब व्यक्ति का चयन किया जाता है जिसके माध्यम से इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके एवं वह अपनी खाद्य सुरक्षा के इस कार्ड का उपयोग कर सके जब हमने इस गांव में आर्थिक श्रेणी करण किया तो यह बात सामने निकलकर आयी की इस गांव में 7 परिवारों को इस कार्ड की जरूरत हैं लेकिन पंचायत में जब बात की गई तो पंचायत सरपंच का कहना है कि ऊपर से आदेश नहीं है क्योंकि इनकी संख्य लक्षित कर दी गई है एवं हम ज्यादा कार्ड बनाने में असमर्थ है।

भूरीघाटी

भूरीघाटी :–

पेटलावद विकासखण्ड से 30 किमी. की दूरी पर भूरीघाट गांव बसा हुआ है। भूरीघाटी पांचपिपल पंचायत का एक गांव है जो दो फलियो में विभक्त है आंगनवाड़ी फलिया और तण्डवी फलिया गांव में सभी भीली आदिवासी परिवार निवास करते हैं कुल परिवारों की संख्या 72 हैं।

भूरीघाटी के इन दोनों फलियो के बीच एक नाला है जो एक फलिया को दूसरी फलिया के बीच में है एवं बरसात के 4 महीने में कुछ ऐसे दिन भी आते हैं जब एक फलिया के लोगों का दूसरे फलिया के लोगों के साथ सम्पर्क टूट जाता है इस गांव के लिए पगडण्डी रास्ता है इस गांव में बरसात के 4 महीने में बहुत परेशानी होती है क्योंकि गांव से पक्की सड़क की दूरी 5 किमी. हैं।

गांव के लोगों को अपने जीवन की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए गांव से 12 किमी. की दूरी तय करके बेकल्दा आना पड़ता है भूरीघाटी में यातायात का कोई भी साधन नहीं क्योंकि इस गांव के लिए रोड नहीं है गांव वाले पक्के रोड से यातायात के लिए देवली जाना पड़ता है देवली की दूरी 5 किमी. हैं जो लोगों को पैदल तय करनी पड़ती है। पोस्ट ऑफिस की सुविधा के लिए 6 किमी. पैदल चलकर जाना पड़ता है। गांव वालो को बचत के रूपये जमा करने एवं गांव की वृद्ध पेंश तथा स्वास्थ्य सुविधा का लाभ पाने के लिए 22 किमी. की दूरी तय करके रायपुरिया आना पड़ता है तहसील एवं जिला कार्यालय की दूरी क्रमशः 30 किमी. और 68 किमी. है।

प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा के लिए 22 किमी. की दूरी तय कर रायपुरिया आना पड़ता है रायपुरिया आने के लिए उन्हें 4 किमी. पैदल चलकर बस पकड़नी पड़ती है एवं बीमारी ज्यादा है तो उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पेटलावद लाना पड़ता है जिसकी दूरी 30 किमी. है गांव में स्वास्थ को लेकर चिन्ता रहती है क्योंकि इस गांव के लोग जड़ी–बूटी खाकर अपनी बीमारी ठीक कर लेते थे लेकिन आज न तो जड़ी–बूटी है न ही जड़ी जड़ी–बूटी खाने के बाद भी बीमारी ठीक नहीं होती है और बीमारी में आज ज्यादा पैसा खर्च होता है जो उनके खाद्य सुरक्षा में विपरीत असर डालता है। भूरीघाटी में एक फलिया में आंगनवाड़ी है और एक फलिया में ईजीएस स्कूल है।

ब्लॉक में साक्षरता का 49 प्रतिशत है जिसमे से पुरूषों का साक्षरता 65 प्रतिशत और महिला में 34 प्रतिशत है कहने का सीधा अर्थ है महिलाओं की तुलना में पुरूष ज्यादा साक्षर है। भूरीघाटी लोग आंगनवाड़ी एवं ईजीएस स्कूल को लेकर सक्रिय है एवं अपने बच्चों को आंगनवाड़ी एवं ईजीएस स्कूल में रोज भेजते है क्योंकि वह चाहते है कि उनके बच्चे पढ़े लिखे एवं अपना विकास करें।

भूरीघाटी का नाम इसलिए भूरीघाटी पड़ा क्योंकि इसके चारो तरफ भूमि मिट्टी है एवं पठारी क्षेत्र है एवं खेती के योग्य भूमि नहं है इस गांव में पूरी भूरी मिट्टी है एवं पानी की कोई व्यवस्था नहीं भूरीघाटी के दोनों फलिये टेकरो के ऊपर बसा हुआ है। भूरीघाटी की 30 महिला सक्रिय रूप से ग्रामसभा में भाग लेती है एवं अपने गांव के विकास के मुद्दे को ग्रामसभा में रखती है।

भूरीघाटी सामाजिक स्थिति :–

भूरीघाटी में सभी भील आदिवासी निवास करते है इस गांव के सभी घरों में अंग्रेजी कवेलू छाये हुए है इस गांव की कुल परिवार संख्या – इस गांव के लोग अपने समुदाय के सभी रीति–रिवाजों एवं परम्पराओं को आज भी मानते है इस गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते है क्योंकि इस गांव के लोगों में एकता है एवं लोग अपने गांव के समग्र विकास के लिए तैयार रहते है एवं राशन की दुकान को लेकर इस गांव के लोगों में जागरूकता है एवं इस गांव के लोग अपने अधिकारों को जानने के लिए हमेशा तैयार रहते है एवं एक दूसरे की मदद

करने के लिए इस गांव के 30 परिवार अड़जी–पड़जी एवं 2 बचत समूह भी अड़जी–पड़जी प्रथा के माध्यम से मदद करते है एवं एक दूसरे की आय में वृद्धि करने का प्रयास करते है।

इस गांव के लोग अपने रीति–रिवाजों परंपराओं प्रथाओं को आधुनिक युग मे आज भी जिन्दा रखे क्यो इनका कहना है कि इनकी परंपरा रीति–रिवाज एवं प्रथाएं इन्हें एक अलग स्थान इस देश में देती है लेकिन इस महंगाई ने इनके त्यौहारों एवं सामाजिक कार्यक्रम में अब बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है जिसके कारण आज हम अपने सामाजिक कार्य{मों के कारण कर्जदार होते जा रहे है और अपने कार्यक्रमों में हम चाहते हुए कम खर्च नहीं कर सकते है क्योंकि हमें अपने समाज एवं समूह के अनुरूप खर्च करना पड़ता है।

हमारे त्यौहारों एवं कार्यक्रमों में शहरीकरण एवं बाजारवाद के कारण धीरे–धीरे करके परिवर्तन आ गया है हम लोग दूसरे समुदाय एवं समाज के साथ नजदीकियां बढ़ने लगी जिसके कारण अपने समाज की पुरानी प्रथाओं एवं दूसरे समाज की प्रथाओं को अपनी प्रथाओं में सम्मलित करते जा रहे है इस प्रकार प्रथाओं को अपने में शामिल करने का काम सम्पन्न लोग ही कर रहे है क्योंकि इसके माध्यम से वह अपना मतलब सीधा करना चाहते है। सामाजिक कार्यक्रमों में शादी, नुक्ता, मान एवं त्यौहारों में राखी, होली, अखाततीज मनाते हैं जो हमें अपने लिए करते है।

शादी :–

भूरीघाटी में पहले शादी 14 से 18 वर्ष की आयु में कर दी जाती थ और शादी में शगुन के लिए 20–30 रूपये लिया जाता था 20 साल पहले की बात है पहले शादी में लोग एक दूसरे की मदद के लिए कुछ राशि सहयोग के रूप में देते थे जिससे शादी कर पूरा भार लड़की के परिवार में न आये और लोगों को अपने लड़के की शादी में अच्छी तरह से व्यवस्था हो पहले वान 9 दिन का था जो आज परिवर्तित होकर 7 दिन का है लेकिन आज भील आदिवासी समाज में लड़के की शादी को लेकर आज आयु एवं शगुन और वान में परिवर्तन है। आज शादी में लड़के की आयु से ज्यादा लड़की की आयु होती है क्योंकि लोग लड़की की उम्र ज्यादा होने के पीछे तर्क देते है कि हमें लड़की ऐसी चाहिए जो घर का काम क सके पहले शगुन के रूप में लिया जाने वाला दापा आज इतना विकराल रूप ले लिया है 30 हजार रूपये लड़के वाले को लड़की वाले को देने पड़ते है जिसमें 20 हजार नगद एवं 7 हजार की चांदी और बाकी का पैसा उन्हें शराब एवं खाने में खर्च करते है इस समाज में लड़के वालों की शादी में ज्यादा पैसे खर्च होते है जबकि भूरी घाटी में लड़की वाले अपने घर से 5 हजार रूपये खर्च करता है।

इतना दापा लेने के पीछे लोगों की सोच यह है कि अगर हम दापा में इतने ज्यादा पैसा नहीं लेंगे तो ये लोग हमारी लड़की को छोड़ देंगे इसलिए लड़की की ससुराल में सामाजिक सुरक्षा के प्रति प्रेरित होकर लड़की वाले इतना दापा लेते हैं।

लेकिन वह यह नहीं देखते है कि लड़के वाले के पास पैसा है कि नहीं उन्हें तो अपने दापा से मतलब होता है लेकिन लड़के वाले अपने घर की जमीन एवं आभूषणों को बेचकर एवं लड़के को बन्धुआ मजदूर रखकर और पलायन में जाकर और सबसे ज्यादा कर्ज दापा के लिए साहूकार से लेते है जो अपनी इच्छा के अनुरूप ब्याज लगाकर कर्ज देता है यह कर्ज इनकी खाद्य सुरक्षा एवं खाद्यान्न भण्डारण की व्यवस्था को खत्म कर देता है और लोग भूखे रहने पर मजबूर हो जाते है लेकिन अपनी भूख वह हमेशा पर्दे के पीछे रखता है क्योंकि उसके लिए सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है।

नुक्ता :–

भूरीघाटी में सहयोगी नुक्ता चलता था और जिस परिवार में आदमी की मृत्यु हो जाती थी उस परिवार में नुक्ता के समय अपने–अपने घर से अनाज और कुछ लोग पैसा दे दिया करते थे जिसके कारण उस परिवार में नुक्ता करते समय कोई असर नहीं पड़ता है लेकिन आज सम्पन्न व्यक्तियों ने इस सहयोगी नुक्त को बन्द करके नुक्ता करते है एवं उसमें बहुत पैसे खर्च करते है

भूरीघाटी में एक परिवार नुक्ता में 20 हजार खर्च करता है जिसमें ओढ़ना में 500 रूपये लुग्दी में 5 हजार एवं रावल में 1 हजार डायचा में 3 हजार रूपये खर्च करते हैं जो सम्पन्न परिवार है वह तो नुक्ता में इतना पैसा खर्च किया।

इस गांव में लोग बहुत गरीब है उस गरीबी के हालत में 20 हजार नुक्त में खर्च करना इनके लिए बहुत बड़ी बात होती है लेकिन गांव वाले नुक्ता में इतना पैसा खर्च करते हैं एवं ये पैसे अपने पशुधन को बेचकर घर में महिलाओं महिलाओं के चांदी के आभूषण बेचकर जमीन को गिरवी रखकर पैसा साहूकार से लाते है और नुक्ता में खर्च करते है नुक्ते में खर्च करने का फायदा हमेशा सम्पन्न लोग एवं साहूकार को होता है। लोग कर्जदार बन जाते ऐसे में उनके गांव में कृषि के योग्य जमीन नहीं है कि वह इस कर्ज को खेती के माध्यम से चुका सके उनके पास केवल एक ही उपाय होता है पलायन लोग पलायन में जाकर नुक्ता के लिए कर्ज लिये गये पैसे को चुकते है वो नुक्ता का पैसा तो चुका देते है लेकिन उनके परिवार में अनाज की उपलब्धता में कमी रहती है और लोग भूखे रहते है कहने का अर्थ है कि नुक्ता में आये परिवर्तन के कारण लोगों की खाद्य सुरक्षा में विपरित असर पड़ता है लोग खाद्यान्न का भण्डारण अपनी इच्छानुसार नहीं कर सकते है इसलिए ये सामाजिक कार्यक्रम (नुक्ता) किसी भी परिस्थिति में लोगों को खाद्य सुरक्षा में अपना सीधा असर छोड़ता है। गांव के लोगों में जागरूकता आने के कारण 25 परिवार ने फिर से सहयोगी नुक्ता की प्रथा को चालू किया जिसे उनके परिवारों में खाद्य सुरक्षा में कोई बुरा असर न पड़े।

राखी :–

भूरीघाटी में राखी के साथ नारियल वाली प्रथा चलती है भूरीघाटी के 20 परिवार एक नारियल वाली प्रथा को अपनाया है जबकि 42 परिवार अधिक नारियल वाली प्रथा को अपनाया है लोगों में पहले अधिक नारियल वाली प्रथा का प्रचलन था लेकिन सम्पर्क संस्था के द्वारा आयोजित किये जाने वाले जाग्रति शिविरों एवं ग्रामोत्सव में अधिक नारियल वाली प्रथा के दुष्परिणाम से लोगों को अवगत कराया गया जब से इस गांव के 20 परिवार एक नारियल वाली प्रथा अपनाते है जिसमें मुख्यतः 100 रूपये खर्च आता है जबकि अधिक नारियल वाली प्रथा के कारण एक परिवार को 450 रूपये खर्च आते हैं लोगों ने एक नारियल वाली प्रथा अपनाकर 7000 रूपये की बचत की है।

लोग अधिक नारियल वाली प्रथा को अपने इज्जत के साथ जोड़कर देखने लगे है कि जितनी ज्यादा नारियल होगी उनकी इज्जत उतनी ज्यादा होगी चाहे उसके लिए उन्हें कितना भी पैसा खर्च करना पड़े इस अधिक नारियल वाली के कारण साहूकार एवं बनिया लोगों का फायदा हो रहा है एवं अधिक नारियल प्रथा को इज्जत के साथ जोड़ने का काम इन्हीं सम्पन्न एवं साहूकार ने किया इसलिए अपने फायदे के कारण इस एक नारियल वाली प्रथा को ज्यादा नही बढ़ाने देना चाहते क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आय में कमी होगी एवं वह इन भील आदिवासियों का शोषण इतना नहीं कर सकेंगे।

जिन परिवारों ने अधिक नारियल प्रथा अपना रखी है उनके परिवार की खाद्य सुरक्षा में बुरा असर पड़ता है एवं कुछ समय एवं कुछ दिन ऐसे आते है कि लोग भूखे सोने के लिए मजबूर होते है इसलिए एक नारियल वाली प्रथा को लोग धीरे–धीरे ज्यादा महत्व देंगे और अपनी खाद्य सुरक्षा को निश्चित करेंगे।

अड़जी–पड़जी :–

भील समुदाय में पहले से अड़जी–पड़जी प्रथा का प्रचलन था लेकिन बीच मे इस प्रथा का विलुप्तकरण हो गया था लेकिन आज भूरीघाट के लोग अपने सहयोग एवं एक दूसरे की मदद के कारण इस प्रथा को फिर से चालू कर दिया है भूरीघाटी के 20 परिवार एवचं 1 बचत समूह इस प्रथा को मानते है एवं एक दूसरो के खेत में काम करके एक दूसरे की मदद करते है जिसके

कारण लोग अपनी पथरीली जमीन में भी मक्के की खेती कर सके एवं अपनी खाद्य सुरक्षा निश्चित कर सके लोगों को अपने पशुधन के लिए चारा कटाई में भी इस प्रथा के माध्यम से कर सकते है।

अड़जी–पड़जी प्रथा के कारण इस गांव के छोटे एवं मझोले किसानों की खेती से आय बढ़ी है इसके पीछे कारण यह कि जब हम दूसरे की मदद करते है तो दूसरे भी हमारी मदद करते है जिसके कारण कृषि में मजदूरी के काम में खर्च कम हुआ है और वह खर्च इन लोगों की आय है।

पहले जो मजदूरी में खर्च करते है अब उसे अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए उपयोग करते है इसीलिए कही न कही खाद्य सुरक्षा के लिए अड़जी–पड़जी प्रथा इस तरह से खाद्य सुरक्षा निहित करवाती है जिसके कारण लोग भूखे नही सो सकते है।

भूरीघाटी

भूरीघाटी नाम से ही स्पष्ट है भूरी मिट्टी का गढ़ जहां काली मिट्टी का नाम न हो उस जगह को भूरीघाटी के नाम से जानते है भूरीघाटी में कुल 248 हेक्टेयर जमीन है जिसमें से सिंचित जमीन 2 हेक्टेयर है अन्दाज इसी से लगाया जा सकता है कि गांव वालों को रोटी के लिए क्या–क्या करना पड़ता है 39 हेक्टेयर असिंचित भूमि मिट्टी है जिसमें बड़ी मुश्किलसे एक फसल की खेती की जा सकती है 1 हेक्टेयर सरकारी जमीन में एक फसल की खेती की जाती है इस गांव में कृषि के लिये जो जमीन है वह पूरी भूरीलाल मिट्टी है एवं इस मिट्टी में पत्थरों के टुकड़े ज्यादा मिले होते है फिर भी इस गांव का भील आदिवासी समाज के लोग अपनी कड़ी मेहनत से भूरी मिट्टी में भी खेती करते है एवं किसी भी प्रकार से वह इस मिट्टी में खेती करके अपनी खाद्य सुरक्षा निश्चित करना चाहते है 1 हेक्टेयर में आबादी भूमि है 9 हेक्टेयर नाले की जमीन है 7 हेक्टेयर में कच्चे रास्ते की पगडण्डी की जमीन है। 187 हेक्टेयर ऐसी जमीन पथरीली और पठारी जमीन है जिसमें पशुओं के लिए चारा भी नहीं उगता है 1 हेक्टेयर चारागाह की भूमि है 247 हेक्टेयर मे से 41 हेक्टेयर भूमि में खेती की जाती है वह भी एक फसल की 206 हेक्टेयर की भूमि गांव वाले के किसी उपयोग में नहीं आती है इस गांव में कृषि के सिंचाई के साधन नहीं है और ऐसी जमीन में लोग किस प्रकार से खेती करके अपनी जीविका को चलाते है ऐसा तो कल्पना ही की जा सकती है।

जो जमीन है उसमें खेती के लिए एक फसल बोते है उसकी सिंचाई नाले, कुओं जिनकी संख्या 16 हैं लेकिन इनमें से 4 कुओं में पानी रहता है बाकी के कुंए सूखे पड़ जाते है एक शासकीय कुआ है तीन छोटे–छोटे तालाब है लेकिन इनमें से केवल दो तालाबों से कुछ ही जमीन की सिंचाई हो पाती है लेकिन इनके पानी का गांव वाले उपयोग नहीं कर सकते है क्योंकि इनके पास सिंचाई के साधन नहीं है। तीन उगाहट है जिनके पानी का इस्तेमाल गांव वाले खेती में सिंचाई के लिए कर सकते है। गांव वालो की खाद्य सुरक्षा के लिए एक फसल में मक्का की खेती करते है जिसके कारण अपनी खाद्य सुरक्षा निश्चित करते है।

जब खेती नहीं होती या कम होती है तो इस गांव के लोग 5 महीने पलायन में जाते हैं इस कारण से पलायन इतने ज्यादा समय के लिए करना पड़ता है एवं पलायन के माध्यम से अपनी खाद्य सुरक्षा और दैनिक जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते है एवं पलायन में जाने के पहले अगर सरकारी योजन के माध्यम से या पंचायत के माध्यम से अगर काम खुलता है तो लोग इस काम को करते है एवं अपने गांव में ही अपनी स्थानीय मजदूरी के माध्यम से अपने परिवार के लिए खाद्य सुरक्षा एवं उपयोगी सामग्री की पूर्ति करने का पूरा प्रयास करते है गांव के काम को पलायन के काम की अपेक्षा पहले प्राथमिकता देते है एवं अपने गांव में रहकर अपने काम के माध्यम से आय को ज्यादा अच्छा मानते है।

इस गांव में पशुधन आय सबसे ज्यादा बकरियों एवं मुर्गी–मुर्गों के माध्यम से होती है क्योंकि इन्हीं पशुओं के अनुकूल भूरीघाटी का वातावरण है एवं लोगों को इन्हें पालने में भी किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है एवं जब चाहे इनकी बिक्री आसानी से कर सकते है एवं अपनी जरूरतों की पूर्ति इससे कर सकते है इस गांव वाले पलायन ज्यादा करते है इसलिए बड़े जानवरों गाय, बैल, भैंसों को कम पालते हैं क्योंकि पलायन के दौरान इनको साथ में ले जाने में परेशानी होती है। इसलिए इस गांव में जीविकोपार्जन के लिए कृषि एवं मजदूरी पर लोग निर्भर रहते है। जनपद पंचायत मुख्यालय से 30 किमी. दूर पर स्थित भूरीघाटी गांव है।

सेवा सुविधाओं की स्थिति :–

भूरीघाटी में शासकीय सुविधाओं के नाम पर मात्र आंगनवाड़ी और प्राथमिक स्कूल भर है बाकी सेवा सुविधा पाने के लिए गांव वालों को अन्य गांवों पर निर्भर रहना पड़ता है स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित गांव के लोगों को बीमारी की स्थिति में गांव से 6 किमी. की दूरी बैकल्दा उपस्वास्थ्य केन्द्र तक जाना पड़ता है बैकल्दा तक जाने के लिए मुख्यतः पैदल जाना पड़ता है किसी के पास साइकल हो हो उससे जाना पड़ेगा बरसात के दिनों में इस प्रकार स्वास्थ्य की सुविधा पाने में इन्हें बहुत कठिनाइयों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है अगर इनके पशु बीमार होते है तो इन्हें भी बैकल्दा पशु चिकित्सा ले जाना पड़ता है इस गांव में एएनएम एक महीने में एक दिन या दो दिन ही आती है। एएनएम के न आने के कारण बच्चों को सही समय में टीकाकरण नही हो पा रहा है। पोस्ट ऑफिस, बैंक, फोन सुविधा माध्यमिक स्कूल से वंचित इस गांव के लोगों को 6 किमी. पैदल चलकर बैकल्दा जाना पड़ता है दैनिक जीवन की छोटी–मोटी आवश्यक खाद्य सामग्री नमक, तेल आदि के लिए बैकल्दा जाना पड़ता है या छोटी जरूरतों के लिए 3 किमी. की कच्ची सड़क पगडण्डी नुमा पर पांचपिपला तक आना पड़ता है बरसात के दिनों बैकल्दा और पांचपिपला की क्रमशः 6 और 3 किमी. की दूरी तय करने के लिए क्रमशः 5 घण्टे और 3 घण्टे लगते हैं जिससे इनका पूरा दिन प्रभावित होता है।

दैनिक आवश्यकताओं की सामग्री के अलावा खाद, बीज, दवाई, कपड़े, बैंक और हाटबाजार के लिए 3 किमी. पैदल चलकर पांचपिपला से बस पकड़कर रायपुरिया आना पड़ता है क्योंकि मुख्य बाजार रायपुरिया और पेटलावद बाजार पर पूर्णरूपेण निर्भर है जो भूरीघाटी से क्रमशः 25/30 किमी. की दूरी पर स्थित है। पटवारी, अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, पुलिस चौकी, विद्युत कार्यालय, टेलर, लुहार इत्यादि लोगों से सम्पर्क करने एवं इनसे मिलने ग्रामीणों को रायपुरिय आना पड़ता हैं। गांव में सुविधाओं का अभाव होने के कारण लोगों के अधिकतम समय सुविधा जुटाने में जाता है एवं सुविधा जुटाने में भी खर्च होता है एवं उनकी मजदूरी का नुकसान अलग से होता है इसलिए भूरीघाटी में सुविधाओं की कमी है एवं गांव के लोग सुविधा विहीन जीवनयापन कर रहे है।

दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें 15 किमी. दूर राजोद ग्राम से भी पूर्ति करते है राजोद जाने के लिए माही नदी पार करना पड़ता है।

आर्थिक स्थिति :–

ग्राम पंचायत पांचपिपला से 3 किमी. दूरी पर स्थिति इस गांव के लोगों के पास आजीविका का मुख्यसाधन कृषि, मजदूरी है सभी परिवार कृषि एवं मजदूरी के माध्यम से अपने जीवन–यापन करते है एवं इस गांव में जब आर्थिक श्रेणीकरण एबीसीडीई तक किया गया इस गांव के सीडीई श्रेणी के लोगों के पास 2–3 बीघा असिंचित भूरी मिट्टी वाली जमीन है जिसमें मक्का की फसल बड़ी मुश्किल से हो पाती है एवं अपने लिए इस जमीन से दूसरी फसल के बारे में सोचते तक नही है। इस गांव में सबके पास अधिकतर मुरूम वाली जमीन है क्यों इस गांव में 1 हेक्टेयर जमीन काली मिट्टी वाली है।

फसलों की स्थिति :–

इस गांव में कृषि क्षेत्र में आये बदलाव को देखा जा सकता है करीब 20 से 25 वर्ष पूर्व यहां के आदिवासी परिवार देशी बीज गुजरा कोदरा, कागडी, हमली, उड़द, तुअर, मूंग, मूंगफली ज्वार देशी मक्का देशी कपास चने की फसल को प्राथमिकता से अपने खेतों में लगाते थे 20 वर्ष पूर्व गाय, बैल, भैंस खूब थे उनके गोबर को अपने खेत में खाद के रूप में उपयोग लेते थे रासायनिक खाद के बारे में जानते तक नहीं थे इस गांव की मुरूम वाली जमीन में इन फसलों की पैदावार भी अच्छी होती थी एवं इन फसलों से इनकी खाद्य सुरक्षा निश्चित रहती थी क्योंकि ये खाद्यान्न के उपयोग में आती थी।

समय के साथ आये फसलों के नगदीकरण बाजारीकरण के माध्यम से आदिवासी किसानों के देशी बीज के स्थान पर आज हाइब्रीड की नगदी फसलों की पैदावर में ज्यादा जोर देने लगते है कम पानी एवं मुरूम वाली मिट्टी में पैदा होने वाली देशी बीज की फसले नगण्य के बराबर का उत्पाद किया जाता है कह सकते है 100 प्रतिशत में से अनाज इस गांव में 10 प्रतिशत देशी बीज होता है।

गांव के लोगों में हाइब्रीड एवं सकर किस्म के बीज बाजार से लेकर बोने की होड़ मची हुई है इन फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए विक्रेता द्वारा बतायी गई रासायनिक खाद तथा दवाओं का उपयोग बहुत बड़े स्तर में किया जा रहा है।

रासायनिक खाद व दवाओं के शुरूआती समय में कपास और मक्का की पैदावार बहुत अधिक हुई किसानों को फायदा भी बहुत अधिक होता था लेकिन इनका प्रभाव धीरे–धीरे खत्म होता जा रहा है लेकिन लालच के इस दौर में हाइब्रीड बीज रासायनिक खाद एवं दवाइयां लाकर हाइब्रीड फसलों की बढ़ोत्तरी होती जा रही है इनके लगाने के रकबे का विस्तार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है एवं किसान साहूकार एवं बैंक का कर्जदार बनता जा रहा है। इन सब रासायनिक खाद हाइब्रीड बीज महंगाई दवाइयां, महंगे कीटनाशकों के उपयोग से भी लगातार 3–4 वर्षों से कमी आ रही है जो आज भी जारी है इन वर्षों में गांव का प्रत्येक किसान कर्ज के बोझ में दब गया है वह अपनी मुख्य आजीविका कृषि के लिए प्रति वर्ष साहूकार एवं बैंक से कर्ज लेकर आ रहा है एवं उसके पास जो भी था वह कर्ज का ब्याज चुकान में लगा दिया है आज उसके हालात पहले से बदतर हो गये है पिछले कुछ वर्षों में की सूखा व अतिवर्षा के दौरान यहां के किसानों की फसलों की स्थिति और खराब कर दी है। पहले इनके पास खाने के लिए वर्ष भर अनाज रहता था आज के दौर में खाने के लिए 4 महीने का ही पर्याप्त अनाज उपलब्ध रहता है और इनकी खाद्य सुरक्षा निश्चित नहीं रहती है। आज भी भूरीघाटी ऐसा गांव है जो देशी बीजों को विलुप्त होने से बचाये हुए है।

पलायन की स्थिति :–

पठरीय एवं भूरी मुरूम वाली भूमि के गढ़ इस गांव के लोग कृषि के अलावा मजदूरी तथा पलायन कर सर्वाधिक आय अर्जि करते है स्थानीय स्तर पर पंचायत तथा शासन द्वारा पर्याप्त मजदूरी उपलब्ध नहीं करने की स्थितिमें गांव के 90 प्रतिशत परिवार मध्यप्रदेश के अलग–अलग जिलों समीपवर्ती राज्य राजस्थान, गुजरात की ओर पलायन करते है क्योंकि इनके पास इतनी खेती नहीं होती थी इनका साल भर का भोजन प्रापत कर लिया जाये ऐसे में पलायन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा निश्चित करने का प्रयास किया जाता है।

पलायन साल में दो बार किया जाता है पहला अक्टूबर से नवम्बर सोयाबीन कटाई के लिए दूसरा मार्च से जून तक के लिए इस पलायन के माध्यम से अपनी आजिविका चलाने के लिए लोगों का साल भर में 5 से 6 महीने पलायन में रहना पड़ता है। वही इसी गांव के ऐसे 20 परिवार हैं जो 7 से 8 महीने पलायन में रहते है एवं क्योंकि इनके पास 2–3 बीघा असिंचित भूरी मिट्टी की जमीन है जिसमें मक्का के अलावा कोई फसल नहीं होती है जो फसल होती है वह इतनी नहीं होती की इससे साल भर की खाद्य सुरक्षा निश्चित हो पलायन पहले इतना नहीं होता था क्योंकि

लोगों को खाने के लिए देशी बीज हो जाते थे इसलिए पलायन आज से 15–20 साल पहले साल भर में एक महीने का होता था एवं पलायन में केवल गांव के 20–25 पुरूष ही जाते थे एवं पलायन में केवल गांव के 20–25 पुरूष ही जाते थे एवं पलायन के दौरान लाये गये पैसों से वह अपनी दैनिक जीवन की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे पहले महिला बच्चे पलायन में नहीं जाते थे पर आज के पलायन में गांव का गांव खाली हो जाता है गांव में वही महिला पुरूष रह जाते है जो काम करने पर पूरी तरह से असमर्थ है पलायन के दौरान लोग अपने छोटे–छोटे बच्चों तक को ले जाते है एवं अन्डाडोर की देखभाल करने के लिए 6–7 परिवार में से एक सदस्य रूक जाता है जो इनकी देखभाल करता है। अगर ग्रामीणों को पलायन के पहले के काम स्थानीय स्तर पर करते है लेकिन स्थानीय स्तर में काम की कमी ही पलायन में जाने देती है जब पंचायत एवं स्थानीय निकायों में लगातार काम मिलता रहता है तो पलायन के दिनों में कमी आती है यहां का पलायन गांव के लोगों के द्वारा समूह में किया जाता है और यह समूह एक साथ एक जगह में ही मजदूरी करते है।

पलायन के कारण :–

1) कृषि के लिए संसाधनों की कमी।
2) कृषि एवं मजदूरी से सालभर की खाद्य सुरक्षा निहित नही होती है।
3) स्थानीय मजदूरी लम्बे समय के लिए नहीं होती है।
4) कृषि पर कर्ज की अधिक।
5) कर्ज की अधिकता।
6) पलायन में अधिक मजदूरी।
7) पलायन में नगद और जल्दी मजदूरी का मिलना।
8) कृषि वर्षा पर आधारित।
9) पलायन से आवश्यकताओं की पूर्ति।

आय–व्यय की स्थिति :–

यहां के भील आदिवासियों के पास आय का मुख्य साधन कृषि है लेकिन लगातार 4–5 वर्षों से कृषि में इतना उत्पादन नहीं हो रहा की इसके माध्यम से अपने दैनिक जीवन में आवश्यक सामग्री, खाद्य सामग्री, कपड़ा, आवागमन, शिक्षा की पूर्ति नहीं कर सकती है इसके लिए पलायन के माध्यम से इस गांव के लोगों की आय निहित होती है जो पलायन के माध्यम से 60 प्रतिशत आय निश्चित होती है जो अन्य स्रोतों की तुलना करे तो बहुत अधिक है हम यह कह सकते है कि आजीविका का मुख्य साधन पलायन हो गया है। दूसरे नम्बर आय में कमी आती है एवं इसके अलावा स्थानीय स्तर पर मजदूरी एवं पशुपालन मुर्गीपालन, बकरी पालन से कुछ आय प्राप्त होती है पलायन कृषि को छोड़ देते तो स्थानीय मजदूरी एवं पशुधन से 15 प्रतिशत आय निहित होती है जो खाली अन्य आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है खाद्य सुरक्षा निश्चित नहीं कर सकती है।

इनका आय का व्यय खाद्यान्न भण्डारण में सबसे ज्यादा 40 प्रतिशत होता है उसके बाद कृषि कार्यों में फिर कर्ज चुकाने में सामाजिक कार्यक्रम (दापा, नुक्ता, राखी, मान–ममेरा) एवं बीमारी में और आवागमन एवं किरान कपड़ा खरीदने में होता है इससे यह बात खुल कर सामने आती है इनके पास खाद्य सुरक्षा नहीं है, नहीं तो इनकी आय का 40 प्रतिशत खाद्य सुरक्षा के लिए अनाज खरीदने में नही होता।

कर्ज की स्थिति :–

100 में से 70 परिवार कर्जदार है साल में 1,50,000 रूपये एक परिवार के पास 3000 से 10,000 रूपये तक परिवार के पास कर्ज है। आय के निम्न स्रोत एवं सेवा सुविधा से वंचित इस

गांव का प्रत्येक व्यक्ति 5 से 10 हजार रूपये का कर्जदार है। गांव के 10 व्यक्ति 40 हजार के कर्जदार हैं कर्ज लेने के कई स्रोत हैं –

1) रिश्तेदार
2) सम्पन्न व्यक्ति
3) साहूकार
4) एसएचजी
5) सोसायटी
6) बैंक ऑफ बड़ौदा

जिन लोगों के पास 40 हजार काकर्ज था अब बढ़कर 75 हजार रूपये हो गया है यह कर्ज उद्ववहन सिंचाई योजनाके लिए दिया गया था इसमें सिंचाई के लिए मोटर इंजन एवं पाईप खरीदने के लिए 40 हजार रूपये का कर्ज दिया गया था। बैंक कर्मचारी एवं दुकानदारों के साथ सांठ–गांठ करके इन दोनों ने खूब भ्रष्टाचार किया एवं 10 हजार का पम्प 5 हजार की पाईप 40 हजार में दिये वह भी पम्प अच्छे नहीं चले और किसानों के ऊपर बेजा कर्ज चढ़ गया क्योंकि पानी की कमी के कारण उनके खेतों में पानी तो पहुंचा ही नही ऐसी स्थिति में बैंक के कर्मचारी उनके घर जाकर उन्हें धमकी देते है एवं घर और जमीन कुर्क करने का आर्डर देते है जिस कारण साहूकार के पास कर्ज लेने जाते है और साहूकार इनकी मजबूरी का फायदा उठाकर मन मुताबिक ब्याज पर कर्ज देते है।

ग्रामीण कर्ज लेने के लिए अपने रिश्तेदारों एवं गांव के या उसके आसपास के सम्पन्न व्यक्ति से लेना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें तुरन्त तथा आसानी से कर्ज उपलब्ध होता जाता है उन्हें इन लोगों के पास किसी जमानतदार को नहीं ले जाना पड़ता है जब इनके पास से कर्ज नहीं मिलपाता तो एसएचजी के पास जाते है कर्ज लेने के लिए जाते है लेकिन आवश्यकता के अनुरूप कर्ज न मिल पाने के कारण आखिरी में कर्ज लेने के लिये साहूकार के पास जाना पड़ता है साहूकार के यहां इनको कर्ज तो प्राप्त हो जाता है लेकिन ब्याज दो गुना, डेढ़ गुना लिया जाता है इन ग्रामीणों के प्रति साहूकार का व्यवहार अच्छा नहीं होता है कई बार इन्हें साहूकार का व्यवहार अच्छा नहीं होता है कई बार उन्हें साहूकार के हाथों अपमानित होना पड़ता है एवं गालियां भी सुननी पड़ती हैं लेकिन इनकी आवश्यकता इन सबको सुनने के लिए मजबूर कर देती है।

यहां के कई परिवारों ने सोसायटी बैंक एवं बड़ौदा बैंक से भी कर्ज प्राप्त किया है यह कर्ज सरकार विभिन्न योजनाओं एवं खाद बीज के नाम पर मिला है बैंक एवं सोसायटी के द्वारा दिये हुए कर्ज से ग्रामीण आज तक नहीं चुका पाये है क्योंकि बैंक और सोसायटी ब्याज पर ब्याज जोड़ताजा रहा है। लोग खाली पूरा ब्याज नहीं चुका पाते है मूलधन की बात तो दूर रही बैंक से एलआईएस एवं सोसायटी से खाद बीज के लिया गया लोन आज इनके लिए आत्महत्या का कारण तक बन सकता है कर्ज लेने की आवश्यकता :–

1) खाने के अनाज के लिए
2) खाद बीज के लिए
3) त्यौहार, सामाजिक कार्यक्रम
4) झगड़े के निपटाने के लिए
5) बीमारी के लिए

कर्ज लेने का विश्लेषण करे तो यह कारण स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे कि खाद्य सुरक्षा के लिए एवं अपनी आजीविका के मुख्य साधन कृषि के लिए यहां के ग्रामीण रासायनिक खाद, हाइब्रीड बीज दवाइयां एवं कीटनाशकों के लिए कर्ज लेते हैं उसके बाद बीमारी एवं अन्य जरूरतों के लिए कर्ज लेते है और त्यौहारों राखी इत्यादि में भी कर्ज लेना पड़ता है लेकिन लड़क की शादी में हमें

बड़ा कर्ज के रूप में 30–40 हजार रूपये साहूकार से नगद लेने पड़ते हैं शिक्षा एवं अन्य जरूरतों के लिए हमें बहुत कम कर्ज लेना पड़ता है क्योंकि स्कूल में खाना कॉपी किताब और गणावेश प्राप्त हो जाता है।

कर्ज लेने के कारण :–

ग्रामीणों से चर्चा के दौरान बताया कि कृषि हमारे जीविकापार्जन को चलाने का मुख्य संसाधन है इसके माध्यम से हम अपना घर चलाते है लेकिन प्रति वर्ष कुछ न कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि के उत्पादन में कमी आती जा रही है उत्पादन कम होते जा रही है लेकिन उत्पादन की लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है रासायनिक खाद बीज, दवा एवं कीटनाशकों का भाव बढ़ता जा रहा है और साथ में साहूकार का डेढ़ गुना ब्याज वसूलता है ऐसी स्थिति बन गयी है कि अगर खेती के अलावा किसी स्रोत से आय प्रापत होती है तो उस आय का 50 प्रतिशत साहूकार के कर्ज का ब्याज चुकाने में खत्म हो जाता है और स्थानीय स्तर में सब दिनों के लिए काम मिलता नहीं पंचायत एवं शासन गांव में लगातार कार्य प्रारीा नहीं करते है ऐसी स्थिति में जो काम स्थानीय स्तर पर होते है उनमें पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलती है जिसमें मजदूरी करते है उसे 40–50 रूपये के बीच में दिया जाता है।

शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर सही रूप से नहीं हो रहा है जिसके कारण इन योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है ऐसी स्थितिमें सरकार की योजना का लाभ पाने के लिए भील आदिवासी भटकते रहते है एवं कृषि के अलावा अन्य स्रोतों से आय उपलब्ध नहीं होती ऐसी स्थिति में इन ग्रामीणों के लिए सम्पन्न व्यक्ति और साहूकार ही भगवान का रूप ले लेते है जो इनकी जरूरत में इन्हें कर्ज देते है यह यही सोचकर उन्हें व्यवहार एवं गाली–गलौच की ओर ध्यान नहीं देते उन्हें तो मतलब रहता है कि साहूकार कर्ज कैसे देगा जब कर्ज देगा तो हमारा जीवन आगे बढ़ेगा शादी नुक्ता मान ममेरा राखी इत्यादि के लिए साहूकार से कर्ज लेना पड़ता है शादी में एक मुश्ते बड़ी रकम साहूकार से कर्ज लेनी पड़ती ऐसी अपनी जमीन तक गिरवी रखनी पड़ती है। सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति –

1) शादी
2) नुक्ता
3) राखी
4) अड़जी–पड़जी

जनकल्याणकारी योजनाओं की स्थिति :–

शासन ने समाज के गरीब तबके एवं पिछड़े वर्ग के लोगों, आदिवासी समुदाय, विकलांग, बच्चों, वृद्धों, निराश्रित, विधवा, महिलाओं को भूख एवं कुपोषण से बचने के लिए कई जनकल्याणकारी योजना चला रखी है ये योजनाएं पिछले 25 साल सेचल रही है एवं इन योजनाओं का बहुत से लोग लाभ भी ले रहे है लेकिन इन योजनाओं को जिस पैमाने में तैयार किया गया है उसके कारण बहुत से लोग इन योजनाओं से वंचित है एवं योजनाओं का जमीन स्तर में सही क्रियान्वयन नही हो रहा है इसलिए आज भी आदिवासी समाज के लोग सालभर की अपनी खाद्य सुरक्षा निश्चित नहीं कर सकते है लोगों को अपना एवं अपने परिवार का पेट पालने के लिए 5–6 महीनें के पलायन में जाना पड़ता हैं इन सभी जनकल्याणकारी योजनाओं की वास्तविक स्थिति की क्रियान्वयन एवं पहुंच को जानने के लिए पीआरए की विधियों का उपयोग किया गया है।

सार्वजनिक जनवितरण प्रणाली :–

ग्राम भूरीघाटी के ग्रामीणों को अनाज के लिए शासकीय उचित मूल्य की दुकान पांचपिपला तक 3 किमी.पैदल चलकर जाना पड़ता है यह दुकान सप्ताह में दो दिन खुलती है गुरूवार, शुक्रवार इसलिए एक महीने में 8 दिन उचित मूल्य की दुकान खुलती है बाकी के दिनों में इस

दुकान में ताला बन्द रहता है। यह दुकान सहाकरी बैंक बैकल्दा के अनतर्गत आती है इस दुकान के संचालन सम्पन्न वर्ग के लोगों के पास है इस राशन की दुकान से अनाज का लाभ पाने वाले बीपीएल–07 और अन्त्योदल अन्न योजना 12 और एपीएल–02 कार्ड धारी भूरीघाटी के है।

इस गांव के लोग गरीब होने के कारण बाजार मूल्य का अनाज खाद्य सुरक्षा के लिए खरीद पान संभव नहीं है इसी लिए गांव वालों के पास राशन की दुकान से अनाज खरीदते है एवं इस पर इनकी निर्भरता भी ज्यादा है क्योंकि इनको शासन ने इस दुकान में कम दाम में में अनाज उपलब्ध कराया है। ग्रामीणों ने चर्चा के दौरान बताया कि राशन की दुकान से हम प्रतिमाह अनाज खरीद कर लाते है पर हमारी जरूरत के अनुसार अनाज हमें प्राप्त नहीं होता है बीपीएल कार्ड धारकों ने बताया कि हमें 20–25 किलो तक अनाज मिलता है केरोसीन 3 लीटर मिलता है जब हमने वितरक से शिकायत की ओर कहा कि हमें एक महीने में 35 किलो अनाज मिलना चाहिए तो वितरक कहता है कि ऊपर से कम आ रहा है तो मैं कहा से दे दूं।

एएव्हाय कार्ड धारकों ने बताया कि हमें 2 रूपये की दर से 30 किलो गेहूं और 3 रूपये की दर से 5 किलो चावल मिला है हमे एक महीने में 35 किलो कुल अनाज प्राप्त होता है गांव के लोग बताते है कि वितरक का हम लोगों के प्रति व्यवहार ठीक नहीं है एवं वह हम लोगों के साथ गाली–गलौच तक करता है लेकिन हमारी मजबूरी हमें यह सब सुनने पर मजबूर कर देती है।

ग्रामीणों ने बताया कि पांचपिपला राशन की दुकान का वितरक सम्पन्न लोगों (पाटीदारों और ठाकुरों) की मांग के अनुसार राशन दे देता है एवं इनके प्रति इसका व्यवहार भी आदर एवं स्नेह का होता है लेकिन गरीब व्यक्ति को अपने हक का राशन प्राप्त करने के लिए राशन की दुकान का तीन–चार दिन चक्कर लगाना पड़ता है वितरक का दुकान खोलने का कोई निश्चित समय नहीं होता और लोगों को घण्टों दुकान खुलने पर इन्तजार करना पड़ता है एवं जब दुकान खुलती है तो लोगों को अपने हम का राशन पाने के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ता है और तो और यहां तक निश्चित नहीं होत की लोगों को राशन मिल ही जायेगा लोगों को निराश होकर खाली हाथ घर वापस जाना पड़ताहै आज भी राशन की दुकान संचालन में बहुत अनियमितता है।

सुप्रीम कोर्ट ने पीडीएस के सही संचालन हेतु कई आदेश दिये :–

सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि उचित मूल्य की दुकान गरीब परिवार की खाद्य सुरक्षा में अहम् भूमिका रखती है इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पीडीएस की दुकानों के संचालन के लिए कई महत्वपूर्ण आदेश दिये क्योंकि इन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब तबके एवं पिछड़े लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

1) सप्ताह भर दुकान खुलाने की बजाए मात्र दो दिन खुलती हैं।
2) प्रति राशन कार्ड 35 किलो अनाज मिलना चाहिए पर मिलता है 25 किलो।
3) सुप्रीम कोर्ट की आदेश की प्रति राशन की दुकान में नहीं लगी।
4) एएव्हाय कार्ड धारकों के प्रति वितरक का व्यवहार अच्छा नहीं है।
5) किश्तों में राश्न उपलब्ध नहीं होता है।
6) राशन की दुकान में एक दिन में गेहूं, चावल, केरोसीन, मक्का एवं शक्कर नहीं मिलता है।
7) दुकान खुलने का निश्चित समय नहीं है।
8) अनाज की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को जब ग्रामीणों को बताया गया तो उन्होंने कहा राशन की दुकान में बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार हो रहा है एवं हम गरीबों के हक का अनाज सम्पन्न वर्ग के लोगों को दिया जाता है एवं हमें एक दिन में राशन न मिल पाने के कारण तीन चार दिनों का चक्कर लगाना पड़ता है जिसमें हमारी तीन चार दिनों की मजदूरी का नुकसान होता है हमें दोनों तरह से नुकसान उठाना पड़ता है एवं हमारे हक का पूरा अनाज भी हमें नहीं मिलता है।

आईसीडीएस :–

0–6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओ , धात्री महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार उपलब्ध करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने इस योजना को प्रारंभ किया था इस योजना का मकसद गरीब परिवार के बच्चों एवं महिलाओं को पूरक पोषणाहार प्राप्त हो सके साथ ही बच्चों को स्कूल पूर्व औपचारिक शिक्षा प्राप्त हो सके एवं इन गरीब बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सके एवं संदर्भ सेवा, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जा सके बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को एएनएम के साथ मिलकर टीकाकरण किया जाये एवं गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन विटामिन आयरन की गोलियां उपलब्ध करने की जवाबदारी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को दी गई। जिससे इन महिलाओंको स्वास्थ्य सुविधा मिल सके एवं इन महिलाओं को प्रसव के पूर्व की जानकारी देती है गर्भवती महिलाओं को होने वाली एनिमिया से बचाया जा सके।

आंगनवाड़ी संचालन के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि गांव के दोनों फलियों में आंगनवाड़ी केन्द्र नहीं है। एक फलिये में आंगनवाड़ी केन्द्र है दूसरे फलिये में आंगनवाड़ी केन्द्र नहीं है इसलिये दूसरे फलिये के बच्चे, गर्भवती महिला, धात्री महिला, किशोरी बालिका के पूरक पोषणाहार से वंचित रह जाते है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पांचवी अनुसूची क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र के हर फलिये में आंगनवाड़ी केन्द्र होना चाहिए।

भूरीघाटी के तण्डवी फलिये में कुल 25 परिवार है जिसमें 0–6 वर्ष के 26 बच्चे हैं ऐसे में यहां आंगनवाड़ी खुलने की उम्मीद मुश्किल जान पड़ती है ऐसे में इस फलिया के लोगों को आंगनवाड़ी फलिये तक जाने में एक बड़ा नाला पार करके जाना पड़ता है ऐसे में इस तण्डवी फलिये के छोटे–छोटे बच्चे, गर्भवती महिला, धात्री महिला एवं किशोरी बालिका नाला पार कर के जाने में दिक्कत होती है और ये पूरक पोषणाहार से वंचित रहती है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियमितता के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि कार्यकर्ता द्वारा पोषणाहार के रूप में दलिया तथा कभी–कभी मुरमुरा दिय जाता है केन्द्र प्रतिदिन 3 घण्टे के लिए खुलती है जो ऐसे केन्द्र दलिया एवं मुरमुरा वितरण का केन्द्र बन गया है वह अपने शेष उद्देश्यों स्कूल पूर्व औपचारिक शिक्षा, टीकाकरण, आयरन दवाई, विटामिन, टिन्चर इत्यादि का वितरण का संचालन कार्यकर्ता एवं सहायिका द्वारा नहीं हो रहा है।

इसलिए आंगनवाड़ी केन्द्र दलिया व मुरमुरा वितरण का एक दुकान बन गया है शेष सेवाओं एवं गतिविधियों को कर पाने में पूरी तरह से असक्षम होता जा रहा है। आंगनवाड़ी फलिया में आंगनवाड़ी होने के कारण इसी फलिया के लोग इस योजन का पूरा लाभ इसी फलिये के बच्चों, गर्भवती महिला, धात्री महिलाओं, किशोरी बालिक को पूरक पोषणाहार स्वास्थ्य और बच्चों को स्कूल पूर्व औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर रहे है और दूसरा फलिया इस सुविधा से वंचित हो रहा है।

अन्त्योदय अन्य योजना :–

शासन में गांव के सबसे गरीब परिवार को 2 रूपये और 3 रूपये प्रति किलो के हिसाब से अनाज उपलब्ध कराने के लिए ग्रामसभा की सहमति से अन्त्योदय अन्न योजना के पीले रंग का राशन कार्ड जारी किये जाते है ये कार्ड गांव के सबसे गरीब व्यक्तियों को दिये जाते है ग्राम भूरीघाटी में इस योजना के मात्र 12 हितग्राही है जबकि गांव में जब आर्थिक श्रेणी करण करके एबीसीडीई में विभाजित कर अति गरीबी परिवारों की सूची बनायी गयी तो इस गांव में से परिवार और भी है जिन्हें इस योजना का हितग्राही बनायी जाने चाहिए लेकिन ग्रामसभा की निष्क्रियता के कारण ऐसे परिवारों पर पंचायत किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है ये लोग अपनी साल भर की खाद्य सुरक्षा निश्चित नहीं कर सकते है।

एएव्हाय के हितग्राहियों से राशन कार्ड के लाभके बारे में चर्चा की तो इन लोगों ने बताया कि इस राशन कार्ड पर हमें 2 रूपये किलो गेहूं और 3 रूपये किलो चावल मिलता है एक महीने में 35 किलो अनाज मिलता है लेकिन साल के कई महीने ऐसे होते है जिनमें आज की गुणवत्ता बहुत

खराब होती है वितरक से इस अनाज की शिकायत करे तो वह दो टूट शब्दों में कहता है कि तुम्हारे लिये ऊपर से ऐसा ही अनाज आया है तो मैं दूसरा कहा से दूंगा हमें अनाज देते वक्त तौल में भी गड़बड़ी की जाती है एवं हमें नीचे गिरे एवं बेकार अनाज तक तौल दिया जाता है।

अन्त्योदय अन्न योजना की स्थिति की समीक्षा करेंगे तो हम पाते है कि अतिगरीब 8 परिवार ऐसे है जिन्हें राशनकार्ड मिलना चाहिए था लेकिन पंचायत की निष्क्रियता तथा जनपद पंचायत द्वारा निश्चित (लक्षित) में राशन कार्ड बनाने की हिदायत के कारण वंचित परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते है किसी तरह से जिन लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है वे शासकीय उचित मूल्य की दुकान में हो रही अनियमिमता एवं धांधली के कारण लाभ पाने से वंचित है।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना :–

मड़िया मैड़ा – (शिवा) मृत्यु गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार में अचानक मुखिया की मौत से होने वाली आर्थिक संकट को दूर करने के लिए सरकार ने एक मुश्त 10,000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है यह सहायता 4 सप्ताह से एक महीने के अन्दर प्राप्त हो जाना चाहिए इस योजना के बारे में बताया कि तण्डवी पुलिया के शिवा मैड़ा की मृत्यु में उसके पुत्र मडिया मैड़ा का यह राशि प्राप्त करने मे छह महीने लगे इस योजना का लाभ पाने में सरपंचका सहयोग अच्छा सहयोग देता है एवं सचिव भी मदद करता है लेकिन इस राशि का भुगतान करने में बैंक द्वारा बहुत धांधली की जा रही है धार झाबुआ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा हितग्राही से उनका बाकी कर्ज को वसूलने के लिए राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना से प्राप्त अनुदान में से आधे पैसे श्रम के रूप में पीड़ित परिवार से जमा करा रहा है ऐसे उस परिवार को जो सहायता का पैसा आता वह बैं में चला जाता है तब उस परिवार को आर्थिक सहायता कहा से मिल पा रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उस योजना से प्राप्त होने वाली राशि से बैंक ऋण वसूल नहीं कर सकती है लेकिन बैंक वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते है।

मिडेमिलल्स :–

सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत् बच्चों को पोषणाहार उपलब्ध करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने वर्ष 1995 से मध्यान्ह भोजन योजना प्रारंभ की गई इस योजना के अन्तर्गत शाला में अध्ययनरत् बच्चों को पका हुआ रूचिकर भोजन दिया जाता है प्रति बच्चा 100 ग्राम अनाज प्रति बच्चा प्रतिदिन के हिसाब से आवंटन किया जा रहा रहा है जिससे बच्चों को 300 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन के बराबर हो ग्राम भूरीघाटी की ईजीएस में कुल बच्चों की संख्या ..... बालक.....बालिका.....

शिक्षकों की संख्या :–

इस शाला का संचालन पक्के भवन में हो रहा है मिडेमिल के लाभ के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि शाला में बच्चों को प्रतिदिन भोजन मिल रहा है भोजन में बच्चों को 1 मोटी रोटी तथा दाल एवं सब्जी पतली रहती है खाना बनाने तथा पानी लाने के लिए गांव की ही एक महिला कर रही है इस महिला को वेतन भी दिया जा रही है शाला जिस दिन लगती है उसी दिन ही मध्यान्ह भोजन मिलता है अवकाश के दिन नहीं दिया जाता है।

इस भोजन के लिए सामग्री खरीदने के लिए जवाबदारी शिक्षकों के पास है इस सामग्री की व्यवस्था करने एवं इसका लेखा–जोखा रखने में ही शिक्षक का अधिक समय चला जाता है एवं इसी कारण बच्चों को शिक्षक पर्याप्त शिक्षा नहीं दे पाते है शाला के शिक्षकों ने बताया कि मिडेमिल के चालू होने से स्कूल में बच्चों की उपस्थिति में वृद्धि हुई है तथा बच्चों को शिक्षा के प्रति रूझान बढ़ा है लेकिन इस योजना के चालू होने से शिक्षकों के पास अतिरिक्त बोझ आ गया है जिसके कारण शिक्षक स्कूल में ज्यादा समय नहीं दे पाते है।

एनआरईजीए :–

ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने 2005 में एनआरईजीए कानून बनाया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में 100 दिन का काम उपलब्ध करना सुनिश्चित किया इस योजना की शुरूआत भारत के 200 जिलों को इस कानून को लागू किया मध्यप्रदेश के 18 जिलों में इस कानून के तहत शामिल किया गया इस 18 जिलों में से झाबुआ जिला भी है।

एनआरईजीए प्रत्येक परिवार को वर्ष भर में 100 दिन का काम उपलब्ध करने की गारंटी देता है इस योजना में 100 दिन का काम देकर उस परिवार की खाद्य सुरक्षा निश्चित की जाती है खाद्य सुरक्षा के लिए अनाज खरीदने के लिए पैसा भी उपलब्ध करती है एवं इस योजना के माध्यम से पलायन पर रोक लगाने का प्रयास किया जाता रहा है।

इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में ग्रामीणों से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत हमारी पंचायत में सड़क निर्माण, तालाब निर्माण, तथा घाटी कटिंग का कार्य प्रारंभ किये गये थे इस कार्यों में प्रति परिवार औसतन 47 दिन का कार्य प्राप्त हुआ है इन कार्यों में नपती के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया गया है जिससे प्रतिदिन की निर्धारित मजदूरी 61.37 पैसे बढ़ाकर 63 रूपये हो गयी है लेकिन इनको 50–55 रूपये के प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी प्राप्त हुई इस संबंध में सरपंच तथा सचिव ने बताया कि नपाती से मजदूरी देने के नियम पर से मध्यप्रदेश शासन से आया है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते है।

भूरीघाटी में आज दिनांक 06/01/07 की स्थिति में भी एनआरईजीएएस के तहत काम चल रहा है इस गांव के लोग ज्यादा से ज्यादा काम दिलाने के लिए सरपंच एवं सचिव प्रयासरत है। एनआरईजीएस के संबंध में ग्रामीणों से की गई चर्चा के आधार पर निम्न बिन्दु सामने उभरकर आते हैं –

1) 10 परिवार जॉब कार्ड से वंचित हैं वंचित परिवारों को जॉब कार्ड देने के लिए पंचायत द्वारा प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।
2) 9 माह में प्रति परिवार मात्र औसतन 47 दिन का ही कार्य मिल सका शेष दिनों का काम तीन माह के अन्दर मिल पाना संभव नहीं है।
3) तय मजदूरी से कम मजदूरी मिलती है।
4) मजदूरी का भुगतान 4–5 महीने में हो रहा है जबकि मजदूरी 10–15 दिन में भुगतान हो जाना चाहिए।
5) कार्य स्थल पर पानी की सुविधा के अलावा अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है।
6) ग्रामीणों को योजनाओं के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है।
7) ग्रामीणों को काम की मांग हेतु आवेदन जमा करने में पीछे है।

यहां स्पष्ट है कि ग्रामीणों की योजना के प्रति उदासीनता तथा जानकारी के अभाव के कारण काम के लिए आवेदन नहीं कर रहे है वित्तीय वर्ष में मात्र प्रति परिवार 100 दिन के काम के स्थान पर 17 दिन का काम ही प्राप्त हुआ है शेष तीन माह में 83 दिन का कार्य मिल पायेगा आसान नहीं होगा इसलिए हम कह सकते है कि एनआरईजीए के माध्यम से खाद्य सुरक्षा निश्चित नहीं हो रही है एवं पलायन पर भी रोक नहीं लगा पा रही है अर्थात् योजना का क्रियान्वयन सही नहीं हो रहा है।

कचराखदान

कचराखदान :–

पेटलावद विकासखण्ड से 15 किमी. की दूरी पर स्थित ग्राम कचरा खदान है इस गांव में सभी परिवार भील आदिवासी समुदाय के है यह गांव पांच फलियों में विभक्त हैं नवापाड़ा, सिंगाड़, डामर, परमार, पटेल फलिया जिसमें कुल परिवार की संख्या 110 कुल जनसंख्या..... पुरूष..... महिला..... बालिका..... बालक.....

कचराखदान ग्राम तथा पंचायत है जो कि पठारी भूमि पर बसा हुआ है। इस गांव तक पहुंचने के लिए कच्ची सड़क एक मात्र सहारा है इस गांव तक पहुंचने के लिए यातायात की कमी है तहसील एवं जिला मुख्यालय तक जाने के लि ग्राम बनी बस स्टैण्ड आना पड़ता है कचराखदान से बनी की दूरी 3 किमी. है यह दूरी गांव वाले पैदल तय करते है पटेल फलिया वालो का बरसात के 3 महीने में ऐसे कई दिन आते हैं जब उनका सिगाड़ फलिया के लोगों के साथ सम्पर्क छूट जाता है यही हालात परमार एवं सिगाउ़ फलिया वालो का बरसात के 3 महीनों में ऐसे दिन भी आते है जब इन लोगों का पटेल फलिया डामर फलिया नवापाडा वाले के साथ सम्पर्क नहीं हो पात है।

ग्रामीणों को अपनी आवश्यकताओं जैसे राशन सामग्री, खाद्य सामग्री, दवा, खाद, बीज, कपड़े,, किराना आदि वस्तुओं के लिए मुख्य बाजार रायपुरिया में आना पड़ता है यहां के लोग अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए रायपुरिया और दैनिक जीवन की छोटी–मोटी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनी आना पड़ता है। रायपुरिया 8 किमी. और बनी 3 किमी. की दूरी पर है।

कचराखदान के व्यक्तियों के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा चिन्तनीय विषय रहता है क्योंकि गांव में किसी प्रकार की स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है एवं लोगों को बीमारी के हालत में रायपुरिया लाना पड़ता है जिसकी गांव से दूरी 8 किमी. है अगर छोटी बीमारी है तो ठीक नहीं तो उसे पेटलावद और जिला अस्पताल ले जाना पड़ता है पेटलावद की दूरी 15 किमी. एवं जिला अस्पताल की दूरी 55 किमी. की दूरी तय करना कितना कठिन होता है वह तो व्यक्ति एवं उसका परिवार जान सकता है। गांव वालों को फोन एवं बैंक सुविधा के लिए अपने गांव से 8 किमी. दूर रायपुरिय आना पड़ता है। उनको अपने लोगों को खत या पत्र लिखाकर अपने सगे संबंधी के हाल जानने के लिए पोस्ट ऑफिस की सुविधा के लिए 3 किमी. की दूरी तय करना पड़ता है जो दूरी हर वक्त पर संभव नहीं है। उनके गांव में समय से कोई पत्र पहुंच पाता है।

सामाजिक स्थिति :–

गांव में भील आदिवासी परिवार रहते है इन में से 177 परिवार 20 घरों में देशी कबेलू और 145 घरों में अंग्रेजी कबेलू और 5 घर पक्के है। लेकिन पिछले 5 वर्षों में 25 परिवार अपने खेत में कच्चा मकान बनाकर रह रहे है जो कि कचराखदान की बसाहट में परिवर्तन है। लोग खेत में मकान बनाकर इसलिए रह रहे है क्योंकि वह अपने घर से आकर अच्छी तरह से खेती नहीं कर सकते है अपनी खेती में पूरा समय देने के लि ये लोग अपने खेतों में घर बना लिया है। फसल चोरी होने का डर भी इन्हें गांव से अलग रहने पर मजबूर कर रहा है।

इस गांव में लोग अपनी पुरानी परंपराओं एवं संस्कृति को आज भी बचाकर रखे हुए है यहां का भीली समुदाय शादी में दापा, राखी, नुक्ता मान आदि रीति–रिवाजों के अलावा होली, दीपावली, दिवासा, मकर संक्रांति (तीन सकरात) दशामाता, आखातिज, जन्माष्टमी, भाईदितवार इत्यादि त्यौहारों को मनाते है लेकिन बाहरी समूह के साथ लगातार जुड़ाव, शहरीकरण एवं बाजारवाद के कारण इनकी परम्पराओं रीति–रिवाजों में आये बदलाव को देखा जा सकता है। कचराखदान के परमार

फलिया के लोग ईसाई धर्म अपनाने के कारण ईसाई धर्म के त्यौहार के साथ परम्परागत भी सभी त्यौहार मनाते हैं।

कचराखदान के लोगों को इन सामाजिक कार्यक्रमों एवं रीति–रिवाजों में बाजारवाद के कारण आज इनमें ज्यादा खर्च करते है जिसका असर इनकी खाद्य सुरक्षा पर पड़ता है पटेल फलिया के लोग शराब पीकर आपस में झगड़ा करते है झगड़ों का निपटारा कराने में इस फलिया के लोगों का ज्यादा पैसा खर्च होता है।

भील आदिवासी समुदाय में पहले से महिला एवं पुरूष को समान अधिकार प्राप्त है लेकिन आज महिलाओं की स्थिति में अन्तर आया महिलाओं में शिक्षा का स्तर कम है महिलाये न तो पंचायत के काम में सक्रिय न हो स्कूल के काम में सक्रिय नहीं है केवल वह घर का काम, बच्चों का पालन पोषण, पुरूषों के साथ खेत का पूरा काम पलायन के समय पुरूषों के साथ बराबर का काम करती है। पहले की अपेक्षा महिला अपने को आगे नहीं लाती है इस समुदाय में एक प्रथा है कि महिला खेत हल नहीं चला सकती है क्योंकि इस प्रथा का कहना है कि अगर महिला खेत में हल चलायेग तो पानी नहीं बरसेगा और खेती नही होगी।

लेकिन आज कचराखदान में 7 परिवार की महिलाओं ने इस प्रथा को तोड़ते हुए आगे आयी है एवं खेती का सम्पूर्ण काम वह अपने हाथों से करती है एवं अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है एवं अपने परिवार की खाद्य सुरक्षा निश्चित कर रही है।

शादी :–

कचराखदान में पहले शादी के लिए लड़के की उम्र 15–16 वर्ष और लड़की की उम्र 18–19 वर्ष की होती थी। जब उनकी शादी कर दी जाती थी लड़की वाले लड़के से शादी के लिए शगुन के रूप में 51–101 रूपये लेते थे। लड़की वाले इस शगुन को लड़की के लिए शुभ मानकर लेते थे पहले शादी वाना 9 दिन का होता था वाना में खाने एवं शराब में खर्च होता था लेकिन घर में महुआ उपलब्ध होने के कारण देशी शराब घर में ही हो जाती थी और खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी होता था। लेकिन आजवाना 10 दिन का होने लगा हैं जिसमें महंगे और अच्छे पकवान खाने के लिए एवं शराब पीने के लिए जिसमें लड़के वाले का खर्च ज्यादा होता है आज के दौर में शादी के लिए पहले से उम्र घटकर 15–16 साल के बीच में लड़के और लड़की की शादी कर दी जाती हैं शगुन के रूप में लिये जाने वाला रूपया आज 60 से 80 हजार रूपये के बीच में हो गया हैं। पहले शादी में ढोल नगाड़े कुण्डी बजते थे लेकिन आज इनकी जगह बैण्ड पार्टी, माईक ने ले ली है। जिसमें 2 हजार का खर्च होता हैं।

लड़के वालों के पास दापा देने के लिए पैसे नहीं होते तो वह साहूकारों के पास अपनी जमीन गिरवी रखकर आभूषणों को बेचकर लड़के को बंधुआ मजदूर रखकर रकम कर्ज के रूप में लेते है दापा में यह रकम देने पर लड़के की शादी तो हो जाती है लेकिन इस रकम का कर्ज चुकाने के लिए लड़के को हली रहना पड़ता है या पलायन पर जाकर दापे की रकम चुकाना पड़ता है परिणामस्वरूप लड़के की शादी में परिवार को खुश होना चाहिए लेकिन उस परिवार में खुशी की जगह कर्ज का बोझ आ जाता है और परिवार अपनी पूरी ताकत उस कर्ज को चुकाने में लगा देता हैं। क्योंकि इन लोगों के पास आय के संसाधन सीमित होते है कर्ज ज्यादा होता है इस स्थिति में इनके पास पलायन, बंधुआ मजदूरी एवं जमीन की बिक्री ही कर्ज चुकाने का माध्यम रहती है। जिसके कारण उसके परिवार में खाने के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं रहती क्योंकि उनके पास न तो भोजन के लिए अनाज उपलब्ध रहता और जो आय आती है उसका 60 प्रतिशत हिस्सा कर्ज चुकाने में चला जाता है ऐसी स्थिति में उसकी खाद्य सुरक्षा नहीं हो पाती है और उसके परिवार की शादी उस परिवार की खाद्य सुरक्षा पर विपरीत असर डालती है। इसलिए इस दापा की प्रथा ने खाद्य सुरक्षा में विपरीत असर डाला है।

नुक्ता :–

पहले इस गांव में सहयोगी नुक्ता चलता था जिस पर किसी के परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर गांव वाले उसके नुक्ते के लिए अपने घर से थोड़ा–थोड़ा अनाज एवं कुछ पैसे उस परिवार को देते थे जिसके कारण उस परिवार में खर्च कम आता था और उसकी आर्थिक एवं खाद्य सुरक्षा की स्थिति बनी रहती थी और उसे नुक्ते के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ता था लेकिन आज सहयोगी नुक्ता का प्रचलन बंद हो गया है और उसकी जगह नुक्ते ने ले लिया है। अब अगर किसी परिवार की किसी सदस्य की मृत्यु होती है उसके नुक्ते में गांव में सहयोग नहीं करते और नुक्ते का पूरा खर्च उसी परिवार को उठाना पड़ता है पहले की अपेक्षा नुक्ते में आजकल 25–30 हजार रूपये के बीच खर्च होता है जिस परिवार के पास खाने के लिए दो वक्त की रोटी नहीं होती वह परिवार इतना पैसा खर्च करने के लिए साहूकार के यहां कर्ज के रूप में पैसे लाते हैं एवं अपनी जमीन को गिरवी रखते है आभूषणों एवं पशुधनों को बेच देते हैं तब जाकर नुक्ता करते है एवं इसके बावजूद भी वह कर्जदार रहता है एक नुक्ता उनके परिवार को बहुत ही दैनिय स्थिति में ला देता है और उनके परिवार की खाद्य सुरक्षा निहित नहीं रहती एवं उनको अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए साहूकार से कर्ज, पलायन एवं अपने लिए शोषण कर रहे सम्पन्न व्यक्तियों के पास कर्ज लेना पड़ता हैं। एक नुक्ते ने उनके पूरे परिवार की खाद्य सुरक्षा को नष्ट करके रख देता है और लोगों को भूखे मरने के लिए मजबूर कर देता हैं।

आज नुक्ते में ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करने की होड़ सी मची है क्योंकि लोग नुक्ते में खर्च पैसे को अपनी समाज एवं गांव में स्थिति और पद प्रतिष्ठा को जोड़कर देखते और अपनी खाद्य सुरक्षा की ओर ध्यान न देते हुए साहूकारों से कर्ज पर कर्ज लेते जा रहे है और कर्ज के बोझ के तले इतने दब चुके है कि अपने पूरे परिवार को सालभर दो वक्त की रोटी नहीं दे सकते।

राखी :–

पहले एक नारियल वाली राखी का प्रचलन था सभी बहने अपने पूरे परिवार के लिए एक नारियल वाली राखी मानती थी जिसमें 130 रूपये खर्च होते थे लेकिन बीच में और आज में इस एक नारियल वाली प्रथा में परिवर्तन आकर अधिक नारियल वाली प्रथा का चलन शुरू है जिसमें एक परिवार को 720 रूपये खर्च होते हैं जो उनके लिए सही नहीं है क्यों लोग आज इतने सम्पन्न नहीं है कि इस प्रथा का प्रचलन बन्द कर क्योंकि आज सम्पन्न वर्ग के लोग इस प्रथा को बन्द नहीं करने देते है क्योंकि इस प्रथा के प्रचलन से उनका फायदा है लेकिन मारा तो गरीब तबका ही जा रहा है एक नारियल वाली प्रथा का फिर से 30 परिवार ने अपनायाहै।

भील समाज में पहले जो भी थी वह उनके विकास में बाधक नहीं थी लेकिन समाज के सम्पन्न व्यक्तियों और बाजारवाद के कारण इन प्रथाओं में ऐसा परिवर्तन आया कि भील समुदाय के आय का व्यय इन प्रथाओं में ज्यादा होने लगा और लोग अपने पूर्वजों की बनाई गई इन प्रथाओं को छोड़ना नही चाहते। लेकिन सम्पन्न वर्ग, सम्पन्न व्यक्ति इन प्रथाओं के बीच में परिवर्तन करके अपने आय का मुख्य साधन बना लिया है। भील आदिवासियों में साक्षरता एवं जागरूकता की कमी है जिसके कारण लोग अपनी इन परम्पराओं को सब कुछ मानते है एवं अपनी आय से ज्यादा व्यय करते हैं चाहे वह जिस प्रकार से प्राप्त हो। क्योंकि ये अपनी पूर्वजों की बनाई गई प्रथा को छोड़ना नहीं चाहते चाहे इसके लिए इन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े एवं कुछ भी करना पड़े लेकिन इनका ध्यान अपनी खाद्य सुरक्षा एवं भोजन की पूर्ति की ओर इन सबके बाद जाता है क्योंकि यह आदिवासी समुदाय अपने आगे के जीवन के बारे में कभी सोचता नहीं है।

अड़जी–पड़जी :–

भील आदिवासी पूर्वजों के द्वारा इस समाज में सहयोग एवं एकता के साथ एक दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अड़जी–पड़जी प्रथा की शुरूआत की गई थी। गांव वाले जिससे एक समूह में रहे एवं अपने विकास के मायनों को समझे और विकास के माध्यम खेती में एक दूसरे

की मदद करे और इसके द्वारा अपने गांव के समग्र विकास को करने का प्रयास करे और आपस में भाईचारा और एकजुटता रखें और कृषि कार्यों भवन निर्माण इत्यादि में आपस में श्रम का दान करें।

जब किसी परिवार को काम के लिए अधिक लोगों की जरूरत हो तो गांव वाले आपस में मिलकर उस परिवार के कामों में सहायता करते थे और जब दूसरे परिवार को काम की जरूरत होती थी तो पहले परिवार वाले लोग उसका काम करते थे यह काम जैस निंदाई, कटाई, बुवाई, गुड़ाई, भवन निर्माण, पानी ढुलाई इत्यादि कामों के लिए अड़जी–पड़जी के माध्यम से करते थे। लेकिन आज लोगों में आपसी मनमुटाव एवं एक–दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा अड़जी–पड़जी प्रथा को बन्द होने की कगार में ला दिया है जिस कारण लोगों में एकता सहयोग एवं भाईचारे की भावना खत्म हो गई हैं और लोगों को कृषि में आये परिवर्तन के कारण कृषि से लाभ हुई जिस कारण से कृषि में कार्य करने के लिए लोग धन देकर मजदूर लगाने लगे और अन्ततः कृषि कार्य में लागत बढ़ती गई इसका असर किसान की खाद्य सुरक्षा एवं आर्थिक स्थिति पर सीधे–सीधे असर पड़ा। इस प्रथा के बन्द होने के कारण छोटे किसानों की आय कम हुई एवं कृषि में लागत ज्यादा आयी और उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि खेतों में कार्य कर रहे मजदूरों को पर्याप्त मजदूरी दें तो इन किसानों को साहूकार के यहां से कर्ज लाकर कृषि कार्य में कार्य कर रहे लोगों को मजदूरी देनी पड़ी क्योंकि कृषि कार्य में कम से कम 40 दिन का काम खेतों में रहता है तो एक दिन का 45–50 रूपये भी मजदूरी दें 1200 रूपये छोटे किसान के परिवार को इतले रूपये खर्च करने पड़ते हैं।

अड़जी–पड़जी प्रथा के चलते ये रूपये छोटे एवं मझौले किसानों को नहीं खर्च करने पड़ते क्योंकि उनके सारे काम आपस में श्रम दान से हो जाते और इन श्रम दान से जो पैसा बचता उससे वह अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए उपयोग में ला सकता था।

कचराखदान के 60 भील आदिवासी परिवार एक सहेली बचत समूह एवं एक साथी बचत समूह की महिला और पुरूषों द्वारा अड़जी–पड़जी प्रथा करके 30 हजार रूपये की बचत हर साल की जाती है।

संसाधन एवं आर्थिक स्थिति :–

कचराखदान में कुल 476 हेक्टेयर जमीन है जिसमें 310 हेक्टेयर जमीन सरकारी है 310 हेक्टेयर में से 271 जमीन किसी काम की नहीं है क्यों वह पूरी जमीन परत एवं पथरीली जमीन है जो पठारों के रूप में होने के कारण कृषि के काबिल नहीं है 13 हेक्टेयर की भूमि में कच्ची सड़क और पगडण्डी रास्ता है 24 हेक्टेयर की भूमि में नाला की जमीन है 4 हेक्टेयर पशुओं के लिए चारागाह है 3 हेक्टेयर में आबादी भूमि 119 हेक्टेयर सिंचित काली मिट्टी की जमीन है जिसमें खेती की जाती है। 39 हेक्टेयर असिंचित भूमि है जिसमें एक फसल की खेती की जाती है औसतन इस गांव में एक परिवार के पास दो तीन बीघा जमीन है इस गांव की बसाहट पठारों ऊपर बसी हुई है इस गांव के लोगों के पास जमीन और कृषि सिंचाई के लिए साधन भी उपलब्ध हैं। लेकिन संसाधन सीमित लोगों के पास ही उपलब्ध है क्योंकि यह लोग सम्पन्न है लेकिन छोटे मझौले किसानों के पास सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है जिससे उनके खेतों में पानी की कमी होती हैं और फसल की उपज पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती पहले इस गांव में देशी बीजों एवं देशी मक्के की खेती की जाती थी। जिसमें पानी कम लगता था और उपज अच्छी होती थी खाद्य सुरक्षा की भी पूर्ति होती थी लेकिन बाजारवाद और शहरीकरण के जुड़ाव के कारण इन देशी बीजों की जगह हाइब्रीड मक्का, हाइब्रीड कपास और जैनित्र टमाटर की खेती की जाती है जिसमें महंगी खाद, दवाई, कल्चर, कीटनाशक और बहुत ज्यादा मात्रा में पानी की जरूरत होती हैं इस गांव की भूमि को सिंचाई के लिए गांव में स्थित नाला 8 कुंए, 3 टयूबवेल और 4 छोटे–छोटे तालाब के माध्यम से होती है। जिन लोगों के पास सिंचाई के पूरे साधन उपलब्ध है वे हाइब्रीड मक्का, कपास, टमाटर की खेती करते हैं और खेती के माध्यम से अपनी आजीविका चलाने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन खाद्य सुरक्षा और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि आय से पूरी नहीं हो सकती जिस कारण से

लोगों को मजदूरी एवं पलायन पर जाना पड़ता है क्योंकि कृषि के अलावा इनकी आर्थिक एवं भौतिक और खाद्य सुरक्षा को निश्चित करने के लिए इन्हें स्थानीय मजदूरी, पंचायती मजदूरी एवं पलायन पर विशेष तौर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि कृषि में लागत बढ़ी है किसान कर्जदार हुए है स्थानीय एवं पंचायती मजदूरों की कमी है और विकास के और खाने की पूर्ति के लिए इन्हें पलायन पर जाना ही होता हैं। क्योंकि पलायन की आय से भोजन और खाद्य सुरक्षा की पूर्ति करते है, कर्ज चुकाते है।

फसलों की स्थिति :–

इस गांव की फसलों में पुराने समय और आज के समय आये परिवर्तन को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है क्योंकि विकास के दौर में समाज में परिवर्तन आया जिस कारण से इनके रहन–सहन, खान–पान एवं खेती में भी परिवर्तन आया क्योंकि पहले इस गांव में देशी मक्का उड़द, कोदरा, कांगड़ी, मूंग, धान, चावला, गुजरो, तिल की बुवाई बहुत होती थी। जिससे इन लोगों की कार्य सुरक्षा बनी रहती थी लेकिन समाज में परिवर्तन के दौर में इनकी भौतिक आवश्यकताएं एवं मौद्रिक आवश्यकताएं, खाद्यान की आवश्यकताएं ज्यादा हुई हैं इसी कारण लोगों ने देशी बीज एवं देशी फसलों को छोड़कर हाइब्रीड फसलों और नगदी फसलों को अपना लिया है क्योंकि इनके माध्यम से अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं। देशी बीजों की खेती करते समय लागत बहुत कम होता था उपज अच्छी होती थी लेकिन बाजारवाद और हरित क्रांति ने रासायनिक खादों, दवाइयों, कीटनाशकों, हाइब्रीड बीजों ने खेती में लागत बढ़ा दिया है और उपज कम कर दी है क्योंकि प्रति साल कोई न कोई प्राकृतिक आपदा सुखा या अति वर्षा हो जाती है और खेती से लोगों को पर्याप्त उपज नहीं हो पाती है।

पहले देशी फसल सबसे ज्यादा होती थी जिसके कारण गांव के लोगों की खाद्य सुरक्षा निश्चित होती थी लेकिन आज हाइब्रीड फसलों और नगदी फसलों के कारण लोग खाद्य सुरक्षा प्रदान करने वाली फसलों को लगाना बंद कर रहे है जिस कारण से उनकी खाद्य सुरक्षा पूर्णरूपेण प्रभावित हो रही है पहले साल भर की खाद्य सुरक्षा प्राप्त होती थी लेकिन बाजारवाद फसलीकरण निजीकरण के कारण आज हाइब्रीड फसलों और नगदी फसलों के कारण 6–7 महीने की ही खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो पा रही हैं और भोजन पाने के लिए लोगों को बाहरी स्रोतों पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। बाहरी स्रोतों से अनाज प्राप्त करने के लिए इन परिवारों के पास 10–13 हजार रूपये का कर्ज लेना पड़ता है।

पलायन की स्थिति :–

काली मिट्टी के धनी इस गांव के लोगों की आय का मुख्य साधन कृषि है इसी कृषि से लोगों की आजीविका चलती है और इसके बाद गांव के लोग स्थानीय स्तर एवं पंचायत की मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाने का प्रयास करते है लेकिन न तो कृषि के लिए पर्याप्त स्थानीय स्तर में मजदूरी की कमी इस गांव के लोगों को पलायन में जाने को मजबूर करती है क्योंकि पलायन के माध्यम से उन्हें काम मिलता है एवं उनकी खाद्य सुरक्षा निश्चित होती है एवं लोगों को पलायन के दौरान बाहर के शहरों एवं समीपवर्ती राज्यों में ज्यादा और पर्याप्त काम मिलता है पलायन से इन्हें आय होती है उसका उपयोग खाद्य सुरक्षा एवं कर्ज को चुकाने में प्रयास किया जा रहा है।

इन भील आदिवासियों का पलायन साल में दो बार होता है पहला पलायन अक्टूबर–नवम्बर दूसरा पलायन मार्च–जून एवं लोगों के पलायन के माध्यम से जीविका चलती है पलायन के दौरान इनका शोषण भी किया जाता है लेकिन शोषण होने के बावजूद लोग पलायन में जाते है क्योंकि उनके गांव एवं आसपास उन्हें पर्याप्त मात्रा में काम एवं पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलती है इस गांव के लोग जो सीमान्त कृषक है वह वर्ष में 2 महीने के पलायन में जाते है लेकिन जो गरीब तबका है वह साल में 4–5 महीने का पलायन करता है पलायन इनका शौक नहीं मजबूरी है क्योंकि गांव में लोगों के पास 3–4 बीघा जो जमीन है वह असिंचित भूमि हैं फसल में उत्पादन कम

लागत मात्र है। जमीन है एवं उस जमीन में खेती कर सकते है खेती में इतनी उपज नहीं होती कि वह अपनी खाद्य सुरक्षा एवं दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति कर सके इसके लिए इन्हें पर्याप्त मजदूरी एवं पर्याप्त काम मिलना चाहिए लेकिन इनको न तो पर्याप्त मजदूरी मिलती है और न ही पर्याप्त काम। जब से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बना है और इसके माध्यम से पंचायत में लोगों को काम मिलने लगा है उस कारण से लोगों के पलायन के दिनों में कमी देखी जा रही है लोग पलायन को बीच में छोड़कर अपने गांव आ रहे है काम करने के लिए।

पलायन को बढ़ावा देने वाले कारक –

– पर्याप्त काम

– अच्छी मजदूरी

– शहरी जीवन की भावना

– भौतिक आवश्यकता की पूर्ति

– स्थानीय एवं पंचायत में काम की कमी

आय व्यय की स्थिति :–

यहां के आदिवासियों के पास आय का मुख्य साधन कृषि हैं। कृषि से प्राप्त आय से अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताएं खाद्य सामग्री, आवागमन बीमारी किराना इत्यादि की पूर्ति कृषि आय से नहीं हो रही है जब कृषि से आय पूर्ति नहीं होती है उस वक्त अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति मजदूरी एवं पलायन से प्राप्त आय से होती है पलायन से 35 प्रतिशत आय होती है जबकि कृषि से 35 प्रतिशत आय एवं इसके बाद आप के साधनों में स्थानीय मजदूरी पंचायत की मजदूरी और पशुधन से होती है। कृषि के बाद पलायन आज भी आय का मुख्य साधन है पशुधन स्थानीय मजदूरी से केवल इतनी आय होती है कि दैनिक जीवन की छोटी–मोटी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते है। अगर हम देखे तो औसतन इस गांव के लोगों की आय 12–15 हजार रूपये होगी।

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय के व्यय का विश्लेषण करे तो यह साफ तौर पर दिखता है कि इन भील आदिवासी परिवार की आय का व्यय सबसे ज्यादा खाद्य सामग्री जुटाने में खर्च होता है उसके बाद इनका खर्च खेती एवं खेती के लिए कर्ज चुकाने में खर्च होता है एवं इसके बाद इनके आय का बहुत बढ़ा हिस्सा इनके सामाजिक कार्यक्रमों एवं त्यौहारों (शादी, नुक्ता, मान ममेरा, राखी होली) में खर्च होता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है सामाजिक कार्यक्रम एवं त्यौहारों में होने वाले खर्च इनकी खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करते है इसलिए हमें इनके सामाजिक कार्यक्रमों में होने वाले इतने खर्च में कमी लाने का प्रयास करवाना पड़ेगा जिससे इनकी खाद्य सुरक्षा निश्चित हो सके इसके बाद इनकी आय का व्यय बीमारी में होता है लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी इन्हें आज बीमारी में होने वाले खर्च के माध्यम से कर्जदार बना रही है क्योंकि गांव में किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा नहीं उपलब्ध है एवं लोगों को पहले जैसे जड़ी–बूटी का भी ज्ञान नहीं रहा है। शेष बची आय का उपयोग किराना, आवागमन कपड़े इत्यादि छोटी–मोटी जरूरतों को पूरा करने में चल जाता है इनकी आय का एक पैसा बचत नहीं कर पाते है एवं जरूरत पड़ने पर साहूकार से कर्ज लेते है कर्ज के सहारे अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते है और अपना जीवन–यापन करने का प्रयास हमेशा करते है। क्योंकि अपनी आय में से कुछ बचत करना इन्होंने कभी सीखा नहीं क्योंकि इनके पूर्वजों ने कभी बचत नहीं की और न ही बचत करना सिखा है।

खाद्य सुरक्षा की स्थिति :–

इस गांव में भील आदिवासियों के लिए खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्यतः मक्का पर निर्भर रहते है क्योंकि इनकी खाद्य सुरक्षा मक्के से ही होती है। लोगों को आज से 15–20 साल पहले खाद्य सुरक्षा के लिए मक्के के अलावा देशी बीज कोदरा, कांगड़ी हाल, ज्वार, मूंग, उड़द, मूंगफली एवं देशी सब्जी का उपयोग करके अपनी खाद्य सुरक्षा निश्चित करते है क्योंकि बीजों के साथ–साथ

देशी मक्का भी बहुत होता था इन सबसे खाद्य सुरक्षा निश्चित करते है क्योंकि बीजों के साथ–साथ देशी मक्का भी बहुत होता था इन सबसे खाद्य सुरक्षा होती थी एवं उस जमाने में खाने के लिए घी दूध दही भी मिलता था क्योंकि लोगों के पास जानवर बहुत थे लेकिन न आज जानवर है न ही पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए घी दूध है देशी बीजों के विलुप्ती की ओर अग्रसर है ऐसे में इन फसलों की जगह विदेशी मक्का विदेशी कपास एवं टमाटर ने लिया है अब लोग शहरीकरण एवं औद्योगिकरण के कारण नगदी फसल लगाने लगे है अपनी खाद्य सुरक्षा की ओर ध्यान नहीं जाता है लोगों के पास खाने को हो जाये न हो वह पहले खाद्य सुरक्षा वाली फसल नहीं लगायेगा वह नगदी फसल कपास टमाटर पहले लगता है।

पहले ये आदिवासी अपने खाने के लिए खाद्य फसलों का भण्डारण कर लेते थे लेकिन पिछले कुछ वर्ष में आयी प्राकृतिक आपदाओं ने इनकी खाद्य भण्डारण की व्यवस्था को तोड़ कर रख दिया लोगों को बाजारीकृत खाद्य व्यवस्था पर निर्भर कर दिया लोग अपनी पूरी खाद्य सुरक्षा के लिए बाजार पर निर्भर होते जा रहे है खाद्य सुरक्षा देने वाली फसल विलुप्त होगी तो उसका सीधा असर इस समाज की खाद्य सुरक्षा पर पड़ेगा लोगों को मक्के के साथ–साथ आज बाजार से गेहूं चावल अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए खरीदने पड़ते है जबकि लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते की बाजारीकृत खाद्य सुरक्षा से वह अपनी सालभर की खाद्य व्यवस्था निश्चित कर सके।

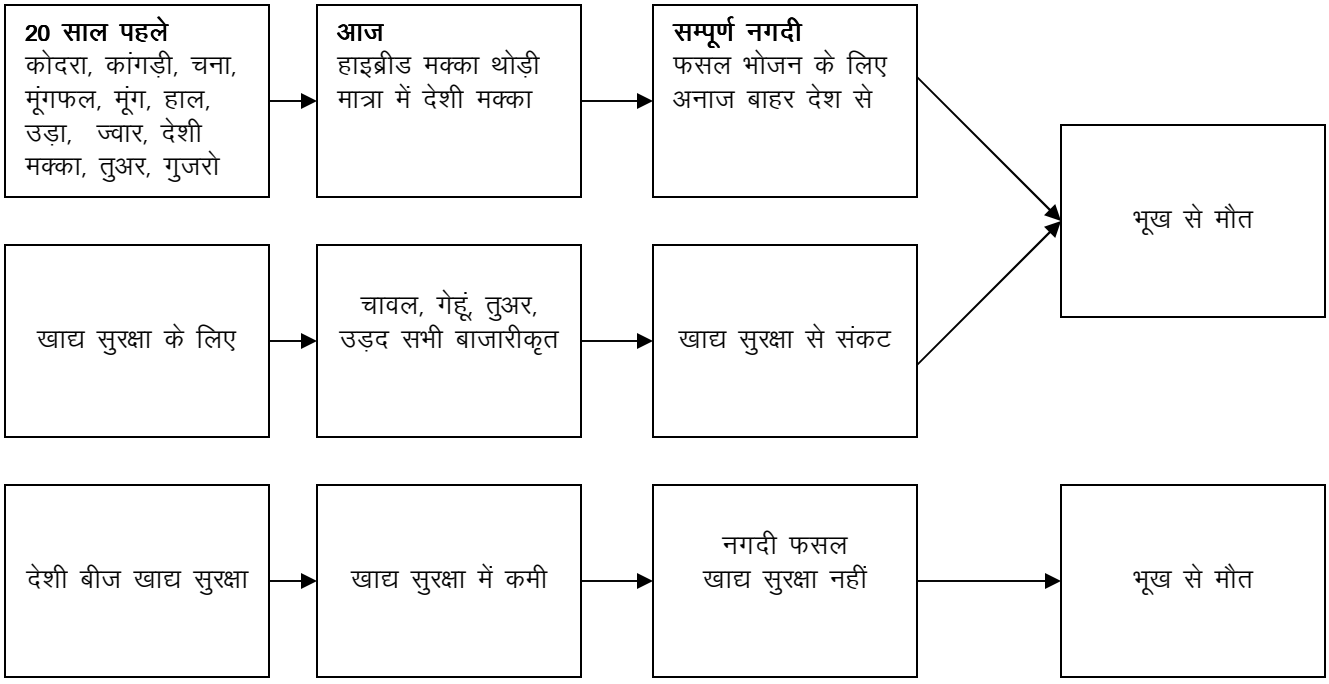

कर्ज की स्थिति :–

आय के स्रोत एवं सुविधाओं में महरूम इस गांव का प्रत्येक व्यक्ति औसतन 10–12 हजार रूपये का कर्जदार है। गांव वालों के पास अपनी जीविका चलाने का मुख्य साधन खेती ह लेकिन आज आधुनिक युग में खेती करने की फसलों एवं खाद बीज में परिवर्तन आ गया है पहले लोगों के पास देशी बीज बोते इनमें बहुत कम लागत मेंउपज होता था लेकिन आज आये इनमें परिवर्तन देशी बीज की जगह नगदी फसलों ने ले लिया लोग आज जल्दी से जल्दी अपना विकास करने की होड़ में नगदी फसलों पर निर्भर हो गये है आज नगदी फसल का बीज, खाद, दवाई, कीटनाशक इत्यादि साहूकार के यहां से कर्ज लेना पड़ता है क्योंकि इन आदिवासियों के पास इतने पैसे नहीं की ये सब नगद खरीद सके साहूकार भी अपनी मन मुताबिक रेत पर इन्हें बेचते है

जिससे नगदी फसलों में लागत बढ़ती है एवं इन फसलों में शुय के 2–3 वर्षों में लोगों को फायदा हुआ जिससे सभी भील आदिवासी किसानों का रूझान नगदी फसल की खेती की ओर बढ़ा है ऐसे लोगों ने साहूकार के यहां से कर्ज लेकर इस प्रकार की खेती की ओर बढ़ा है ऐसे लोगों ने साहूकार के यहां से कर्ज लेकर इस प्रकार की खेती का रकबा बढ़ा है लेकिन इतनी महंगी खाद एवं दवाई उपयोग करने के बाद भी जमीन वह उपज नहीं दे रही जो उसे देना चाहिए ऐसे किसी साल प्राकृतिक आपदाओं सूखा अतिवर्षा ने भी इस नगदी खेती को नुकसान पहुंचाया लेकिन उसका सीधा असर किसानों पर पड़ा वह साहूकार के कर्जदार हो गये एवं इन फसलों में लागत बहुत बढ़ती जारही उपज कम होती जा रही है जिससे किसान दिन प्रतिदिन कर्जदार होता जा रहा है खेती के अलावा इनके घरों में होने वाले सामाजिक कार्यक्रम एवं त्यौहार इन्हें कर्जदार बना रहे है क्योंकि इनके पास आय के साधन बहुत सीमित है लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रमों में खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है ऐसे लोग साहूकार से कर्ज लेकर अपने सामाजिक कार्यक्रम एवं त्यौहार मनाते है लोगों को साहूकार अपनी इच्छा के अनुरूप ब्याज लगाकर कर्ज देता है लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हर ब्याजदर पर कर्ज ले लेते है कर्ज चुकाने का मुख्या साधन कृषि है एवं कृषि से आय उतनी नहीं हो रही जितनी की हम अपेक्षा करते है ऐसे लोगों पास कर्ज पर कर्ज चढ़ता जा रहा है अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसकी दवाई के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है एवं साहूकार और सम्पन्न व्यक्ति के पास से ही कर्ज प्राप्त होता है अगर वह व्यक्ति बीमारी से ठीक हो गया तो अच्छा नहीं तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है एवं वह परिवार कर्जदार भी उसे दोनों तरफ से दुख प्राप्त होता है।

इस गांव के लोग सोसायटी बैंक के सबसे ज्यादा कर्जदार है क्योंकि लोगों ने अपने कृषि के लिए खाद बीज के लिए कर्ज लिया लेकिन कृषि में उपज न होने के कारण कर्ज नहीं चुका सके और यह कर्ज ब्याज सहित इनके ऊपर बढ़ता ही जा रहा है लोगों ने अपनी छोटी–मोटी आवश्यकता की पूर्ति के लिए रिश्तेदारों से कर्ज लिया है उन लोगों से कर्ज लेने के श्रोतो में से कर्ज के लिए किसे प्राथमिकता देते है तो लोगों ने कहा कि हम साहूकार को सबसे ज्यादा प्राथमिकत देते है क्योंकि हमारे आसानी जल्दी और बैजर किसी जमानतदार के हमे कर्ज मिल जाता है लेकिन कर्ज सबसे पहले रिश्तेदार फिर सम्पन्न व्यक्ति और एसएचजी से लेने का प्रयास करते है लेकिन उनमें उतनी आसानी एवं जल्दी से कर्ज नहीं मिलता है क्योंकि इनके पास हर वक्त पैसा हाथ में नहीं होता है एवं कुछ समय लग जाता है।

अतः कृषि का मुख्य साधन आजीविका चलना है लोगों में आजीविका के लिए कर्ज तो लोगे ही आज कृषि में लागत एवं मजदूरी के दिनों की संख्या बड़ी है लोगों ने आपस में सहयोग देना बन्द कर दियाहै मजदूरी के दिनों की संख्या बढ़ी है लोग आपस में सहयोग न करके पैसे में मजदूरी करते है अब पहले जैसे संयुक्त परिवार नहीं रहे इसलिए मजदूरों के दिनों की संख्या में वृद्धि हुई है एवं अपने प्रयास एवं इन महंगी दवाई खाद बीज और पानी की लागत में पैसे में वृद्धि किया और इनके उत्पादन बीज की कीमत भी कम होती है फसलों को लाते वक्त इनकी कीमत आसमान छुती है लेकिन विक्रय मूल्य बहु होता है।

कर्ज के लिए प्राथमिकता

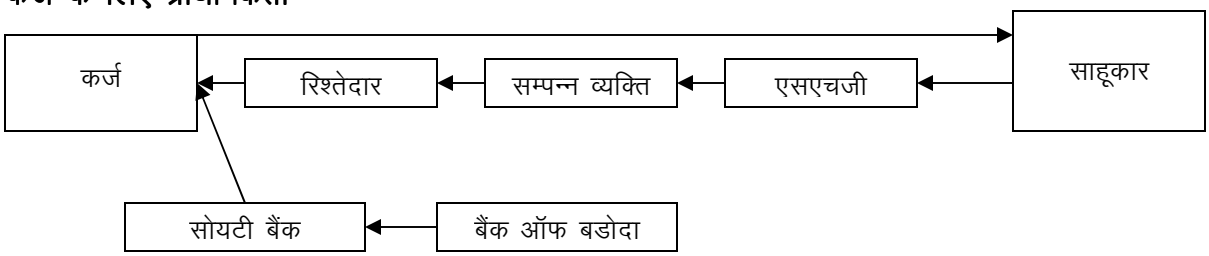

कर्ज कुछ समय के लिए

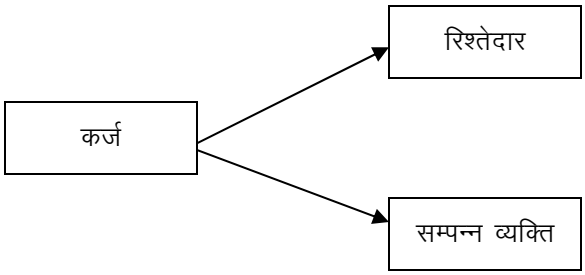

ज्यादा दिनों का कर्ज

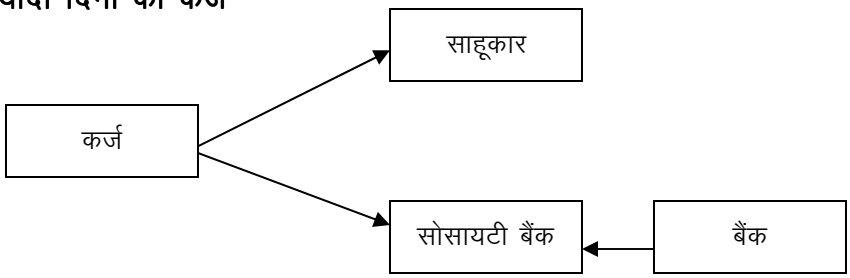

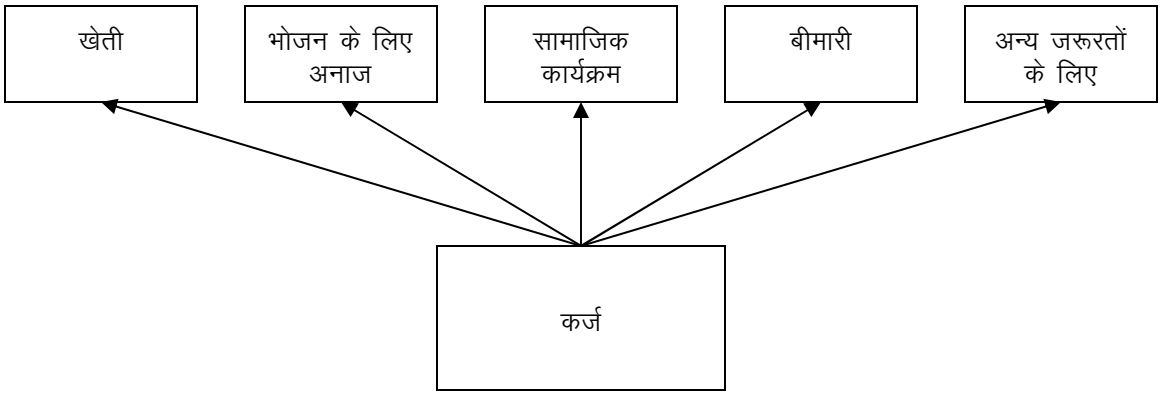

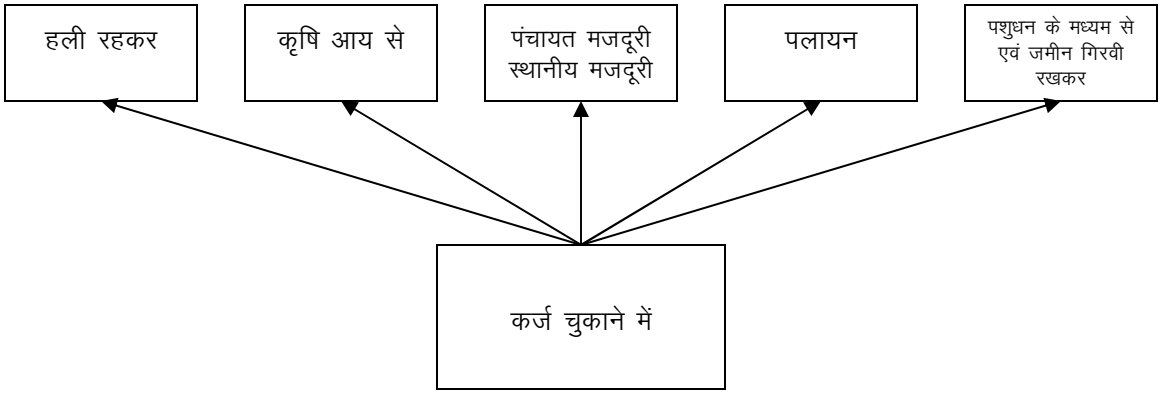

जन कल्याणकारी योजना की पहुंच की स्थिति :–

शासन के द्वारा समाज के पिछड़े एवं गरीब तबके के लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कई जनकल्याणकारी योजना शुरू की गई इन योजनाओं के माध्यम से सरकार का उद्देश्य का कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए याने समाज के हर व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा निश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने इन योजनाओं का बड़े पैमाने में लागू किया और बहुत लोगों को इन योजना का लाभ मिल रहा है लेकिन इसका दूसरा पहलू भी सबके सामने है इन योजनाओं का जमीनीस्तर में सही क्रियान्वयन न होने के समाज का एक पक्ष आज भूखा सोता है एवं अपने खाने के लिए दो वक्त की रोटी नहीं जुटा सकता है उसमें सरकार की योजना की ओर निहारता रहता है कि हमें कब लाभ मिलेगा सरकार ने 0 मृत्यु तक के तहत खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए योजना चला रही है।

आंगनवाड़ी :–

0–6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं, किशोरी बालिका की खाद्य सुरक्षा निश्चित करने के लिए सरकार ने आंगनवाड़ी के माध्यम से इन सबके लिए पूरक पोषाहार की व्यवस्था की जिसमें 0–6 के बच्चों को दलिया मुरमुरा के साथ स्वास्थ्य एवं स्कूल पूर्ण की औपचारिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए एवं इनकी साफ सफाई और स्वास्थ्य का ध्यान दिया जाये।

कचराखदान के नवापाड़ा (गुण्डिया पुलिया) में आंगनवाड़ी है जिस आंगनवाड़ी से नवापाड़ा एवं कुछ बच्चे सिगाड़ फलिया के इसका लाभ उठाकर पूरक पोषणाहार प्राप्त कर रहे है बाकी फलियों के बच्चे पूरक पोषणाहार, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी से वंचित है वंचित होने के पीछे कारण यह है कि खापाड़ा फलिया और तण्डवी, सिगाड़, डामर, परमार, फलिया के बीच बड़ा नाला है जिसमें से गां वाले अपने उनसे छोटे–छोटे बच्चों को आंगनवाड़ी नहीं भेजते और नहीं गर्भवती महिला, धात्री महिला एवं किशोरी बालिका पूरक पोषण आहार पाने से वंचित है क्यों मां–बाप को इस नाले से डर लगता क्योंकि इसमें पानी रहता है और इस तरह से डामर, परमार फलिया के पूरे बच्चे गर्भवती महिला, धात्री महिला पूरक पोषणाहार के साथ–साथ स्वास्थ्य एवं स्कूल पूर्व शिक्षा से वंचित रहते है।

आंगनवाड़ी में दर्ज बच्चे (कबरर्ड बच्चे)	**आंगनवाड़ी** (अनकबरर्ड बच्चे 60)	**पूरक पोषणाहार पाने वाले बच्चे** **वंचित बच्चे**

नवापाड़ा पुलिया का आंगनवाड़ी प्रतिदिन 3 घण्टे के लिए खुलता है एवं उसमें दर्ज बच्चों दलिया एवं मुरमुरा दे दिया जाता है एवं गर्भवती, धात्री और किशोरी बालिकाओं को भी पूरक पोषणाहार दे दिया जाता है लेकिन ये सब इसी नवापाड़ा पुलिय के होते है बाकि सब फलिये के एक उपआंगनवाड़ी केन्द्र से पूरक पोषणहार प्राप्त कर सकते है लेकिन इस उपआंगनवाड़ी केन्द्र में सभी को पूरक पोषणाहार भी नहीं मिलता है उपआंगनवाड़ी कार्यकर्ता का व्यवहार भी सबके प्रति अच्छा नहीं रहता है कहने का अर्थ है कि आंगनवाड़ी से दलिया प्राप्त होता है बाकि की सेवा एवं गतिविधियों से सभी हितग्राही वंचित रहते है। आंगनवाड़ी केन्द्र दलिया वितरण केन्द्र बनकर रह गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में हर फलिये (टोली) में आंगनवाड़ी केन्द्र होना चाहिए। लेकिन कचराखदान के पास फलियो में 1 आंगनवाड़ी 1 उपआंगनवाड़ी है तो दलिया एवं मुरमुरा वितरण का कार्य करते है आंगनवाड़ी के माध्यम से टीकाकरण विटामिन गोली वितरण, आयरन गोली वितरण संख्या समूह सीपन ये सब गतिविधियां नहीं होती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की समाज में अच्छी पकड़ होने के कारण लोग उसके विरूद्ध कुछ बोलने को तैयार नहीं उनका कहना है कि बच्चों को प्रतिदिन दलिया या मुरमुरा मिलता है

यह उनके लिए काफी है आंगनवाड़ी आज अपने उद्देश्य से भटकता जारहा है क्योंकि बच्चों को दलिया तो मिलता है लेकिन न तो शिक्षा मिलती है औ न ही वह उस केन्द्र से कुछ सीख पाते हैं।

आंगनवाड़ी के उद्देश्य	**आज गांव के आंगनवाड़ी**	**वंचित लोग एवं सेवा**
पूरक पोषणाहार, विटामिन, आयरन, टीन्चर, संदर्भ सेवा टीकाकरण, शाला पूर्व औपचारिक शिक्षा, कुपोषण रहित बच्चे, किशोरी बलिका शिक्षा।	दलिया, मुरमुरा, 2 फलिये	3 फलिया 150 बच्चे, 20 किशोरी बालिका, टीकाकरण, संदर्भ सेवा, आयरन गोली, विटामिन

आंगनवाड़ी केन्द्र पूरक पोषणााहार के अलावा अन्य सेवा प्रदान करते है तो बच्चों गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं, किशोरी बालिका के लि उपयोगी है क्योंकि भोजन के अलावा आंगनवाड़ी के माध्यम से बहुत सी योजन प्रशिक्षणों और जागरूता की जानकारी मिलती है।

आंगनवाड़ी में पूरक पोषणाहार के साथ खाद्य सुरक्षा देना एवं लोगों को अपने विकास के अवसरों के बारे में बताना एवं सरकार के अन्य विभागों के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं में समन्वय स्थापित करके उसका जमीनीस्तर में क्रियान्वयन करवाना।

मिडेमिल :–

स्कूलों में मध्यान्ह भोजन शुरू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य था स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना एवं उनको स्कूल में माध्यम से खाद्य सुरक्षा प्रदान करना इस मध्यान्ह भोजन का उद्देश्य एक बच्चे को एक दिन में 100 ग्राम पका हुआ भोजन उपलब्ध करना जिससे उसका स्वास्थ्य का विकास हो एवं शिक्षा में उसकी रूचि रहे एवं गरीब तबके के बच्चों को खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो सके।

मिडेमिल के प्रारंभ से ही स्कूल में बच्चों की संख्या में वृद्धि देखी गई इस गांव के स्कूल में खाना बनाने के लिए महिला को नियुक्त किया गया है तो बच्चों के लिए भोजन बनती है एवं उसे वेतन मिलता है भोजन बनाना एवं पीने के पानी की व्यवस्था करना इसका कर्त्तव्य है भोजन बनाने में लगने वाली सामग्री को खरीददारी करना शिक्षक की जवाबदारी है लेकिन इससे लेखा–जोखा में लगे रहते है उनके पास इसके अलावा भी गैर शैक्षणिक काम होते है वह बच्चों के लिए कम समय निकल पाते है इस स्कूल में मध्यान्ह भोजन में 1 रोटी चावल दाल सब्जी और एक–एक पैकेट बिस्किट प्रति बच्चे को मिलता है अवकाश के दिन बच्चों को मिडेमिल प्राप्त नहीं होता है जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है साल के 365 दिनों में 280 दिन मिडेमिल बच्चों को मिलना चाहिए एवं सूखा वाले क्षेत्रों में पूरे साल मिडेमिल मिलना चाहिए।

सार्वजनिक जनवितरण प्रणाली :–

सार्वजनिक जनवितरण प्रणाली शुरू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य गरीब तबके एवं समान के पिछड़े वर्ग व्यक्ति को बाजार मूल्य से कम दाम में राश उपलब्ध करना जिसकी सहायता से लोग अपनी खाद्य सुरक्षा प्राप्त कर सके क्योंकि गरीब व्यक्ति और प्राचीन जनजातियों दलितों, पिछड़े वर्ग के लोगों के पास इतना पर्याप्त पैसा नही होता है कि बाजारीकृत मूल्य के अनुरूप अपनी खाद्य सामग्री जुटा सके और अपनी खाद्य सुरक्षा निश्चित कर सके इसीलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरूआत हुई उचित मूल्य की दुकान (कूपन की दुकान) के बारे में ग्रामीणों से चर्चा की गयी तो उन्होंने बताया हमारे गांव में कुछ लोगों के पास BPL- 15 और AAY-10 कार्ड जिनमें अलग–अलग रहे मिलता है जिसमें पूरी पंचायत में

BPL कार्ड धारक 157 APL-12 AAY-35

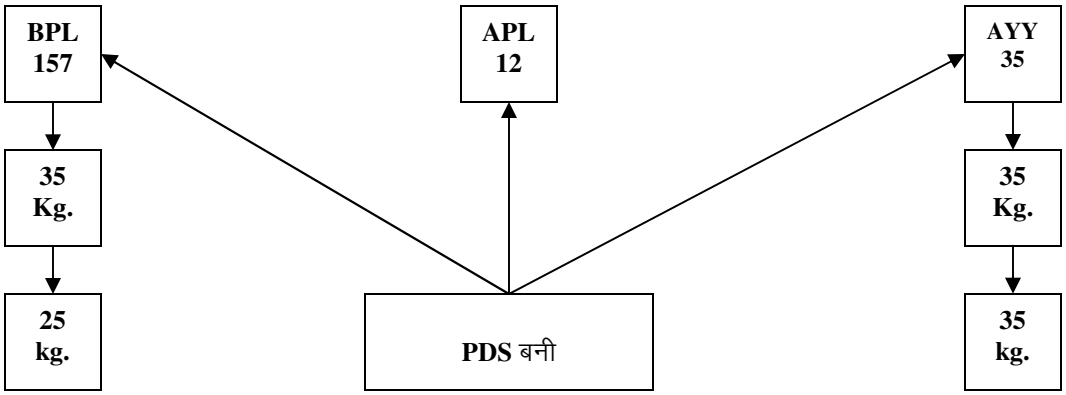

कचराखदान के ग्रामीणों को अनाज के लिए शासकीय उचित मूल्य की दुकान बनी तक 4 किमी. पैदल चलकर आना पड़ता है यह दुकान दो दिन एक सप्ताह में खुलती है गुरूवार, शुक्रवार यह दुकान महीने में 8 दिन खुलती है इसमें कचराखदान के 15 BPL कार्ड, 14 AAY कार्ड धारक राशन लेने जाते है।

ग्रामीणों ने बताया कि वह उचित मूल्य की दुकान में हर माह अनाज खरीद कर लाते हैं लेकिन हमारी जरूरत के अनुसार अनाज हमें वहां से नहीं मिलता है BPL कार्ड धारकों ने बातया कि हमारे कार्ड में हमें 5 रूपये किलो गेह 6 रूपये किलो चावल और तीन लीटर केरोसीन एवं डेढ़ किलो शक्कर मिलती है और महीने में 15 किलो गेहूं और 5 किलो चावल मिलता है और गेहूं न लेने पर गेहूं के स्थान में 20 किलो मक्का मिलता है प्रतिकार्ड 25 किलो अनाज एवं 3 लीटर केरोसीन ही प्राप्त होता है दुकान के वितरक से जब इसकी शिकायत की जाती है तो वह कहता है कि ऊपर से आपके कोटे में इतना ही अनाज आता है तो मैं इससे ज्यादा वहां से दे दूं एवं गांव के गरीब लोगों के साथ वितरक अभद्र व्यवहार करता है एवं दुकान समय में नहीं खोलता है एवं भीड़ वो देखकर दुकान भी बन्द कर देता है।

AAY कार्ड धारकों ने चर्चा के दौरान बताया कि हमारे कार्ड में हमें 35 किलो अनाज एक महीने प्राप्त होता है जिसमें हमें 2 रूपये किलो गेहूं 3 रूपये किलो चावल एवं 3 लीटर केरोसीन देता है हमें जो अनाज दिया जाताहै वह कई बार बहुत खराब रखता है वितरक से कहने पर कहता है कि तुम्हारे लिये यही अनाज आया है एवं यह अनाज ऐसा होता है कि वह आदमी के नही जानवर के खाने के काम आता है एवं हमारे प्रति वितरक का व्यवहार अच्छा नहीं है। एवं BPL AAY कार्ड धारकों को अपने हक का राशन प्राप्त करने के लिए दुकान के कई बार चक्कर लगने पड़ते है क्योंकि एक ही दिन में वितरक गेहूं, चावल, मक्का, केरोसीन का वितरण नहीं करता है वह एक अनाज का एक दिन एवं दूसरे का दूसरे दिन वितरण करता है जिससे हमें महीने 3–4 दिन दुकान के चक्कर लगाते है एवं पूरा दिन लाईन में खड़े रहने के बावजूद राशन नहीं मिलता है तब निराशा होकर घर जाना पड़ता है एवं अपनी मजदूरी का भी नुकसान होता है एवं वितरक तौल में भी गड़बड़ी करता है एवं हमारे कार्ड़ों को अपने पास रख लिया जाता है एवं उनके गलत प्रवृष्टि कर दिया जाता है।

गांव के सम्पन्न व्यक्ति और APL कार्ड धारकों को उनकी मांग के अनुसार अच्छी गुणवत्ता एवं पर्याप्त मात्रा में राशन उपलब्ध होता है एवं वितरक का व्यवहार भी इनके प्रति आदर एवं स्नेहपूर्ण होता है इसीलिए आज भी PDS की दुकानों में व्यापक पैमाने में धांधली हो रही है SC का आदेश है कि :–

1) एक महीने में 26 दिन दुकान खुले एवं एक निश्चित सयम दुकान खुलने का होना चाहिए।

2) BPL AAY कार्ड धारकों को अनाज किश्तों में भी प्राप्त कर सकते है।

3) सभी को उसके हक का पूरा अनाज मिलना चाहिए।

समीक्षा :–

1) राशन की गुणवत्ता अच्छी नहीं।

2) हर महीने में 8 दिन दुकान खुलती है।

3) दुकान खुलने का निश्चित समय नहीं

4) किश्तों में राशन उपलब्ध नही।

5) राशन को तौल में गड़बड़ी।

6) सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सूची पटल नहीं।

7) राशन कार्ड में गलत वृद्धि।

8) दुकानदार का व्यवहार अच्छा नहीं है।

रोजगार गारंटी कानून :–

इस गांव में रोजगार गारंटी कानून के तहत 37 दिनों का काम गांव वालों को प्राप्त हो चुका है इस योजना के तहत सबसे ज्यादा रोड निर्माण, घाट कटिंग, डगाउट, मेढ़बंदी का काम हुआ है। गांव वालों को साल भर में 100 दिन की जगह 37 दिन का ही काम हो पाया हैं। जिन परिवारों के पास जॉव कार्ड नहीं है उनके जॉव कार्ड बनाने की प्रक्रिया पंचायत के द्वारा चल रही है जिनसे इन लोगों को जल्द से जल्द जॉव कार्ड जल्द से जल्द मिल जायेंगे। इस योजना के तहत काम जो कराया जाता है मेट के अनुसार मजदूरी देने के कारण न तो सही समय में मजदूरी प्राप्त हो पाती और न ही पूरी मजदूरी प्राप्त हो पाती क्योंकि मध्यप्रदेश शासन द्वारा न्यूनतम मजदूरी 61.37 पैसे हैं लेकिन गांव में 45–50 रूपये ही मजदूरी प्राप्त होती हैं। उसके लिए भी दो–तीन महीने इंतजार करना पड़ता है लोगों को इस योजना की जानकारी न होने के कारण न तो वह काम के बदले पैसे पूरे नहीं मांग पाते। काम के लिए आवेदन करते है लेकिन रसीद नहीं पाते और न ही 15 दिन के अंदर काम न मिलने पर बेरोगारी भत्ता भी नहीं मिल पाता ऐसी स्थिति में जब तक लोगों को इसकी सम्पूर्ण जानकारी नहीं होती तो यह योजना न तो खाद्य सुरक्षा प्रदान कर सकती है और न ही पलायन को किसी भी कीमत में रोक सकती है। इसलिए इस योजना के बारे में गांव के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा एवं काम के स्थान पर प्राप्त होने वाली अन्य सुविधाओं का भी लाभ लेना पड़ेगा और इस योजना से रोड निर्माण, घाट कटिंग के अलावा अपने आजीविका के लिए जो संसाधन उनका विकास करना पड़ेगा क्योंकि इस योजना का उद्देश्य संसाधनों का विकास करना है उसके बाद निर्माण कार्य करना है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना :–

भारत सरकार ने अपने देश के वृद्ध नागरिकों असहाय लोगों निराश्रित लोगों विकलांगों, विधवा महिलाएं एवं परित्यागता स्त्रियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की शुरूआत की थी। जिससे इनको हर महीने पेंशन की व्यवस्था करके इनको न्यूनतम स्तर पर खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा सके और वे अपनी आजीविकास के लिए दूसरों पर निर्भर न रहे। इस गांव में आज भी ऐसे 15 वृद्ध पुरूष हैं जिनको इस योजना की जरूरत है पांच विधिवा महिलाएं हैं छह विकलांग है जिनको इस योजना की जरूरत हैं। अगर ऐसे हालत में इन लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो लोग भूखे रहने के लिए मजबूर होंगे एवं अपनी जीवन शैली को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे क्योंकि सरकार ने योजना तो बना दी है लेकिन जमीन स्तर पर उसका क्रियान्वयन आज भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है।

छोटा सलुनिया

छोटा सलुनिया :–

बड़ा सलुनिया ग्राम पंचायत का गांव है छोटा सलूनिया पेटलावद विकासखण्ड से 28 किमी. दूरी पर बसा हुआ गांव छोटा सलुनिया यह गांव में भील आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते है कुल परिवार संख्या 203 है कुल महिला संख्या..... पुरूष संख्या..... इस गांव में पांच फलिये है पिपली फलिया, स्कूल फलिया, तालाब फलिया, गढ़बाल फलिया।

इस गांव में जाने के लिए कच्ची सड़क है जो इतनी खराब है कि इस गांव तक पहुंचना आसान नहीं है। गांव के दैनिक जीवन में उपयोग मेंआने वाली आवश्यकता की पूर्ति जामली से होती है जिसकी दूरी 3 किमी. है। किराने की छोटी–मोटी जरूरत के साथ–साथ बच्चों की हाई स्कूल तक की शिक्षा जामली से प्राप्त होती है इससे ज्यादा दैनिक जीवन की आवश्यकता पूर्ति की सामग्री के लिए रायपुरिया आना पड़ता है जिसकी दूरी 10 किमी. है यातायात के साधन के लिए 3 किमी. की दूरी पैदल चलकर तय करनी पड़ती है एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 10 किमी. की दूरी तय करके रायपुरिया आना पड़ता है हाट बाजार से खाद्य सामग्री खरीदने के लिए रायपुरिया आना पड़ता है टेलीफोन की सुविधा जामली और रायपुरिया दोनों जगह से प्राप्त होती है। पशु के बीमार होने पर उन्हें जामली पशु औषधालय लाना पड़ता है जिसकी दूरी 3 किमी. है।

सोसायटी बैंक की सेवा लेने के लिए इस गांव के किसानों को 6 किमी. की दूरी तय करके बैकल्दा जाना पड़ता है सोसायटी से खेती के लिए खाद बीज लाने परेशानीका सामना करना पड़ता है क्योंकि इस गांव का उपस्वास्थ्य केन्द्र भी बैकल्दा है। गांव के सभी लोगों को कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जाना पड़ता है साहूकार के पास जाने के लिए 4 किमी. की दूरी तय करनी पड़ती है वह भी पैदल। बच्चों की शिक्षा के लिए 1 ईजीएस शाला 1 प्राथमिक स्कूल और 2 आंगनवाड़ी 1 सह आंगनवाड़ी है जिनके माध्यम से 0–14 वर्ष के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे है इन लोगों को जनपद और तहसील कार्यालय के 18 किमी. की दूरी तय करनी होती है।

वृद्धा पेंशन योजना का लाभ पाने वाले हितग्राही को 10 किमी. की दूरी तय करके रायपुरिया में धार झाबुआ बैंक तक जाना पड़ता है इस दूरी को तय करने वृद्ध लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है राशन की दुकान का लाभ पाने के लिए 2 किमी. पैदल चलकर बड़ा सलुनिया जाना पड़ता है। जिला मुख्यालय की दूरी के 65 किमी. तय करनी पड़ती है जो किसी गरीब तबके के लोगों के लिए आसान नहीं होता है।

सामाजिक स्थिति :–

इस गांव में भील आदिवासी परिवार निवास करता है एवं अपने पूर्वजों के द्वारा चलाई गई सभी प्रथाओं परंपराओं रीति–रिवाजों को आज भी जिन्दा रखे हुए है एवं इन्हें उसी तरह से जिस तरह से इनके पूर्वज मानते थे उसी प्रकार से मानते है एवं इनके घर भी पहले की तरह बने हुए है इन गांव के घरों में देशी कबेलू लगे हुए है लेकिन परिवर्तन के दौर में आज इन देशी कबेलू की जगह अंग्रेजी कबेलू लेने लगे हैं। इस गांव के 24 परिवार आज गांव से दूर अपने खेतों में अपने–अपने घर बना लिये है जिससे वह अपने समय को पूर्ण रूपेण खेती के लिए दे सके एवं अपनी आय को बढ़ा सके।

इस गांव के दो फलियो की दूरी 2 किमी. है उसके बावजूद इन फलियो के लोगों में सामाजिक एकता है एवं एक–दूसरे के प्रति आदर एवं प्रेम की भावना है इसी प्रेम और सहयोग ने इनके रीति–रिवाजों एवं कार्यक्रमों को चलते रहने का प्रयास है इनके रीति–रिवाज परंपराओं प्रथाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ परिवर्तन हुआ इनके मानने की प्रवृतियों में पहले जिस कार्यक्रम एवं प्रथाओं में 10 रूपये खर्च होते थे अब इनमें 1 हजार रूपये खर्च होने लगे है ऐसे प्रयासों एवं

प्रवृति के कारण लोग आज इन कार्यक्रमों एवं रीति–रिवाजों में अत्यधिक पैसा खर्च करने लगे है जिसका सीधा असर उनकी खाद्य सुरक्षा में पड़ता है इसी खाद्य सुरक्षा को बनाये रखने में पहले से तीस गुना ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है।

क्योंकि कहते है जब समाज में परिवर्तन आना चालू होता है तो वह हर प्रकार से होता है एवं इससे कोई भी अछूता नहीं रहता है और आज जो परिवर्तन हो रहा है वह निजीकरण, बाजारीकरण, औद्यौगिकरण इनसे हमारा भील समुदाय भी अछूता नहीं रहा क्योंकि भील आदिवासियों ने पलायन के माध्यम और नगरों से जुड़ाव के कारण अपनी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है और यह प्रयास ऐसा होता है जिसमें उसकी खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है एवं लोगों के बीच वह कुछ न होते हुए भी अपनी स्थिति दिखाना चाहता है। जिसके कारण वह कर्जदार भी बन जाता है एवं कर्ज चुकाने का पूरा प्रयास करता है लेकिन कर्ज में ब्याज ही इतना होता है कि वह ब्याज तो अपनी दैनिक आय से नहीं चुका सकता है तब वह अपनी जमीन बेचने पशुओं को बेचने और पलायन में जाने को मजबूर होता है एवं पलायन में अपना शोषण करके भी कर्ज चुकाने में असमर्थ होता है उस समय उसकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती है।

शादी :–

छोटा सलुनिया में 20 साल पहले शादी में शगुन के रूप में दापा लिया जाता था। यह रकम उस समय 10–20 रूपये थी एवं शराब ली जाती थी वह कौन लेता था यह लड़की का बाप लड़के वाले परिवार से मांग करते है यह रकम लड़के वाले शुभ कार्य में शगुन समझकर देते थे शादी में पहले वान 9 दिन चलता था अब वान 7 दिन चलता है पहले शादी वाले घर में ढोल नगाड़े बजाते थे लेकिन अब तो इनकी जगह माइक ने ले लिया है खच्र भी और ज्यादा बढ़ा है माईक में 12 रूपये खर्च होते है शराब के लिए 7000 रूपये खर्च करते है और कुछ शराब घर में बना लेते है।

पहले शादी में शगुन चलता था अब दापा चलता है जिसमें लड़की वाले लड़के वालों से 40,000 रूपये लेते है जिसमें 18,000 रूपये की चांदी, 7,000 की शराब ओर रूपये नगद मे लेते है चाहे लड़के वाले ने इतने पैसे अपने खेत को बेचकर लिया हो। लड़की वालों को मतलब पैसों से होता है एवं इसके लिए लड़के वाले वो कर्ज लेना पड़ता है साहूकार की ज्यादा ब्याज पर कर्ज देता है क्योंकि वह भी इनकी मजबूरी का पूरा फायदा उठाता है और मन माने दर की ब्याज लगाकर पैसा कर्ज में देता है। उस कर्ज को चुकाने के लिए उसे पलायन में जाना पड़ता है यह पलायन जो पहले 15 दिन या एक महीने के लिए होता था वह अब 4 महीने के लिए होने लगा है पलायन पर भी इन गरीब लोगों का पूरा शोषण होता है ये पलायन में भी अपना शोषण सहते रहते है लेकिन कुछ नहीं कर सकते है पलायन के दौरान भी इनकी खाद्य सुरक्षा निश्चित नहीं रहती है और पलायन के बाद भी खाद्य सुरक्षा की स्थिति अच्छी नहीं रहती है क्यों वह अपने खाद्य सुरक्षा की ओर इतना ध्यान नहीं देता है जितना वह पहले देता था इसलिए शादी का असर खाद्य सुरक्षा पर पड़ता है।

नुक्ता :–

नुक्ता जब किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने पर किया जाने वाला मृत्यु भोज इसमें इस समाज के लोग आज 15,000 रूपये खर्च करते है जबकि पहले सहयोगी नुक्ता चलता था अगर किसी परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती थी तो उस गांव वाले उस परिवार की सहायता के लिए अपने घरो से थोड़ा–थोड़ा अनाज या कुछ पैसे देते थे जिससे उस परिवार पर कोई असर न पड़े एवं नुक्ता भी अच्छी तरह से हो जाये।

लेकिन आज के नुक्ते में काफी परेशानी आने लगी है क्योंकि आज नुक्ते में कोई सहयोग नहीं करता और जिस परिवार में मृत्यु हुई है उसी परिवार को नुक्ता का खर्च उठाना पड़ता है

पहले नुक्ते में 2 हजार लगते थे लेकिन आज नुक्ते 15 हजार खर्च होते है नुक्ते में ओढ़ना, लुगदीपुड़ी, रावल में ज्यादा पैसे खर्च होते है इसके बाद शराब में भी खर्च होते है इसलिए नुक्ते वाले परिवार की खाद्य सुरक्षा में नुक्ते का सीधा प्रभाव पड़ता है एवं उस परिवार में लोग भूखे रहने लगते है भूख का साया हमेशा बना रहता है।

राखी :–

प्राचीन समय मसे एक नारियल वाली राखी का त्यौहार मनाया जाता था लेकिन बीच में 15 वर्षो में इस त्यौहार मे एक नारियल वाली राखी की जगह अधिक नारियल वाली राखी ने ले लिया अधिक नारियल वाली राखी में एक परिवार का कम से कम 750 रूपये खर्च होता है एवं एक नारियल वाली राखी में 200 रूपये का खर्च एक परिवार को होता है राखी के दिनों में इनके पास पैसे नहीं होते है जिसके कारण इन्हें दुकानदारों से कर्ज लेना पड़ता है। यह कर्ज इनके लिए पलायन का कारण बनता है एक नारियल वाली प्रथा इस गांव में 70 परिवार मानते है। इन भील आदिवासी के पास जहां खाने के लिए नहीं होता है ऐसे में इन लोगों के पास खाद्य सुरक्षा नहीं होती है तो ऐसे में इस तरह से खर्चीली राखी के त्यौहार इस समाज के पास एक मात्र साधन साहूकार का कर्ज होता है जो इस कर्ज का बोझ तो इस समाज के लोगों के ऊपर बढ़ता जा रहा है।

अड़जी–पड़जी :–

अड़जी–पड़जी प्रथा भील आदिवासियों की प्राचीन परंपरा है एवं इसका प्रयोग लोगों को अपनी कृषि कार्य, पशुओं के चारा कटाई एवं नये मकानों को बनाने में लोग एक–दूसरे की मदद करते थे एवं अपने लोगों को सहयोग होता था एवं जब उन लोगों को सहयोग की जरूरत होती थी दूसरे लोग भी सहयोग करते थे एवं इस सहयोग में लोगों की राशि की बचत होती थी एवं सही समय में लोगों के काम हो जाते थे एवं गांव में एकता की भावना निहित होती थी लेकिन आज लोगों में प्रतिस्पर्धा की भावना विद्वमान है जिस कारण से लोग किसी का सहयोग नहीं करना चाहते है एवं बगैर सहयोग के लोग आगे नहीं बढ़ सकते है क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और वह कही भी अकेला निवास नहीं कर सकता है।

आधुनिकरण ने इस प्रथा को विलुप्त होने की कगार में ला दिया है एवं इस प्रथा को 22 परिवार ही अब मानते है एवं एक–दूसरे की मदद करते है यह प्रथा लोगों की खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी थी।

छोटा सलुनिया :–

छोटा सलुनिया में कुल 53 हेक्टेयर भूमि हैं इस गांव में भूमि का क्षेत्रफल बड़ा है 83 हेक्टयर जमीन इस गांव में सिंचित जमीन हैं जिसमें से 59 हेक्टेयर काली मिट्टी और 24 हेक्टेयर भूरी मिट्टी है 106 हेक्टेयर असिंचित भूमि है जिसमें एक फसल ही प्राप्त की जा सकती है। 64 हेक्टेयर सरकारी जमीन है जिसमें कुछ हिस्सों में मक्का की खेती की जा सकती है 4 हेक्टेयर चारागाह भूमि है और 2 हेक्टेयर आबादी भूमि है 36 हेक्टेयर में नाला एवं तालाब की भूमि है 132 हेक्टेयर की भूमि पथरीली एवं रूण्डों की है जिनमें किसी भी प्रकार से कुछ नहीं प्राप्त किया जा सकता है यहां तक की पशुओं के लिए चाय तक पथरीली जमीन है 26 हेक्टेयर जमीन में कच्ची सड़क एवं पगडण्डी है 337 हेक्टेयर सरकारी जमीन है जो रूण्डो की जमीन एवं पड़त की जाती है। इस गांव में कुल जमीन का आधे से अधिक हिस्सा किसी भी काम में नहीं आता है वह पूर्ण रूपेण पड़त के लिय पड़ा रहता अगर इसमें किसी प्रकार की खेती जो आज की जाती है इसमें नहीं हो सकती है जब यह जमीन का यह स्तर है तो खाद्य सुरक्षा ने इसका सीधा असर पड़ता है एवं लोगों को कुछ दिन भूखे पेट भी सोना पड़ता है।

इस गांव में जमीन का औसत प्रति परिवार 3 बीघा है इस गांव के सभी भील आदिवासी परिवार खेती करते है एवं मुख्य रूप से फसलों में मक्का कपास और परिवर्तन के दौर में टमाटर

की खेती करते है इसलिए इस गांव के लोगों की आय का साधन खेती है इनकी आजीविका खेती में निर्भर होती है। इस गांव में खेती के लिए जमीन है एवं सिंचाई के साधनों में तालाब और नाला, कुंआ है इन्हीं के माध्यम से खेती की जाती है जिसके कारण ये अपनी खाद्य सुरक्षा निश्चित करते है एवं अपने दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली सामग्री की आवश्यकता की पूर्ति करते है। इस गांव में खेती के लिए जमीन है कुछ लोगों की जमीन की सिंचाई नहर के पानी से होती है सिंचाई के साधनों में एक बड़ा तालाब दो छोटे तालाब, नहर, नाला, 18 कुंआ सिचांई के लिए 3 ट्यूबवेल है इन साधनों के उपयोग से गांव वाले अपने खेतों की सिंचाई करते है इन सिंचाई के साधनों के बावजूद इस गांव की कुल जमीन 530 हेक्टेयर में से 83 हेक्टेयर सिंचित जमीन है अभी भी बाकी जमीन के लिए सिंचाई नहीं एवं खेती के लिए उपयोगी काली मिट्टी की जमीन नहीं है जो जमीन है वह अधिकाधिक पहाड़ी जमीन है जब उनके पास न तो जमीन होती है और न उस जमीन में सिंचाई के लिए साधन तब इनकी आय का मुख्य साधन पलायन होता है क्योंकि इनके खेतों में जब फसल नहीं तो पलायन के लिए 4 महीने मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली जाते हैं एवं पलायन के माध्यम से अपनी आय की स्थिति बढ़ाने का प्रयास करते है क्योंकि इसी पलायन के कारण वह अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते है एवं अपने विकास के लिए इसको महत्वपूर्ण मानते है पहले इनकी आय कृषि से होती थी लेकिन खेती इतनी महंगी होती जा रही है एवं खेती में लागत के अनुरूप उत्पादन न होना पलायन का कारण मुख्य है कृषि में लोग पैसा ज्यादा लगा रहे लेकिन आय कम होने के कारण लोग देशी बीज छोड़कर नगदी फसलों को बोने लगे उसमें और भी ज्यादा खर्च हो रहा है।

गांव में सरकारी काम खुलने के कारण लोगों को स्थानीय मजदूरी मिल जाती है एवं इस मजदूरी के कारण गांव का गरीब तबका अपना काम करने का प्रयास करेगा एवं अपने को भूख मिटाने का पूरा प्रया करेगा इस गांव के लोग स्थानीय मजदूरी एक दूसरे के जरूरत के समय काम करके पूरा कर लेते है वह मजदूरी कुछ समय के लिए होती है एवं लोगों की आप में पशुधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एवं लोगों को आप में पशुधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है क्यों ऐसे लोगों को खाने को घी दूध प्राप्त होता है एवं पशुधन को बेचकर जो आय प्राप्त होती है वह अपनी खाद्य सामग्री को खरीदने में लगा देते हैं।

खाद्य सुरक्षा एवं फसलों की स्थिति :–

इस गांव में खाद्य सुरक्षा मुख्य साधन मक्का है इस गांव में पहले देशी मक्का की खेती की जाती थी लेकिन अब हाइब्रीड मक्का ने जगह ले लिया है और गांव में ज्यादातर हाइब्रीड मक्का की खेती होती है। इस गांव में आज से 25 साल पहले की बात करे तो यहां पर सम्पूर्ण रूपेण देशी बीजों की खेती होती थी देशी मक्का उड़द, मूंग, कोटरा, कांगड़ी, मूंगफली, ज्वार, धान, चावला, सामली, तुअर इत्यादि की खेती होती थीं। इनमें लागत कम थी और उपज ज्यादा जिससे यह खाद्य सुरक्षा प्रदान करती थी लेकिन समय के साथ आये परिवर्तन और हरित क्रांति बाजारीकरण शहरीकरण के कारण इन फसलों की जगह हाइब्रीड फसलों ने ले लिया और खेती पूर्णरूपेण नगदीकरण और बाजारवाद पर निर्भर हो गई और इस खेती में लागत ज्यादा लगी क्योंकि हाइब्रीड मक्का रसायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयां इतनी महंगी होती है कि एक समान किसान के पास इतने पैसे नही होते की इन्हें यह बाजार से नगद खरीद सके इसके लिए वह साहूकार से कर्ज लेकर इन फसलों और दवाइयों को खरीदते हैं और अब तो इस गांव में हाइब्रीड कपास और जैनित टमाटर की खेती सबसे ज्यादा होती है जो कि खाद्य सुरक्षा प्रदान नहीं करते बल्कि उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते है एवं खाद्य सुरक्षा के लिए बाजार पर निर्भर रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। किसानों के पास इतने पैसे नहीं होते की वह अपनी आजीविका चलाने के लिए बाजार से अनाज प्राप्त कर सके।

खाद्य सुरक्षा के लिए गांव के लोग हाइब्रीड मक्के की उपज पर निर्भर रहते है लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण कुछ न कुछ इन फसलों को हर साल नुकसान होता है जिस कारण

से इनके पास साल भर की खाद्य सुरक्षा नहीं रहती ऐसे में ये लोग सम्पन्न एवं साहूकार के यहां से कर्ज लेकर अपनी खाद्य सुरक्षा निश्चित करते है क्योंकि देशी बीज पूर्ण रूपेण विलुप्त की कगार पर है और गांव वाले नगदी प्राप्त करने के लिए नगदी फसलों का रकबा बढ़ाते जा रहे हैं ऐसे में इनकी खाद्य सुरक्षा निश्चित नहीं रहती।

पलायन की स्थिति :–

गांव वालों की मुख्य आय का साधन कृषि है लेकिन कृषि उपज इनकी खाद्य सुरक्षा एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रही है। इसलिए इन्हें स्थानीय एवं पंचायत मजदूरी के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करते है। लेकिन गांव में और पंचायत में पर्याप्त मात्रा में मजदूरी उपलब्ध न होने के कारण ये लोग पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं वर्ष भर में दो बार पलायन करते हैं पहला अक्टूबर–नवम्बर, दूसरा मार्च–जून। पलायन के दौरान सबसे ज्यादा लोग मालवा, सूरत, कोटा, दिल्ली, बम्बई, राजकोट, दाहोद जैसे शहरों में जाते हैं। इनका पलायन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं भोजन के लिए अनाज उपलब्ध कराने के लिए प्राप्त होता हैं। ये लोग समूह बनाकर एक साथ एक ही जगह पलायन पर जाते हैं।

पलायन करने का कारण इनको पर्याप्त मात्रा में मजदूरी और काम मिलता है क्योंकि अपनी आवश्यकताओं भोजन की पूर्ति के हिसाब से पलायन के दिनों का निर्धारण करते हैं क्योंकि इनको स्थानीय एवं पंचायत की मजदूरी से ज्यादा मजदूरी प्राप्त होती है और सही समय में प्राप्त होती है। पलायन से प्राप्त राशि भोजन की पूर्ति अन्य जरूरतों कर्ज चुकाने में सहायता प्राप्त होती है एवं अपनी खाद्य सुरक्षा निश्चित करने का एक साधन है।

आज से 20 साल पहले लोग 10–25 की संख्या में पलायन के लिए मालवा जाते थे जो पलायन मार्च से अप्रैल के दिनों में होता था क्योंकि यह लोग गेहूं की कटाई के लिए जाते थे एवं अपने खाने के लिए गेहूं लाते थे क्योंकि इनके यहां पहले पाने के लिए गेहूं नहीं होते थे जो पलायन के माध्यम से लाते थे। लेकिन वर्तमान समय में इस गांव के 165 परिवार पलायन में जाते हैं जिनमें महिला और पुरूष बच्चे सब शामिल होते हैं। एक महीने होने वाले पलायन के लिए जगह साल भर में 5–6 महीने का पलायन होने लगा हैं। जिससे यह बात स्पष्ट है कि इनके यहां खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं है और इनकी खाद्य सुरक्षा निश्चित नहीं है जिस कारण से पलायन पर जाते है।

आय व्यय की स्थिति :–

इस गांव के लोगों की आय का मुख्य साधन कृषि है कृषि के माध्यम से ही अपनी खाद्य सुरक्षा एवं आर्थिक स्थिति सुनिश्चित करते है। इनकी कृषि प्राप्त आय इनके विकास का साधन है क्योंकि गांवों में किसी और प्रकार के संसाधन नहीं है लेकिन कृषि में बढ़ रही लागत इनको कर्जदार बनाती जा रही है। इनकी आय का सबसे ज्यादा हिस्सा कृषि कार्य में खर्च होता है उसके बाद अनाज जुटाने बीमारी सामाजिक कार्यक्रमों में खर्च करते हैं इनकी आय का एक साधन पलाायन के द्वारा प्राप्त मजदूरी है जिनसे सबसे पहले वह भोजन के लिए अनाज खरीदते है एवं उसके बाद कृषि कार्य कर्ज चुकाने सामाजिक कार्यक्रमों बीमारी, खाद्य सामग्री, किराना, आवागमन, शिक्षा इत्यादि में खर्च करते है। इनके पास खर्च ज्यादा होता है आय के साधन कम इसलिए ये लोग कर्ज लेते रहते है और उसका ब्याज भरते रहते हैं क्योंकि इनकी जीवन रेखा कृषि उपज से जुड़ी हुई हैं।

कर्ज की स्थिति :–

इस गांव के लोगों के पास कर्ज बहुत हैं जबकि आज से 20 साल पहले इनके पास कर्ज कम था और इनको देशी बीजों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा प्राप्त होती थी लोग देशी बीज लगाते थे उत्पादन होता था और सालभर खाने के लिए आराम से होता था। लेकिन आज देशी बीज तो देखने को नहीं मिलते। इनकी जगह नगदी फसलों एवं हाइब्रीड फसलों ने ले लिया हैं नगदी

फसलों एवं हाइब्रीड फसलों से अपने विकास का सपना देखने वाले इन किसानों को इनकी खेती में बढ़ रही लागत ने इनके प्रयासों को एवं खाद्य सुरक्षाओं को नहीं प्राप्त करवा पा रही हैं। क्योंकि इन फसलों में 2–3 साल रासायनिक खादों, दवाइयों एवं हाइब्रीड बीजों से उपज अच्छी हुई और गांव वालों ने इन फसलों का रकबा बढ़ा दिया लेकिन वर्तमान स्थिति में इन फसलों में लागत ज्यादा और उपज कम है। जिस कारण से किसानों को साहूकार से कर्जा लेना पड़ता है ये किसान दिन प्रतिदिन कर्ज के बोझ के तले दबते जा रहे हैं। इसके अलावा भील आदिवासियों के सामाजिक कार्यक्रम और त्यौहारों में बहुत खर्च होता हैं लेकिन खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते ऐसी स्थिति में ये लोग साहूकार के यहां से डेढ़ गुना ब्याज में कर्ज ले आते है एवं अपने सामाजिक कार्यक्रमों और त्यौहारों में खर्च करते है जिसका विपरीत असर उस परिवार पर पड़ता हैं। क्योंकि जिन परिवारों के पास खाने के लिए अनाज नहीं होता ऐसे में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसकी दवाई के लिए भी इनके घरों में पैसे नहीं होते ऐसी स्थिति में ये लोग साहूकार के यहो से अपनी छोटी–छोटी जरूरतों की चीजों को गिरवी रखकर पैसे कर्ज में लाते हैं। इस गांव में प्रति औसतन प्रति परिवार 20–25 हजार रूपये खर्च होगा। इन लोगों के पास खेतों में सिंचाई के लिए सिंचाई विभाग द्वारा चालू की गई नहर सिंचाई योजना से इस गांव के अधिकतर लोग अपने खेतों की सिंचाई करते है लेकिन उपज न होने के कारण सिंचाई का बिल भी नहीं जमा कर पाते जिसके कारण सरकारी अफसर लोगों को आकर धमकाते हैं क्योंकि इस गांव में प्रति परिवार सिंचाई विभाग का 1500–1700 रूपये का कर्ज बाकी हैं। गांव वाले कर्ज लेने के लिए सबसे ज्यादा प्राथमिकता अपने रिश्तेदारों को देते हैं उसके बाद सम्पन्न व्यक्ति को एवं बचत समूह में शामिल लोग एसएचजी को प्राथमिकता देते है लेकिन सबसे ज्यादा कर्ज इन लोगों को साहूकारों के यहां से प्राप्त होता है क्योंकि उपरोक्त दोनों जगह से इन्हें पर्याप्त कर्ज प्राप्त नहीं होता और इन लोगों के पास खाद्य बीज के लिए बैंक से भी कर्जा लिया हुआ है जो कि बैंक एवं सोसायटी वाले इनके पास उस कर्जे को वसूलने हर महीने आते हैं। लेकिन गांव वालों के पास पैसे की कमी के कारण वह लौट जाते है।

जन कल्याणकारी योजनाओं की स्थिति :–

समुदाय के गरीब तबके को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जिससे कोई भी व्यक्ति भूखा न सोये और न ही भूख के कारण मृत्यु हो। इसलिए इन योजनाओं को शुरू किया गया था –

1. **सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली –** इस योजना के तहत गरीबी योजना के नीचे जीवन यापन करने वाले और अति गरीब परिवारों को बाजार से कम मूल्य पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरूआत की गई। जिसके माध्यम से खाद्य सुरक्षा प्रदान हो सके। लेकिन जब योजनाओं के बारे में ग्रामीणों से चर्चा की गई तो जो बात निकलकर सामने आयी बीपीएल वाले कार्डधारकों को महीने में 20 किलो अनाज प्राप्त होता हैं और 3 लीटर केरोसीन इस गांव की दुकान बड़ासलुनिया में है जिस दुकान तक जाने के लिए लोगों कों 3 किमी. पैदल चलकर आना पड़ता हैं एवं हफ्ते में दो बार ही दुकान खुलती हैं। जिस दिन दुकान खुलती है उसी दिन सम्पूर्ण अनाज प्राप्त नहीं होता है अलग–अलग दिनों में एक–एक करके अनाज एवं केरोसीन दिया जाता है जिस कारण से हमें महीने में 5–6 दिन राशन की दुकानों का चक्कर लगाना पड़ता हैं एवं 5–6 दिन की मजदूरी का नुकसान होता है और हमारे साथ वितरक के द्वारा गाली–गलौच की जाती है और सम्पन्न लोगों को वितरकों के द्वारा सम्पन्न व्यक्तियों एवं ठाकुरों के प्रति अच्छा व्यवहार करता है और हमें जो राशन देता है उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती जब अन्त्योदय कार्ड धारकों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमें शासन द्वारा निर्धारित मूल्य में 35 किलो अनाज हर महीने प्राप्त होता है। लेकिन कभी–कभी अनाज की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती एवं किश्तों में अनाज प्राप्त नहीं होता और दुकान खुलने के निश्चित दिन

भी दुकान निश्चित समय से नहीं खुलती है। इसके बावजूद गरीबी रेखा एवं अन्त्योदय के कार्ड धारक हर महीने अपने यहां का अनाज लेने उचित मूल्य की दुकान में आते है।

2. **आंगनवाड़ी –** इस गांव में तीन आंगनवाड़ी तथा एक उपआंगनवाड़ी केन्द्र है जिसमें सभी फलिये के बच्चों को पूरक पोषण आहार मिल रहा है। इस गांव के बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्र में दलिया एवं मुरमुरा मिलता हैं एवं केन्द्र प्रतिदिन खुलता हैं इनमें बच्चों, गर्भवती महलाओं, धात्री महिलाओं, किशोरी बालिकाओं को भी प्रतिदिन पोषक आहार मिलता हैं इन आंगनवाड़ी केन्दों में गर्भवती महिलाओं को आयरन, विटामिन की गोलियां टीकाकरण और एएनएम के साथ मिलकर टीकाकरण की प्रक्रिया पूरी की जाती है इसके अलावा आंगनवाड़ी में बच्चों का बाल संजीवनी अभियान के द्वारा वजन तौला जाता है बाकि की गतिविधियां कुछ भी नहीं होती है जब गांव वालों से चर्चा की गई तो उनका खुले शब्दों में कहना था कि बच्चों को दलिया और 2–3 घण्टे बैठाकर शिक्षा दी जाती है यह काफी है इसके अलावा इन केन्द्रों से महिलाओं को गोलियां और बच्चों का टीकाकरण हो जाता है जो हमारे लिए काफी है और यह क्या हम है कि यह आंगनवाड़ी रोज खुलती है एवं हमारे बच्चों की देखभाल भी करती है।

3. **अन्त्योदय अन्न योजना :–** गांव के गरीब तबके को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रामसभा के माध्यम से हितग्राही का चयन किया जाता है जिसे एक पीले रंग का राशन कार्ड दिया जाता है जिसमें 2 रूपये किलो गेहूं 3 रूपये किलो चावल और महीने में कुल 35 किलो अनाज दिया जाता हैं जिससे वह अपनी खाद्य सुरक्षा निश्चित कर सके इस गांव में 23 लोगों के पास अन्त्योदय कार्ड है लेकिन जब हमने गांव में आर्थिक श्रेणी करण किया तो यह पाया कि इस गांव में इस तरह के 11 परिवार और है जिन्हें यह राशन कार्ड प्राप्त होना चाहिए जिससे लोग बाजार से कम कीमत में राशन पा सके एवं उस राशन की गुणवत्ता भी सही हो और हर महीने आसान किश्तों में राशन प्राप्त हो जिससे उनकी खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में यह कार्ड एक अहम् भूमिका निभा सके।

4. **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना :–** इस योजना के तहत गांव के 182 लोगों के पास जॉब कार्ड है एवं 3 परिवार जॉब कार्ड से वंचित हैं जो कि अपने जॉब कार्ड के लिए पंचायत में आवेदन दे दिया है और पंचायत में जॉब कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू है वर्तमान समय में इस योजना के तहत गांव वालों को 32 दिनों का काम मिल चुका है और अभी काम प्रगति में है। इस योजना के तहत इस गांव में रोड निर्माण, मेढ़ बन्दी, घाट कटाई, डगाट इत्यादि के काम हुए हैं। इस योजना में ग्रामसभा के सबसे ज्यादा रोड निर्माण के प्रस्ताव पास होकर आते हैं और इन्हीं का काम सबसे ज्यादा हो रहा है। नपती के आधार पर ही इन लोगों को मजदूरी मिल रही है जबकि नपती के क्रियान्वयन में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नपती और मेट के कारण लोगों को मजदूरी कम मिल रही है और मजदूरी पाने के लिए दो–तीन माह का इंतजार करना पड़ रहा है। मध्यप्रदेश सरकारी द्वारा न्यूनतम मजदूरी 61.37 पैसे हैं। लेकिन इनको 50–55 रूपये ही मिल पाती हैं और काम के स्थान पर पानी की सुविधा रहती है इसके अलावा न तो बच्चों के लिए झूले की व्यवस्था न प्राथमिक उपचार न छाया की व्यवस्था होती है।

लोग जब काम के लिए आवेदन करते है तो उनकी रसीद नही मिलती और न ही आवेदन के 15 दिन के भीतर काम मिलता न ही बेरोजगारी भत्ता मिलता और पंचयात में काम उस वक्त खोला जाता है जब लोगों के पास अपने खेतों में काम होता है। जिस कारण से पंचायत और लोगों के स्थानीय मजदूरी के बीच समन्वय स्थापित नहीं हो पाता है।

भीलकोटड़ा

पेटलावद विकासखण्ड से 37 किमी. की दूरी पर माही नदी के किनारे बसा हुआ है भीलकोटड़ा धार जिले के सीमा से लगा हुआ है। पठारी क्षेत्रों के पठारों के ऊपर बसा हुआ गांव है भीलकोटड़ा। इस गांव में 12 फलिये हैं आंगनवाड़ी समरीपाड़ा, बीड़, बगजा, सेमलपाड़ा, नवापाड़ा, जूनापानी, कोटड़ाखुर्द, कोटड़ामेन, महुड़ीपाड़ा, गरवाड़ी, तीखीफलिया इस गांवों में सभी भील आदिवासी परिवार निवास करते है यह गांव 15 किमी. के क्षेत्रफल में फेला हुआ हैं इस गांव तक आने जाने के लिए पगडण्डी उबड़–खाबड़ रास्ता हैं।

जहां यतायात का कोई भी साधन नहीं है कोटड़ामेन गरवाड़ीफलिया, तीखीफलिया, महुड़ीपाड़ा, इनका अन्य फलियों से बरसात के दिनों में सम्पर्क टूट जाता है क्योंकि इन फलियों के बीच में सामरी नदी है जो कि बरसात के दिनों में पानी ज्यादा होने के कारण लोगा अन्य फलियों के लोगों से नहीं मिल पाते हैं और न ही अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति बरसात में नहीं कर पाते। अगर इन दिनों में कोई बीमार होता है तो उसे अस्पताल तक भी नहीं ले जाया जा सकता और इन लोगों का खाद्यान सामग्री एवं अन्य जरूरतों की सामग्री से वंचित रहना पड़ता है। इन गांव के लोगों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माही नदी को पार करके धार जिले के राजौद गांव तक जाना पड़ता है क्योंकि राजौद के हाट बाजार से इन लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।

भीलकोटड़ा गांव तक जाने के लिए कच्चा रास्ता है लेकिन इसके आठ फलियों में जाने के लिए न तो कच्चा रास्ता है न ही पगडण्डियां हैं जो रास्ता है उस पर पैदल चल पाना भी बहुत मुश्किल होता है। गांव वालों को बस सुविधा प्राप्त करने के लिए 8 किमी. पैदल चलकर देवली आना पड़ता है लेकिन बरसात के दिनों में 8 किमी. पैदल चलने में ही आधा दिन खत्म हो जाता है। गांव में किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा नहीं है गांव वालों को इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए राजौद या पेटलावद जाना पड़ता हैं। लेकिन वहां तक जाने के लिए यातायात के साधनों की कमी के कारण लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बच्चों और निराश्रितों और बूढ़े बुजुर्गों के लिए समस्या और भी बढ़ जाती हैं क्योंकि छोटी–मोटी बीमारी होने पर 9 किमी. पैदल चलकर दवाई कराने बैकल्दा गांव तक जाना पड़ता हैं। पोस्ट ऑफिस के लिए भी इसी गांव आना पड़ता है एवं पशुओं को बीमारी के हालत में भी बैकल्दा गांव तक लाना पड़ता है जिसमें बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जनपद एवं तहसील कार्यालय जाने के लिए 37 किमी. की दूरी तय करनी पड़ती हैं और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गांव से 30 किमी. की दूरी तय कर रायपुरिया आना पड़ता है क्योंकि रायपुरिया में हाट बाजार मेडिकल स्टोर्स, हास्पिटल, झगड़ों के निपटारे के लिए पुलिस थाना भी है।

गांव में बिजली की समस्या बहुत बड़ी है गांव के चार फलियों में बिजली की सुविधा अभी भी उपलब्ध नहीं है और विद्युत कार्यालय एवं राजस्व से जुड़े मुद्दे और समस्याओं को लेकर रायपुरिया आना पड़ता है। इस गांव में शिक्षा के लिए 2 आंगनवाड़ी, 1 माध्यमिक स्कूल, 3 ईजीएस शालाएं है। इन स्कूल एवं आंगनवाड़ी शालाओं में उसी फलिये के बच्चे आते है क्योंकि दूसरी फलिये के बच्चों को आने के लिए रोड नहीं है एवं फलियों में आपस में दूरियां ज्यादा है और लोग इतनी दूरियों के कारण अपने बच्चों स्कूल और आंगनवाड़ी केन्द्र नहीं भेजना चाहते है। कुछ फलियों के बीच में नदी–नाले भी पड़ते है जिससे बच्चों के मां–बाप को हमेशा चिन्ता बनी रहती है।

इस गांव में ग्रामसभा बहुत सक्रिय है क्योंकि गांव वाले ग्रामसभा में भाग लेते है अपने गांव के विकास से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करते एवं अपनी समस्याओं को ग्रामसभा में रखते है और ग्रामसभा के माध्यम से उन समस्याओं को हल करने के लिए योजना बनाते है। इस गांव में

ग्रामसभा में महिलाएं भी सक्रिय रूप से भागीदारी करती हैं। इस गांव की महिलाएं पढ़–लिखी न होने के बावजूद भी अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों को समझती है और बच्चों के विकास से जुड़े सभी मुद्दों को ग्रामसभा में रखते है।

सामाजिक स्थिति :–

इस गांव में सभी भील आदिवासी परिवार निवास करते है इनके घर पुराने भील आदिवासियों की तरह छोटे–छोटे बने है इनके घरों में एक ही परिवर्तन आया है कि देशी कवेलू की जगह आज अंग्रेजी कवेलू ने ले ली है इस गांव के लोग अपने पूर्वजों के द्वारा बनाये गये सभी रीति–रिवाजों, परम्पराओं, प्रथाओं को आज भी मानते हैं इस गांव के लोगों में पहले बहुत एकता थी जिसके कारण दूसरे गांव के लोग इस गांव की एकता की मिसाल देते थे। लेकिन समाज में आये परिवर्तन राजनीति और व्यक्तिगत कारणों से आज इस गांव में पहले जैसी एकता और सहयोग की भावना नहीं रही। इस गांव के लोग आज आधुनिक युग एवं हो रहे दिन प्रतिदिन हो रहे परिवर्तनों से अपने रीति–रिवाजों, परम्पराओं को अपने समाज में सजाये हुए है क्योंकि इनकी परम्परा और रीति–रिवाजों ने इन्हें दूसरे समाज से अलग रखा है। लेकिन इनकी परम्पराओं और रीति–रिवाजों त्यौहारों सामाजिक कार्यक्रमों में पहले की अपेक्षा ज्यादा पैसा खर्च होने लगा है। क्योंकि इनका जुड़ाव दिन प्रतिदिन दूसरे समाज एवं शहरों के वातावरण से होने लगा है जिसके कारण इनका खर्च करना ज्यादा हुआ है एवं आय के स्रोत आय भी सीमित है जिस कारण इनकी खाद्य सुरक्षा की स्थिति में विपरीत असर पड़ रहा है।

ये लोग त्यौहारों एवं सामाजिक कार्यक्रमों में होली, राखी, अखियातीज, दीपावली एवं शादी, नुक्ता, मान ममेरा इत्यादि मनाते हैं। इस गांव में फलियों की दूरी ज्यादा और आवागमन के साधन न होने के बावजूद भी लोग अपने सामाजिक कार्यक्रमों में एक दूसरे के यहां आते–जाते है और कार्यक्रमों को अच्छी तरह से पूरा करने में सहयोग देते हैं।

शादी :–

भीलकोटड़ा में 20 पहले शादी की उम्र लड़की लड़के से 3 साल बड़ी होती थी क्योंकि लोगों की सोच थी कि बड़ी लड़की लाने से वह घर के काम और खेती के काम में हाथ बटायेगी। लड़के की शादी में लड़की वाले को शगुन के रूप में 51–100 रूपये दिये जाते थे। लेकिन समाज में आये परिवर्तन लड़कियों पर हो रहे दुराचार, हिंसा एवं अन्य कारणों से सुरक्षा की भावना में आयी कमी ने इस शगुन के रूपयों को दापा का रूप दे दिया जो कि आज इस गांव में 50–60 हजार के बीच में हैं। इसके अलावा चांदी, शराब आदि के लिए पैसे लड़के वाले लड़की वालों को देते है।

इन भील आदिवासियों के पास खाने के लिए नहीं होता ऐसी स्थिति में दापा के लिए बड़ी रकम जुटाने के लिए वह अपने आभूषणों, जमीन एवं पशुधनों तक को बेच देते है फिर भी पैसे की व्यवस्था न होने पर लड़कों को साहूकार या सम्पन्न व्यक्ति के यहां हली रख देते है और लड़के की शादी का दापा देते है। जिनके पास कुछ नहीं होता वह साहूकार के यहां से कर्जा लेने के लिए अधिकतर अपने लड़कों को हली रखना ही एक चारा रहता है। क्योंकि उन्हें लड़के की शादी तो करना ही है।

शादी के लिए साहूकार के यहां से एक मुस्त बड़ी रकम उधार ली जाती है जिसका डेढ़ गुना ब्याज देना पड़ता है इस स्थिति में लड़के की शादी उस परिवार की आर्थिक स्थिति को तोड़कर रख देती है जिसका सीधा असर उनकी खाद्य सुरक्षा में पड़ता है क्योंकि आज शादी में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे है जैसे नगाड़ों की जगह बैण्ड, कुण्डी की जगह माइक ने ले लिया है जिसमें से अलग से पैसे खर्च करने पड़ते है और वह परिवार इतना कर्ज के बोझ के तले डूब जाता है कि अपने विकास के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता उसका एक ही मकदस रहता है मजदूरी और पलायन के माध्यम से कर्ज चुकाना उस स्थिति वह अपनी खाद्य सुरक्षा की ओर कोई

विशेष ध्यान नहीं देता और लोगों को आधे पेट खाने और कुछ लोगों को भूखे पेट भी सोना पड़ता है।

नुक्ता :–

20 साल पहले इस गांव में सहयोगी नुक्ता का प्रचलन था लेकिन समाज के कुछ ठेकेदारों एवं सम्पन्न लोगों ने इस सहयोगी नुक्ते में परिवर्तन करके अपनी स्थिति का दबदबा बताने के लिए इसमें बहुत ज्यादा खर्च करने लगे और लोगों को इस तरह से नुक्ता बनाने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि इसके अलावा इनको बाजारवाद और शहरी जुड़ाव का भी असर इन पर पड़ा आज एक परिवार को नुक्ता में कम से कम 20–25 हजार रूपये खर्च करने पड़ते हैं चाहे उसके लिए उन्हें कर्ज ही क्यों न लेना पड़े। उनको यह कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जाना पड़ता है और नुक्ते में पैसे खर्च करने पड़ते है इसके लिए वह अपने घर की महिलाओं के आभूषण, बर्तन और पशुओं को बेचकर पैसा इकट्ठा करते हैं और इसमें इतना पैसा खर्च करते है कि उनके घरों में खाने के लिए अनाज भी नहीं बचता इसके लिए वह अपनी खाद्य सुरक्षा को निश्चित करना भी भूल जाते हैं क्योंकि उस वक्त उनको अपनी समाज में स्थिति दिखानी होती है तब वह एक साथ दो मार को झेलते हैं एक तो घर में खाद्य सुरक्षा की कमी दूसरा उस परिवार पर कर्ज का बोझ होता है। लेकिन स्थानीय संस्था के सहयोग से फिर से सहयोगी नुक्ता प्रचलन हुआ है इस प्रकार के नुक्ते में जब किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो सभी लोग उस परिवार की सहायता के लिए अपने घर से थोड़ा–थोड़ा अनाज या रूपये उस परिवार को देते है जिससे नुक्ते का पूरा बोझ उस परिवार पर न पड़े और उसकी खाद्य सुरक्षा बनी रहे और वह खाली अपने परिवार के सदस्य की मौत का शौक मना सके।

राखी :–

भील आदिवासी के त्यौहारों में राखी का महत्वपूर्ण स्थान है लेकिन इनके राखी मनाने का ढंग अलग है क्योंकि घर की बेटी अपने पूरे परिवार और चाचा, दादा के पूरे परिवार के लिए राखी के साथ–साथ पूरे परिवार के लिए एक–एक नारियल लेकर आती हैं जिसे उसका इस राखी में कम से कम 1500 रूपये खर्च होता है क्योंकि इन परिवारों में व्यक्तियों एवं महिलाओं की संख्या कम होती है। इन आदिवासियों के पास खाने के लिए दो वक्त की रोटी नहीं होती ऐसी स्थिति में यह राखी मनाने के लिए साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है एवं आभूषणों को गिरवी रखना पड़ता है और पशुओं को बेचना पड़ता हैं जिस कारण से यह परिवार अपने खाद्य सुरक्षा निश्चित नहीं कर पाता क्योंकि राखी जिस महीने में होती है उन महीनों में इनके पास आय का कोई भी साधन नही होता। लेकिन सम्पर्क संस्था के प्रयास से इस गांव के 60 परिवार की बहने एवं बहुएं अपने सगे भाइयों के लिए एक नारियल और राखी ले जाती है जिसमें केवल 75 रूपये का खर्च होता है। इस कारण इनको कर्ज नहीं लेना पड़ता और खाद्य सुरक्षा में असर कम पड़ता है लेकिन नारियल वाली प्रथा के कारण गांव के लोग साल भर की खाद्य सुरक्षा निश्चित नहीं कर पाते।

अड़जी–पड़जी :–

अड़जी–पड़जी प्रथा का प्रचलन इस गांव में पुराने समय से हैं और गांव के 70 परिवार इस प्रथा को मानते हैं एवं एक–दूसरे की मदद करते हैं एवं जरूरत के अवसरों पर एक–दूसरे के खेतों में श्रमदान करते हैं जिससे लोगों को धान खर्च नहीं करना पड़ता एवं उनकी कृषि कार्य में लागत कम लगती है और अड़जी–पड़जी से गांव के लोगों में एकता सहयोग की भावना विकसित होती है और लोग एक–दूसरे की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और गांव के विकास के लिए गांव में एकता जरूरी है जो अड़जी–पड़जी के माध्यम से होती है सबसे ज्यादा अड़जी–पड़जी कृषि कार्य के लिए की जाती है और अड़जी–पड़जी के कारण लोगों में कृषि कार्य समय पर हो जाता है और कृषि कार्यों में मजदूरी के लिए लोगों को धन नहीं खर्च करना पड़ता वही धन वह लोग अपनी खाद्य सुरक्षा में खर्च कर लेते है।

आर्थिक श्रेणीकरण :–

इस गांव में कुल 890 हेक्टेयर भूमि हैं जिसमें से 98.32 हेक्टेयर खेती योग्य हैं 575 हेक्टेयर सरकारी भूमि हैं जो पड़त और आबादी चारागाह की भूमि हैं 212 हेक्टेयर की भूमि पथरीली हैं जिसमें 100 हेक्टेयर में एक फसल बड़ी मुश्किल से प्राप्त की जाती है। जिस गांव का क्षेत्र 15 किमी. में फैला हो और खेती के लिए 98 हेक्टेयर जमीन हो उस गांव के लोगों की खाद्य सुरक्षा कैसे निश्चित हो पायेगी क्योंकि उनकी आजीविका का मुख्य साधन खेती है और किसी भी प्रकार के संसाधन इस गांव में नहीं है न ही खेती में अच्छे पानी की सुविधा है पथरीली जमीन में भी यहां के लोग खेती करने का पूरा प्रयास करते है और उसमें मक्का बोते है जो उनकी खाद्य सुरक्षा में अहम् भूमिका निभाता है। ऐसे में गांव के लोगों की खाद्य सुरक्षा संबंधी एवं दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति खेती के माध्यम से नहीं हो सकती ऐसे में इन लोगों के पास मजदूरी, पंचायत मजदूरी और पलायन इनकी आवश्यकताओं की और खास सुरक्षा की पूर्ति करते है। आय के साधनों में अगर हम देखे तो खेती स्थानीय मजदूरी पंचायत मजदूरी पलायन और आंशिक रूप से पशुधन से होती है क्योंकि इस गांव में कृषि आय इतनी ज्यादा नहीं है कि लोगों की भौतिक आवश्यकता और खाद्य आवश्यकता पूर्ति हो इसके लिए लोग पलायन पर जाते हैं क्योंकि इस गांव में न तो कृषि की भूमि है और न ही उसके उपयोग में लाये जाने वाले साधन ऐसी स्थिति में कृषि में लागत की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उपज दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। किसानों सिर पर ब्याज चढ़ता जा रहा है आज इस गांव में सबसे ज्यादा लोग कर्ज के बोझ के तले दबे हुए है लेकिन हर वर्ष खेती यही आशा से करते हैं कि इस वर्ष खेती अच्छी होगी और हम साहूकारों, बैंक एवं सम्पन्न व्यक्तियों का कर्जा चुका देंगे। लेकिन किसी प्रकार की भौतिक प्राकृतिक आपदा इनके बीच में रोड़ डाल देती है और कृषि से आय नहीं होती। जब कृषि से आय इनके पास नहीं होती तो इनकी खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं होती।

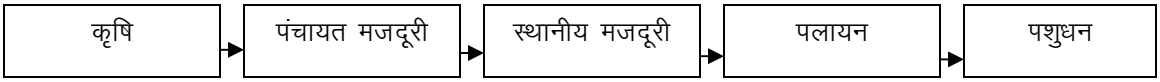

फसलों एवं खाद्य सुरक्षा की स्थिति :–

आज से 25 वर्ष पहले इन भील आदिवासी परिवारों में पूर्णरूपेण देशी फसलों की खेती की जाती थी। जिसमें लागत कम होती थी उपज ठीक होती थी लोगों के पास इतना अनाज होता था कि वह अपनी खाद्य सुरक्षा की चिंता नहीं करते थे क्योंकि वह जो फसल बोते थे जैसे देशी मक्का, उड़द, तुअर, मूंग, मूंगफली, तील, कोदरा, कांगड़ी, सांमली, आंवला, हाल, चावला इत्यादि होते थे जो पूर्णरूपेण खाने के काम में आते थे और देशी कपास जरूरतों की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बोया जाता था और किसी प्रकार का कृषि को लेकर कर्ज नहीं होता था लेकिन समाज में आये परिवर्तन ने इनके पूरे परिवेश में इस तरह असर डाला की उससे इनका रहन–सहन, खान–पान और फसलों में भी परिवर्तन ला दिया लोगों की दैनिक और मौद्रिक आवश्यकताएं बढ़ती गई। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोगों ने नगदी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया और अपनी खेती में ऐसा परिवर्तन लाया कि देशी बीज के स्थान पर हाइब्रीड फसलों की खेती प्रारंभ की इस तरह से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाही। इन पूर्ति का माध्यम खेती ही रही और नगदी फसलों की ही खेती की जाने लगी। नगदी फसलों के 3–4 साल अच्छा लाभ हुआ जिसके कारण हाइब्रीड एवं नगदी फसलों का रकबा दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। इन हाइब्रीड फसलों और नगदी फसलों ने रासायनिक खाद, बीज, कीटनाशक की मांग बढ़ा दी जिससे इनकी उपज होती है और इनकी उपज न होने पर किसानों के ऊपर कर्ज का बोझ चढ़ता गया और शुरूआत के दौर में कमाई गई रकम भी इस कर्ज को चुकान में चली गई। इस प्रकार इस गांव के लोगों के पास 25 से 32 हजार का कर्ज औसतन हैं।

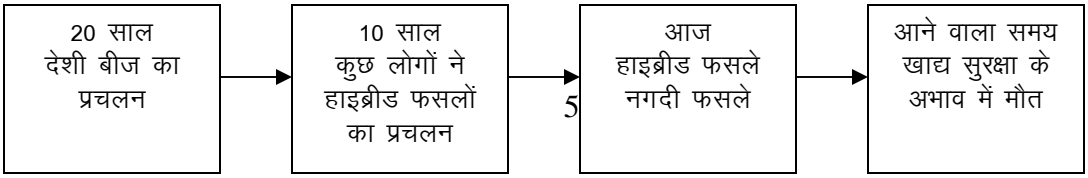

खाद्य सुरक्षा की पूर्ति देशी बीजों से ही होती थी लेकिन आज नगदी फसल हाइब्रीड मक्का, हाइब्रीड कपास, हाइब्रीड के टमाटर के बढ़ते चलन ने खाद्य सुरक्षा प्रदान करने वाली फसलों ने कमी ला दी है खाद्य सुरक्षा की पूर्ति के लिए लोगों को शासकीय उचित मूल्य की दुकान एवं बाजार पर निर्भर होना पड़ रहा है क्योंकि मक्का के द्वारा इन्हें चार से पांच महीने की सुरक्षा ही निश्चित हो पा रही है। बाजार तो है लेकिन इनके पास पैसे नहीं कि यह बाजार से अनाज खरीद कर अपनी खाद्य सुरक्षा निश्चित कर सके। ऐसे में ये लोग भूखे ही सोना पड़ेगा।

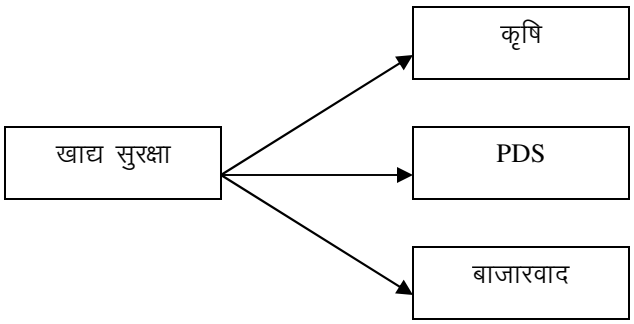

पलायन की स्थिति :–

गांव के लोगों के पास अपनी आय निहित करने का सबसे बड़ा साधन कृषि होती है। कृषि भूमि का अभाव, संसाधनों का अभाव एवं बढ़ते कर्ज के कारण लोगों को अपने खाने के लिए अनाज जुटाने और दैनिक जीवन की जरूरतों की सामग्री जुटाने के लिए स्थानीय और पंचायती मजदूरी पर निर्भर रहना पड़ता है लेकिन इन मजदूरी की कमी कृषि के माध्यम से आय की कमी ने लोगों को पलायन पर जाने के लिए मजबूर कर दिया हैं। पलायन ही इनकी खाद्य सामग्री की जरूरतों को पूरा कर सकता है और उसके लिए लिये गये कर्ज चुकाने का एक साधन हैं। भील आदिवासी परिवार साल के 12 महीनों में से 5–6 महीनों का पलायन करते है। पहला पलायन अक्टूबर–नवम्बर, दूसरा मार्च–जुलाई।

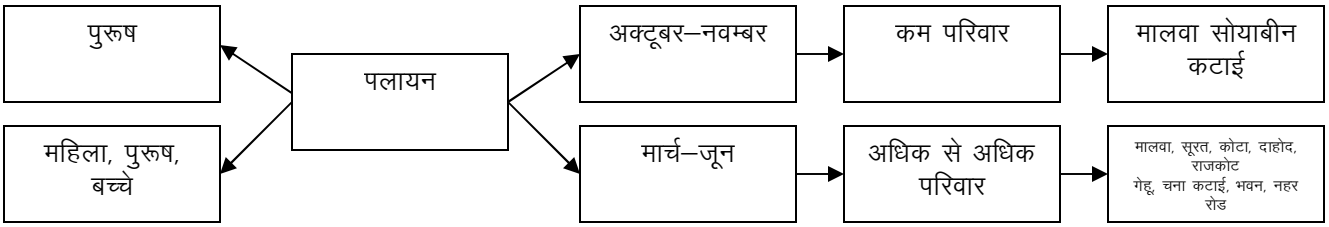

पलायन की आज से 20 साल पहले की बात करे तो लोगों ने बताया कि पहले पलायन में हम एक–दो महीनों के लिए पुरूषों का समूह बनाकर मालवा में गेहूं की कटाई के लिए जाया करते थे। उस समय इस क्षेत्र में गेहूं नहीं होता था पलायन के दौरान हम पैसे नहीं गेहूं लेकर आया करते थे उससे हमारी खाद्य की पूर्ति होती थी और हमें मक्के के अलावा अन्य भोजन की पूर्ति गेहूं करता था लेकिन आज पलायन की बात करें तो 40 प्रतिशत आय पलायन पर निर्भर करती है क्योंकि लोगों की कृषि से इतनी आय नहीं होती कि वह अपनी खाद्य सुरक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा कर सके और ग्राम स्तर इनको बहुत कम समय के लिए ही मजदूरी प्राप्त हो पाती है जिसके माध्यम से पूरे परिवार का पेट नहीं पाला जा सकता। ऐसी स्थिति में यहां के लोग पूरे परिवार सहित पलायन पर जाते हैं घर में वही व्यक्ति रह जाता है जो काम करने में असमर्थ है उस असमर्थ व्यक्ति की खाद्य सुरक्षा के लिए घर में अनाज रख जाते है जिससे वह अपनी खाद्य सुरक्षा प्रदान कर सके।

पलायन के कारण :–

1. कृषि से आय का अभाव
2. संसाधनों की कमी
3. लघु उद्योगों की कमी
4. पंचायत मजदूरी की कमी
5. स्थानीय मजदूरी की कमी
6. ज्यादा पैसे की चाहत
7. भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति
8. कौशल प्रशिक्षण की कमी

पलायन के माध्यम से प्राप्त आय भील आदिवासी परिवार सबसे पहले अपने खाने के लिए अनाज उसके बाद कृषि कार्य कर्ज चुकाने बीमारी या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। इसलिए पलायन उसके लिए जरूरी हो गया है।

पलायन से प्राप्त आय का व्यय :–

1. अनाज के लिए
2. कर्ज चुकाने में
3. कृषि कार्य में
4. सामाजिक कार्यक्रमों में
5. बीमारी में
6. कपड़े एवं प्राव्हीजन स्टोर में
7. अन्य जरूरतों में।

कर्ज की स्थिति :–

इस गांव के भील आदिवासी परिवार अपनी आय के साधन कृषि के लिए सबसे ज्यादा कर्ज लेते हैं क्योंकि पहले इस गांव में देशी बीज का प्रचलन बहुत था एवं इनकी खेती करने पर लागत कम थी और उपज अच्छी होती थी। लेकिन समय के साथ आये परिवर्तन और लोगों की बढ़ती जरूरतों इन फसलों पर ऐसा असर डाला कि इनकी जगह हाइब्रीड बीजों ने ले लिया। इन हाइब्रीड बीजों ने शुरू में अच्छा उत्पादन दिया लेकिन अब इनका रकवा तो बढ़ गया है लेकिन इन पर किसानों के द्वारा रासायनिक खाद, दवाई, कीटनाशक, कल्चर इत्यादि महंगे पदार्थों का उपयोग करने के बावजूद उपज अच्छी नहीं हो रही और लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लेकिन इन गांव वालों के पास इतने पैसे नहीं होते कि नगद खरीद सके ऐसे में ये लोग साहूकारों के यहां से डेढ़ गुना ब्याज पर इन सब चीजों को खरीदते हैं। लेकिन फिर भी अपनी आशा के अनुरूप इन हाइब्रीड फसलों के उत्पादन को नहीं पाते और कर्ज दिन प्रतिदिन इनके ऊपर बढ़ता जा रहा है।

इसके अलावा यहां के लोग अपने सामाजिक कार्यक्रमों त्यौहारों के लिए कर्ज लेते हैं सामाजिक कार्यक्रमों में शादी में दापा देने के लिए एक मुस्त बड़ी रकम 40–50 हजार रूपये साहूकार से कर्ज लेते हैं। इसके अलावा नुक्ता के लिए 15–20 हजार रूपये कर्ज लेते हैं क्योंकि इन लोगों को इनमें इतने पैसे खर्च करने पड़ते है जबकि हकीकत यह है कि इन लोगों के पास खाने के लिए दो वक्त की रोटी नहीं होती हैं ऐसे में इतना पैसा खर्च करना इनकी मजबूरी है। क्योंकि समाज के रीति–रिवाजों को नहीं छोड़ सकते है।

इसके अलावा ये लोग अपनी या परिवार वालों की बीमारी के लिए साहूकार या सम्पन्न व्यक्ति से कर्ज लेते हैं क्योंकि इनके पास बचत तो होती ही नहीं है लेकिन पहले की बात करे तो

ये लोग बीमारी में जड़–बुटियों को खाकर के ठीक हो जाते थे। लेकिन आज न तो जड़ी–बुटियां है न इनको खाने पर कोई ठीक होता हैं। अपनी जरूरत की अन्य छोटी–मोटी चीजों के लिए हमेशा कर्ज लेते हैं क्योंकि इनके पास बचत नहीं होती है और अपने लिए हमेशा ही कर्ज और अन्य चीजों की उपस्थिति की तलाश करते रहते है।

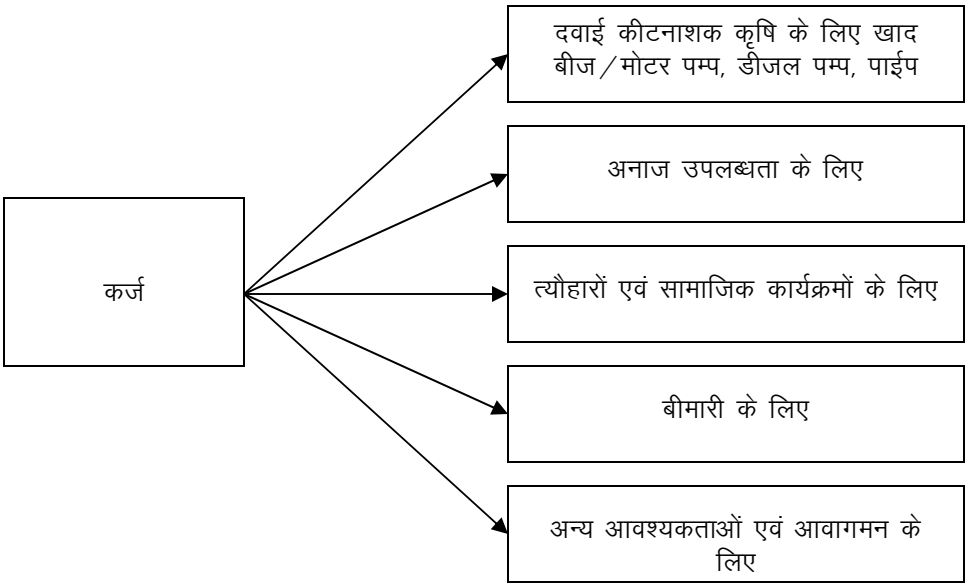

गांव के लोग अपने रिश्तेदारों से कर्ज लेने के लिए सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते है क्योंकि इन्हें वह अपना समझते है और उनके सामने इनके हालात छिपे नहीं है और रिश्तेदार आसानी से कर्ज दे देते है और इसके बाद ये लोग आपस में मिलकर किसी सम्पन्न व्यक्ति से भी कर्जा लेते है लेकिन इन लोगों से प्राप्त कर्जे से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते क्योंकि इनके पास इतना पैसा उपलब्ध नहीं होता जितना इनकी जरूरत होती है। इसके बाद वे सबसे ज्यादा कर्ज साहूकार से लेते है क्योंकि अपने आभूषणों जमीन आदि को गिरवी रखकर एक साथ बड़ा कर्ज प्राप्त किया जा सकता है। छोटी–मोटी जरूरतों की पूर्ति भी साहूकार कर देते हैं लेकिन सोसायटी बैंक द्वारा इन लोगों खाद–बीज के लिए कर्ज दिया गया था लेकिन कृषि उपज अच्छी न होने के कारण सोसायटी बैंक का भी कर्ज नहीं चुका सकते और सोसायटी बैंक वाले इनके पास पैसा मांगने आते है और पैसा न पाने पर जमीन कुर्क करने पर आदेश और धमकी देते है।

इस गांव के भील आदिवासियों ने अपनी छोटी–छोटी कृषि भूमि को सिंचित बनाने के लिए मोटर पम्प, डीजल पम्प के लिए साहूकारों से कर्ज लिया था और सपना देखा था कि कृषि भूमि सिंचित होगी उपज अच्छी होगी और आसानी से ये लोग कर्ज चुका सकते हैं। लेकिन लगातार बिजली की कटौती एवं डीजल के बढ़ते दामों ने इनकी कमर तोड़कर रख दी हैं। क्योंकि इनके पास कर्ज के ऊपर कर्ज चढ़ता जा रहा है और आय के साधन निहित होते जा रहे हैं।

जनकल्याणकारी योजनाओं की स्थिति :–

शासन के दौरान समाज के पिछड़े गरीब एवं प्राचीन जनजातियों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इन योजनाओं की शुरूआत की गई –

सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली :–

इस गांव के लोगों से जब सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली पर चर्चा की गई तो लोगों ने स्पष्ट कहा कि हम हर महीने अपने हक का अनाज लेने राशन की दुकान जाते हैं और लेकर आते है इस गांव में 93 बीपीएल कार्ड धारक एवं 14 अन्त्योदय कार्ड धारक है। ये लोग हफ्ते में दो दिन बुधवार, गुरूवार के दिन उनकी राशन की दुकान खुलती है वहां अनाज लेने के लिए 10 किमी.

पैदल चलकर पांचपीपला जाना पड़ता हैं और जब बीपीएल कार्ड धारकों से बात की गई उन्होंने बताया कि हमें महीने में 18 किलो ही अनाज प्राप्त होता है और 3 लीटर केरोसीन प्राप्त होता है लेकिन हमने वितरक से शिकायत की की हमें सुप्रीम कोर्ट के अनुसार महीने में 35 किलो अनाज प्राप्त होना चाहिए तो दुकानदार खुले शब्दों में कहता है आपके कोटे में ऊपर से ही इतना अनाज आया है तो हम इससे ज्यादा कहा से दे दें।

जब अन्त्योदय कार्ड धारकों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमें महीने में 35 किलो अनाज तो प्राप्त हो जाता है लेकिन उसे लेने के लिए हमें तीन–चार बार दुकान के चक्कर लगाने पड़ते हैं। घण्टों लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है एवं राश्न न मिलने पर निराश होकर घर आना पड़ता है एवं हमारे तीन–चार दिनों की मजदूरी का भी नुकसान होता है। साल में ऐसे कई महीने आते है जो कि हमें राशन प्राप्त होता है उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं रहती और बीपीएल कार्ड धारकों अन्त्योदय कार्ड धारकों के साथ दुकानदार का व्यवहार संतोषजनक नहीं रहता जबकि इन लोगों के सामने ही सम्पन्न व्यक्तियों के साथ आदत एवं स्नेह का व्यवहार किया जाता है।

भीलकोटड़ा के लोगों ने अपने प्रयासों के माध्यम से राशन की नई दुकान खोलने के लिए ग्रामसभा से जनपद पंचायत और जिला पंचायत से भी प्रस्ताव पास करवा लिया है लेकिन आज तक यहां पर राशन की दुकान नहीं खुली है।

बरसात के दिनों में इन लोगों को राशन लेने के लिए 10 किमी. पैदल चलने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि रास्तें में दो नाले और एक नदी पार करके जाना पड़ता है जो कि उस समय संभव नहीं होता। ऐसे में ये लोग अपने हक का अनाज लेने से भी वंचित रहते हैं

आंगनवाड़ी :–

इस गांव के 12 फलियों में केवल 2 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं बाकी फलियों के बच्चे गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, किशोरी बालिकाएं आंगनवाड़ी केन्द्र से चलाये जाने वाली पूरक पोषण आहार एवं अन्य सुविधाओं से पूर्णरूपेण वंचित रहते है। इस गांव का क्षेत्रफल 15 किमी. में फैला हुआ है एवं 12 फलियों में गांव विभक्त है ऐसे में दो आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से न तो सभी बच्चों को पूरक पोषण आहार एवं अनौपचारिक शिक्षा नहीं मिल सकती न ही गर्भवती, धात्री और किशोरी बालिकाओं को न तो पूरक पोषण आहर मिलता न ही गर्भवती महिला को आयरन, विटामिन की गोली मिलती न ही टीकाकरण होता न ही धात्री महिला को पूरक पोषण आहार मिल पाता और न ही उसके बच्चे का टीकाकरण हो पाता ऐसे में गांव के बच्चे कुपोषित ही होंगे एवं महिलाएं एनिमिया से पीड़ित होंगी और न ही किशोरी बालिकाओं को किसी प्रकार की शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त होगा। क्योंकि एक फलिया से दूसरे फलिया जाने के लिए न तो आवागमन के लिए सड़क या रास्ता है यहां पर इनके बीच में नदी और नाले है जिनको पार कर जाना छोटे बच्चों एवं इसका लाभ प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाएं धात्री महिलाओं के लिए आसान नहीं होता।

इस गांव के 10 फलिये आंगनवाड़ी सुविधाओं से वंचित हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हर एक टोले एवं फलिये में एक आंगनवाड़ी केन्द्र होना चाहिए जिससे उस गांव के बच्चे कुपोषण रहित रहे एवं गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं, किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार के अलावा अन्य सुविधाएं प्राप्त कर सके। जिन दो फलियों में आंगनवाड़ी है उसमें दलिया और मुरमुरा मिलता है और कभी कभार गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं को पूरक पोषण आहार एवं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सुविधा प्राप्त हो जाती है। जब गांव वालों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को पूरक पोषण आहार एवं आसपास के फलिए के बच्चों को पूरक पोषण आहार मिल रहा है क्या यह कम है और एक दो घण्टे के लिए बच्चे आंगनवाड़ी चले जाते है इस गांव के 10 फलियों को मिलाकर 140 बच्चे इस प्रकार की सुविधा एवं पूरक पोषण आहार पाने से वंचित है।

अन्त्योदय अन्न योजना :–

समाज के गरीब तबके एवं पिछड़े लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रामसभा के माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन किया गया। इस गांव में 14 अन्त्योदय कार्डधारी हैं लेकिन जब हमने ग्रामीण सहभागिता के आर्थिक श्रेणीकरण विधि का प्रयोग किया और उसमें से ए.बी.सी.डी. श्रेणी निकाला तो 40 परिवार ऐसे निकले जिनको आज भी अन्त्योदय कार्ड की जरूरत हैं जिससे वह अपने परिवार की खाद्य सुरक्षा की पूर्ति के लिए इस योजना का लाभ उठा सके। क्योंकि इस योजना के तहत बाजार से काफी कम दाम पर 2 रूपये किलो गेहूं और 3 रूपये किलो चावल प्राप्त होते हैं और महीने में कुल मिलाकर 35 किलो अनाज प्राप्त होते है जो कि खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है क्योंकि भोजन की आवश्यकता की पूर्ति कुछ महीनों के लिए तो नहीं लेकिन कुछ दिनों के लिए करता है। जब गांव वालों से इस कार्ड के बारे में चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि हमने अपने कार्ड बनवाने के लिए ग्रामसभा में प्रस्ताव रखा था लेकिन यह कहरकर मना कर दिया गया कि हमें ऊपर से (मध्यप्रदेश शासन) आदेश नही है कि हम और कार्ड बनाये क्योंकि इन कार्डों की संख्या सीमित और लक्ष्यक्षित रखी गई है। ऐसे में आज 40 परिवार इस योजना का लाभ पाने के लिए वंचित हैं जब अन्त्योदय कार्डधारियों से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि हमें महीने में 35 अनाज तो मिलता है लेकिन उस अनाज की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती और हर महीने समय पर राशन प्राप्त नहीं होता जिसके लिए हमें दुकान के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं और दुकान के खुलने के निश्चित दिन ही हमें घण्टों इंतजार करना पड़ता हैं एवं दुकान न खुलने की स्थिति में निराश होकर घर वापस लौटना पड़ता है।

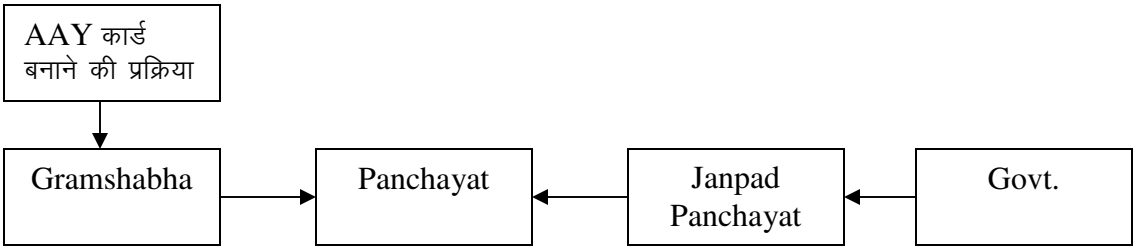

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना :–

गांव में छह लोगों को वृद्ध और विधवा पेंशन मिलती है बाकी गांव के छह महिलाएं विधवा पेंशन पाने से वंचित हैं छह विकलांगों में से एक विकलांग को पेंशन मिल रहा है पांच विकलांग पेंशन पाने से वंचित हैं। इस गांव के 10 वृद्ध पुरूष पेंशन पाने से वंचित हैं क्योंकि शासन ने इन योजनाओं के हितग्राहियों के लिए जो पैमाना तैयार किया है वह सही नहीं है। जिस कारण से इस गांव के विकलांग, वृद्ध, निराश्रित, असहाय, विधवा और परित्यागताओं की खाद्य सुरक्षा नहीं हो पा रही है क्योंकि इनके पास आय के साधनों में असिंचित पथरीली भूमि एक–दो बीघा है ऐसे में इनको इस योजनाओं की जरूरत होते हुए भी इसका लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे है।

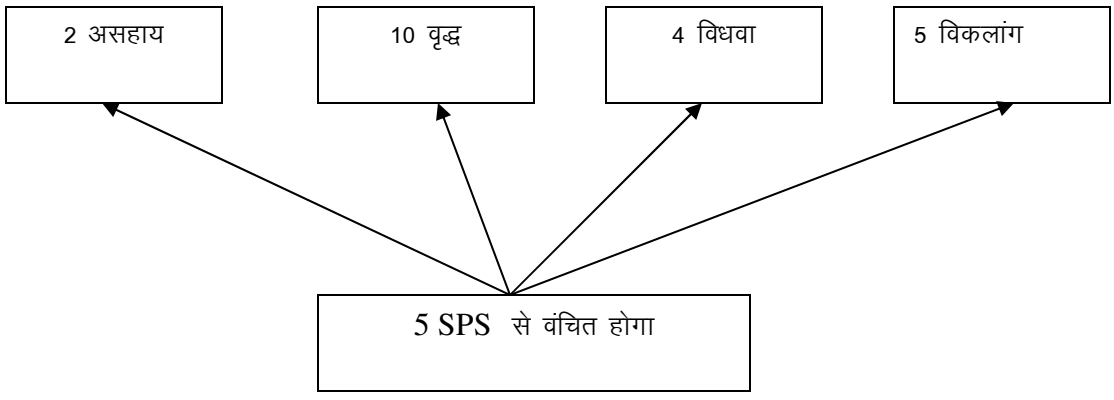

रोजगार गारंटी कानून :–

रोजगार गारंटी कानून बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण था लोगों को काम के माध्यम से खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाए एवं पलायन को रोका जा सके। इस कानून के तहत एक परिवार को सालभर में 100 दिन का काम मिलेगा। जिससे उसकी खाद्य सुरक्षा निश्चित हो सके इस गांव में अभी तीन परिवार ही जॉब कार्ड से वंचित है जिनके जॉव कार्ड बनाने की प्रक्रिया चालू है इस योजना के तहत तालाब गहरीकरण, मेढ़ बंधी, घाट कटाई, रोड निर्माण इत्यादि का काम हो चुका हैं एवं काम के स्थान पर मिलने वाली सुविधाओं में से पानी की सुविधा उपलब्ध अन्य सुविधाएं प्राथमिक उपचार की सामग्री, छाया, बच्चों के लिए झूला इत्यादि नहीं है और काम में मजदूरी मेट एवं नपती के आधार पर दी जाती है जिससे लोगों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी 61.37 पैसे से कम 50–55 रूपये ही मिलती है इस गांव में अभी तक 47 दिन का काम मिल चुका हैं और कार्य प्रगति हैं। इस कानून में प्रावधान है कि काम मांगने के 15 दिन के अंदर मजदूरी मिल जाने चाहिए लेकिन लोगों को काम मांगने के आवेदन की रसीद नहीं दी जाती और न ही दो–तीन माह तक काम दिया जाता हैं। इस कानून में प्रावधान है 15 दिन के अंदर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए लेकिन यहां तो काम ही नहीं मिलता बेरोजगारी भत्ता तो दूर की बात है साल के 10 महीनों में 47 दिन का काम ही मिला है इसलिए बाकी के बचे तीन महीनों में 53 दिन की काम की आशा करना गांव वालों के लिए सही नहीं होगा। ऐसी स्थिति में न तो गांव वालों को काम के बदले पैसे सही समय में मिल पाते न ही उनकी खाद्य सुरक्षा निश्चित हो पाती और न ही पलायन को रोका जा सकता। ऐसी स्थिति में गांव के लोग अपनी खाद्य सुरक्षा को निश्चित करने एवं रोजगार की तलाश में पलायन में जाने के लिए मजबूर रहते हैं।

मध्यान्ह भोजन :–

इस गांव के 12 फलियों में 1 माध्यमिक स्कूल, 5 ईजीएस शाला हैं। जिनमें सभी गांव के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं शिक्षा के साथ–साथ इनको स्कूल में मध्यान्ह भोजन प्राप्त होता है। मध्यान्ह भोजन में इन्हें दो रोटी, दाल, सब्जी प्राप्त होती है जिससे इनकी स्कूल में खाद्य सुरक्षा की पूर्ति होती हैं एवं मध्यान्ह भोजन चालू होने से स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है और बच्चों का शिक्षा के प्रति रूझान भी बढ़ा है एवं बच्चे स्वस्थ्य रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे है इन स्कूलों एवं शालाओं में मध्यान्ह भोजन बनाने के लिए एक महिला कार्यकर्ता नियुक्त की गई है। जिसे वेतन भी दिया जा रहा है एवं खाने की सामग्री लाने की जवाबदारी शिक्षकों की पास हैं ऐसी स्थिति में खाद्य सामग्री जुटाने एवं इसका लेखा–जोखा रखने में ही उनके दिन चले जाते है ऐसे में उनके पास इतना समय नहीं बचता की बच्चों को शिक्षा दे सके जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है शिक्षकों का कहना है मध्यान्ह भोजन हम पर एक अतिरिक्त जवाबदारी के रूप में दे दिया गया है। जिस दिन इस गांव हाट बाजार के लिए लोग राजौद गांव जाते है उस दिन यहां के स्कूल और ईजीएस शाला की छुट्टी कर दी जाती है जिससे उस दिन बच्चों को मध्यान्ह भोजन नहीं मिल पाता है।

केस स्टडी

सीता पति स्व. गंगाराम गामड़ (उम्र 42 वर्ष, भील आदिवासी) ग्राम गरवाड़ा, पंचायत गामड़ी, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ (म.प्र.) की रहवासी हूं। मेरा परिवार अतिगरीबी रेखा परिवार की सूची (सर्व सूची क्रमांक 4801) के अंतर्गत आता है। मेरे पति श्री गंगाराम गामड़ की मृत्यु वर्ष 5/10/03 में बीमारी के कारण हुई। परिवार के पास कुल 4 बीघा पथरीली असिंचित पहाड़ी भूमि हैं। इस भूमि से प्राप्त होने वाली आय से ही 8 सदस्यों वाली परिवार का गुजर–बसर करना पड़ता है। साथ ही पति के द्वारा जमा रकम उनकी बीमारी के इलाज में खत्म हो गई है। पति की मृत्यु के पश्चात् हम लोगों की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई है। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत लाभ पाने के लिए पंचायत सरपंच के माध्यम से वर्ष 2003 में आवेदन जमा किया। परिणामस्वरूप एक से डेढ़ माह के बीच मेरे नाम से 10 हजार रूपये राशि स्वीकृत हुई पंचायत सचिव ने राशि प्राप्त करने के लिए बैंक में खाता खुलवाने के लिए कहा अतः दिनांक 17/11/03 को आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित सारंगी में मेरे नाम से खाता खोला गया तथा उसमें योजना की राशि जमा की गई। बैंक में खाता खुलने के तीन दिन के बाद पंचायत सचिव के साथ स्वीकृत राशि 10 हजार रूपये का भुगतान पाने लिए बैंक गई जब बैंक मैनेजर ने राशि देने से इंकार करते हुए कहा कि तुमने वर्ष 1994–95 में आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित बोड़ायता से शासकीय उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत 5579 रूपये का ऋण लिया जो कि आज बढ़कर 12,690 रूपये का हो गया हैं। अतः राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत तुम्हारे नाम से स्वीकृत राशि से ऋण वसूल किया जायेगा। प्रार्थी यह बताना चाहती है कि 1994–95 में गरवाड़ा में शासकीय उद्वहन सिंचाई योजना के तहत कार्य प्रारंभ हुआ था लेकिन इस योजना में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ था तकनीकी खामिया होने से हम ग्रामीणों के खेत तक एक बूंद पानी भी नहीं पहुंच सका। इस तरह गांव के 28 तथा पूरी पंचायत के 62 किसान 2,65,065 रूपये के कर्ज के तले दब गये हैं। इस स्थिति को देखते हुए मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति संदिग्ध दायित्व ने धारा अधिनियम 1979 को आधार बनाकर दिनांक 27/7/04 को ग्रामसभा ने इस योजना के तहत ऋण जमा करने से मना किया। जिसकी जानकारी 21/3/05 को कलेक्टर महोदय झाबुआ को भेजी गई जिसके परिणामस्वरूप कलेक्टर ने योजना की जांच करने का आदेश दिया जो आज भी चल रही है। पिछले चार साल से योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बैंक के चक्कर काट रही है गांव से बैंक की दूरी 10 किमी. हैं जिस कारण आने–जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि आवागमन का कोई साधन नहीं हैं। इस संबंध में दिनांक 14/5/05 को ग्राम सचिवालय में लिखित शिकायत की गई जब यह शिकायत पत्र बैंक मैनेजर के पास गया तो उसने कहा कि कलेक्टर के पास से जब्त लिखित आदेश आयेगा तब ही राशि का भुगतान किया जायेगा दिनांक 24/6/05 तथा 6/8/05 को कलेक्टर के नाम लिखित आवेदन भेजा गया है लेकिन इस आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आज भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पूर्णरूपेण अवहेलना की जा रही है क्योंकि उसका आदेश है कि राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना से प्राप्त राशि से ऋण वसूला नहीं जा सकता।

केस स्टडी

झाबुआ जिले के पेटलावद ब्लॉक में 65 आदिवासी परिवारों का गां लालारूण्डी है। इस गांव में सभी आदिवासी परिवार निवास करते हैं। इसी गांव में नन्दू कोदा का परिवार निवास करता है, जो कि कृषक है। लेकिन भूमि कम होने के कारण फसल की उत्पादकता भी बहुत कम होती है, जिस कारण नन्दू कोदा की पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है। नन्दू के परिवार में कुल 5 सदस्य है, जो कि इस अकेल व्यक्ति पर आश्रित है। नन्दू की आर्थिक स्थिति दयनीय होने से इस परिवार को गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की सूची में शामिल किया गया।

नन्दू अपनी अनाज की आवश्यकता की पूर्ति के लिए शासकी उचित मूल्य की दुकान, रायपुरिया से अनाज का क्रय करता है। लेकिन नन्दू उचित मूल्य की दुकान में होने वाली अनियमितता के कारण खुश नहीं है।

नन्दू ने बताया कि दुकान सेउसे समस्याएं आ रही है वह जब भी अनाज लेने जाता है तो कई बार खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। क्योंकि कभी तो स्टॉक खत्म हो जाता है, और कभी–कभी वितरक स्वयं ही राशन देने से मना कर देता है।

वितरक जितना राशन देता है, उसमें भी तौलने में गड़बड़ी करता है। हमेशा 500 ग्राम–1 किलोग्राम तक राशन कम मिलता है। जब वितरक से अनाज का मूल्य पूछते है तो वितरक चिड़ जाता है और कहता है कि पहले बनिये से भाव पूछ कर आओ बाद में यहां भाव पूछना।

वितरक के इस व्यवहार के कारण शासकीय उचित मूल्य की दुकान की अपेक्षाा बाजार से अनाज खरीदना अधिक अच्छा है। उचित मूल्य की दुकान पर भीड़ होने पर घण्टों लाइन में खड़े रहना पड़ता है तब जाकर किसी तरह लाभ प्राप्त हो पाता है।

वितरक के व्यवहार के कारण नन्दू का नाखुश होना स्वाभाविक सा प्रतीत होता है क्योंकि यह योजना गरीबों के लिए ही लागू की गई। लेकिन इन्हीं से वितरक का व्यवहार ठीक नहीं होना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता।

केस स्टडी

कनीराम सोलंकी निवासी छोटा सलुनिया इसके परिवार में 4 सदस्य हैं कनीराम दोनों पैरों से अपंग हैं एवं इसकी आयु 36 वर्ष की है इसके घर में काम करने के लिए इसकी बीवी है एवं दोनों छोटे–छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इनके पास डेढ़ बीघा कुल जमीन है जिसमें से खाने के लिए दो तीन माह का मक्का हो जाता है लेकिन इस वर्ष पानी ज्यादा गिरने के कारण फसल नष्ट हो गई और इस वर्ष इनके पास खाने के लिए दो महीने का मक्का हुआ है। अब इसकी पत्नी गांव में लोगों के यहां मजदूरी करके खाने के लिए अनाज जुटाती हैं।

कनीराम सोलंकी शुरू से अपंग नहीं था वह आज से पांच वर्ष पहले बीमार पड़ा था तो जामली के डॉक्टर के यहां दवाई करवाई उसी समय से वह अपंग हो गया और उसकी स्थिति में सुधार भी नहीं हो रहा था तो उसकी पत्नी ने उसकी दवाई पेटलावाद में करवाई जहां पर उसके 8 हजार रूपये खर्च हुए लेनिक इलाज से कोई फायदा नहीं हुआ तो उसे दवाई के लिए दाहोद ले गये जहां उसकी दवाई में 12 हजार रूपये फिर भी वहां ठीक न होने पर उसे दवाई के लिए इंदौर ले के आये लेकिन इंदौर में 30 हजार रूपये खर्च करने पर भी वह ठीक नहीं हो सका। उसकी दवाई में कुल 50 हजार रूपये खर्च हो चुके हैं एवं उसके घर के हालात बहुत ही खराब है क्योंकि इनके ऊपर कर्ज इतना ज्यादा है कि यह लोग अपने खाने के लिए अनाज भी नहीं जुटा पा रहे हैं और इनके दोनों बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं लेकिन न तो उनके पास कपड़े, किताब–कॉपी, पेन कुछ भी नहीं हैं और न ही उनकी मां यह सब सुविधाएं उन्हें दिलवा पा रही हैं क्योंकि वह काम करके सही समय में अपने बच्चों को दो वक्त की रोटी भी नही जुटा पा रही हैं।

केस स्टडी

मंगलीय पिता लुडा जाति डामर कचराखदान इनके परिवार में कुल 5 सदस्य हैं इनके पास डेढ़ बीघा खेती के लिए जमीन है और इनके परिवार में काम करने वाला मंगलिया भर है। मंगलिया की पत्नी का स्वर्गवास हो गया है और उसका बच्चा छोटा है जिसे समय–समय पर पोषण आहार ने मिलने के कारण उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। मंगलिया दिन–रात बराबर गांव के दूसरे लोगों के यहां काम करता रहता है क्योंकि उसके खेत से इतनी आय नहीं हो पाती कि उसकी सालभर की खाद्य सुरक्षा हो सके। उसके मां–बाप बूढ़े है बच्चा छोटा है इसलिए उसे स्थानीय मजदूरी में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता हैं क्यों वह अपने मां–बाप और बच्चों को छोड़कर पलायन पर नहीं जा सकता लेकिन बरसात के दिनों में मजदूरी न मिलने के कारण ऐसे भी दिन आते है कि वह न तो अपने मां–बाप को खिला सकता है और न ही बच्चे को, ऐसी स्थिति में उनको भूखे सोना पड़ता है। पंचायत के द्वारा उसके बूढ़े मां–बाप को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। उसके पास टूटा–फूटा झोपड़ा है उसने कई बार ग्रामसभा में पंचायत के द्वारा मकान बनाने के लिए चलायी जा रही योजना का भी लाभ लेने का प्रयास किया लेकिन उसे कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो सका।

केस स्टडी

मीरा पति हुरपाल जाति मेड़ा ग्राम छोटा सलुनिया इसके परिवार में 4 सदस्य हैं और काम करने वाली अकेली मीरा है उसके दोनों बालक एवं बालिका पढ़ाई करने के लिए स्कूल जा रहे हैं। मीरा के पास दो बीघा जमीन है एक बीघा जमीन तालाब के साईड में है जिसकी सिंचाई तालाब के पानी से हो जाती है और इसमें फसल भी अच्छी हो जाती है लेकिन इस वर्ष वर्षा अधिक होने के कारण फसल नष्ट हो गयी हैं और दूसरे खेत से जो मक्के की फसल हुई थी वह खाने के लिए 4 महीने ही चल सकी और इस समय मीरा रोज सम्पन्न व्यक्तियों के यहां मजदूरी करने जाती है और बच्चों के खाने लिए अनाज लाती हैं। मीरा का टूटा–फूटा घर है और खाद्यान्न भण्डारण भी नहीं है और वर्तमान समय में मीरा का बड़ा लड़का मुकेश धान्यारूण्डी के कांजी बसुनिया के यहां बंधुआ मजदूरी कर रहा है क्योंकि वह उनके यहां से खाने के लिए अनाज और जरूरतों की अन्य चीजों के लिए पैसे लाये थे। इस परिवार की साल भर में 2200–2500 रूपये आय होती हैं। इनके पास आज तक जॉव कार्ड नही है जबकि जॉव कार्ड के लिए मीरा ने पंचायत में आवेदन किया था जिस कारण से पंचायत के चलाये जा रहे कामों से आज भी वह वंचित है।

केस स्टडी

शम्भूमूणिया पत्नी नानूडी ग्राम कचरा खदान कुल इनके परिवार में 10 लोग हैं। दो बीघा असिंचित जमीन इनके पास है असिंचित भूमि होने से खेतों में मक्का ही बोया जा सकता है बारिश अगर अच्छी और समय–समय पर होती है तो मक्का पक जाती है लेकिन पिछले कुछ सालों से पड़ रहे सूखे एवं अति बारिश के कारण मक्का नहीं पक रहा हैं। शम्भूमूणिया ने अपनी दो पुत्रियों की शादी कर दी हैं 5 पुत्रियां एवं 1 पुत्र शादी के लिए बाकी हैं। शम्भूमूणिया एवं उसकी पत्नी मजदूरी और पलायन पर जाकर अपना व अपने बच्चों का पालन–पोषण करते हैं और बंधुआ मजदूरी करके सालभर का खर्च निकाल पाते है इतने बड़े परिवार के रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं थी तब पंचायत द्वारा इंदिरा आवास का मकान दिलाया गया वह भी छोटा और कच्चा है इस स्थिति में शम्भूमूणिया न तो अपने बच्चों को दो समय अच्छा भोजन खिला पा रहा न ही अच्छे कपड़े इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है इनका जॉव कार्ड भी नहीं बना है जिस कारण से इन्हें पंचायत के द्वारा चालू किसी काम पर नहीं लगाया जाता है इनके पास बीपीएल राशन कार्ड है।

केस स्टडी

भूरा पिता माना गांव छोटा सलुनिया इस परिवार में कुल 2 सदस्य हैं। इनके लड़के बच्चे नहीं है एक टूटी–फूटी झोपड़ी है जिसमें कवेलू भी नहीं हैं इनके पास एक बीघा असिंचित जमीन है उसी में खेती करके अपने खाने के लिए मक्का पैदा करते हैं और फिर स्थानीय मजदूरी न मिलने पर पलायन पर चले जाते है और साल के 12 महीनों में से 8 महीने पलायन में रहते हैं इन परिवार को शासन द्वारा किसी भी प्रकार की योजना का लाभ नहीं मिल रहा हैं न ही लोगों के पास किसी प्रकार का राशन कार्ड है इन लोगों ने 8 महीने से पंचायत के सचिव को आवेदन फॉर्म जमा कर दिया है लेकिन आज तक राशन कार्ड नहीं बन पाया है। कूपन न होने के कारण बाजार से गेहूं और मक्का लाकर खा रहे हैं। मजदूरी ज्यादा करते है क्योंकि इनके पास कृषि से आय नहीं होती इनकी पूरी आय मजदूरी पर निहित होती है और इनकी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ी है। इनके पास खाने के लिए अनाज नहीं होता है।

केस स्टडी

गट्टू पिता खूमजी नीनामा ग्राम लालारूण्डी इसके परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। इसका एक लड़का था जो बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई इसकी बीमारी ने इसने खूब पैसा खर्च किया लेकिन न तो लड़का बचा और न ही पैसा। इनके पास 2 बीघा असिंचित जमीन है इस पर एक फसली खेती होती है ऐसी स्थिति में पांच महीनों के लिए मक्का होता हैं बाकी दिनों के लिए हमें मजदूरी करके लाना पड़ता है। इन लोगों के पास न तो राशन कार्ड है और न ही जॉव कार्ड राशन कार्ड के लिए ग्रामसभा में प्रस्ताव भी रख चुका है लेकिन आज तक राशन कार्ड नहीं बना है। जिसक कारण से इसे राशन की दुकान का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है गांव में रोजगार गारंटी का काम चलता है तो इसे पंचायत द्वारा काम पर नहीं लगाया जाता क्योंकि इसके पास जॉव कार्ड नहीं है जॉव कार्ड बनाने की प्रक्रिया पंचायत द्वारा शुरू की गई है। सचिव को कई बार जॉव कार्ड बनाने के लिए आवेदन दिया गया लेकिन उसने आवेदन की रसीद तक नहीं दी। जिस कारण से वह दूसरों से कुछ कह भी नहीं पा रहा।

ऐसे में वह अपनी खाद्य सुरक्षा निश्चित करने के लिए स्थानीय मजदूरी को छोड़कर पलायन में जाता है क्योंकि उसे वहां न तो जॉव कार्ड की जरूरत होती है न ही बीपीएल लिस्ट की पलायन के दौरान प्राप्त आय से वह अपनी खाद्य सुरक्षा निश्चित करता है एवं अपनी खेती के लिए लिये गए कर्ज चुकान का प्रयास करता है। क्योंकि इसके परिवार में कोई न कोई बीमार होता रहा है इसलिए इनकी दवाई में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। ऐसी स्थिति में उसके पास खाने को अनाज नहीं होता तो वह दवाई कहां से कराये।

केस स्टडी

जैमाल बज्जा जाति नीनामा ग्राम लालारूण्डी का निवास है इसके परिवार में 4 सदस्य हैं। जैमाल बज्जा की पत्नी का निधन बीमारी के कारण हो गया था क्योंकि इसके पास दवाई कराने के लिए पैसे नहीं थे। उसकी दवाई के लिए उसने जो साहूकार से कर्ज लिये थे आज भी वह कर्ज चुका रहा है इसके पास कुल एक बीघा असिंचित जमीन है। इस जमीन से मक्का की फसल ही प्राप्त की जा सकती है उधार लेकर अनाज लाते है और उसी से पेट भरते हैं वह रिश्तेदार एवं साहूकारों के यहां से सबसे ज्यादा कर्ज लाते है इसके पास मकान नहीं है इसने इंदिरा आवास योजना के लिए ग्रामसभा में अपना नाम रखा था लेकिन इसको आज तक उसका लाभ नहीं मिला इसके पास अन्त्योदय का कार्ड है जिससे यह हर महीने अनाज खरीद कर लाता है लेकिन आदमियों की संख्या के आधार से एक महीने के लिए अनाज भी नहीं होता है।

केस स्टडी

सीता बाई के परिवार में कुल 6 सदस्य हैं। सीता बाई विधवा महिला है इसके पति अम्बाराम की मृत्यु 9 वर्ष पहले हो गई थी अम्बाराम को टीबी की बीमारी थी जिसके इलाज में काफी पैसे खर्च हुए उसके बावजूद उसकी मृत्यु हो गई। उसके चार पुत्र और 1 पुत्री थी जो बहुत छोटे–छोटे थे। कर्ज से दबी सीता बाई के घर में वह अकेली कमाने वाली महिला थी उसके पास दो बीघा जमीन थी जो दूसरों के नाम पर थी। अनाज केवल दो माह ही रहता था बाकी समय उसको पूरा गुजारा मजदूरी से होता था। 8 वर्षों से सीता बाई अकेली मजदूरी करके बच्चों का पालन पोषण कर रही है उसके पास कोई भी सरकारी योजना के अन्त्योदय कार्ड का लाभ मिल रहा है। इसी से वह अपनी खाद्य सुरक्षा निश्चित करने का प्रयास कर रही है।

इसके पास दो बीघा असिंचित जमीन है जिसमें से मक्का की फसल ही होती है और सीता बाई को मजदूरी करने के लिए राजौद तक पैदल जाना पड़ता है दूसरी 10 किमी. हैं और छोटे–छोटे बच्चे घर में रहते है वह स्कूल जाते है इस परिवार की खाद्य सुरक्षा का मुख्य आधार मजदूरी है एवं इसके पास जॉव कार्ड जिसके माध्यम से वह पंचायत की मजदूरी कर अपनी खाद्य सुरक्षा निश्चित करने का प्रयास कर रही है।

केस स्टडी

रामाडामर ग्राम कचराखदान इसके पास जमीन नहीं है न ही रहने के लिए मकान है इसकी पत्नी का देहांत हो गया। एक पैर से विकलांग है लकड़ी के सहारे चलता है इसके तीन भाई हैं जो हमेशा इसके साथ लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं जिस कारण से यह निकलकर ग्राम बनी में टाट की झोपड़ी बना कर रह रहा है। पैर से अपंग होने के कारण मजदूरी नहीं कर सकता। जिस कारण से यह सीमेंट व खाद की बोरियां खोलकर उसे कटरकर गोपन बनाता है और 5 या 10 रूपये में गोपन बेच देता है। भोजन वह कभी–कभार अपने झोपड़े में बनाता हैं जिसे खाकर वह अपनी भूख मिटाता है नहीं तो वह गांव के सेठ, ब्राम्हण के यहां से बासी रोटियां खाकर खाता है। न तो इसके पास राशन कार्ड है न ही जॉव कार्ड है न ही इसे पेंशन मिलती है। चाहे गर्मी हो या सर्दी वह बाहर ही सोता है। बरसात के दिनों में उसे और परेशानी होती है क्योंकि उसके घर में बरसात का पानी भर जाता है न तो इसके पास खाने के लिए अनाज है न ही पहनने के लिए कपड़े न सर्दियों में ओढ़ने के लिए कपड़े आज तक इसे किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला।